

“मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक
विकास”

(बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से अर्थशास्त्र विषय में
अध्यादेश 90 (नवीन) के प्रावधान अनुसार
पीएच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबंध

वर्ष – 2018

निर्देशक

डॉ. मनोहर जैन

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

अर्थशास्त्र विभाग, शा. महाविद्यालय

सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)।

शोधार्थी

कु. बसंता सोलंकी

शोध केन्द्र

शासकीय कन्या स्ना. महाविद्यालय, रतलाम, विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

Basanta Solanki

GOVT. GIRLS P. G. COLLEGE, RATLAM

Vikram University, Ujjain (M.P.)

**Declaration by the Candidate under (Para 26(b)) of Ordinance 90 for
Ph.D. Degree of Vikram University, Ujjain (M.P.)**

DECLARATION

I declare that the thesis entitled “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास”

(बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) is my own work conducted under the supervision of **Dr. Manohar Jain**, Head of Department and Professor of Economics, Govt. College, Sailana, Dist. Ratlam (M.P.) at Research Centre Govt. Girls P. G. College, Ratlam, Vikram University, Ujjain (M.P.) has been approved by research degree committee. I have put in more than 200 days of attendance of with the supervisor at the centre.

I further declare that to the best of my knowledge the thesis does not contain and part of work when has been submitted for the ward or my degree either in this university or in any other University/Deemed university without proper citation.

(Supervisor)

(Research Scholar)

Dr. Manohar Jain

Basanta Solanki

Place:

Date:

Signature of the UTD/Principal

Dr. Manohar Jain
Professor of Economics, Govt. College,
Sailana, Dist. Ratlam (M.P.)

Certificate of the Supervisor (Para 26(c)) of Ordinance 90 for Ph.D. Degree

CERTIFICATE

This is to certify that the work entitled “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास” (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) is a piece of research done by **Basanta Solanki** under our guidance and supervision for the degree of **doctor of philosophy in Economics** at **Govt. Girls P. G. College, Ratlam, Vikram University, Ujjain (M.P.)**. That the candidate has put-in an attendance of more than 200 days with me.

To the best of my knowledge and believe the thesis:

- (1) embodies the work of the candidate himself
- (2) has duly been completed;
- (3) fulfills the requirements of the ordinance relating to the Ph.D. degree of the university; and
- (4) Is up to the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner.

Signature of the Supervisor

Dr. Manohar Jain

Signature of the UTD/Principal

CETIFICATE

This is to certify that **Ku. Basanta Solanki**, Working for Ph.D. under the Supervision of **Dr. Manohar Jain, Professor of Economics, Govt. College, Sailana**, Dist. Ratlam (m.p.) has successfully delivered her Pre-Ph.D. presentation on the Research Work done by her at the research center **Govt. Girls College, Ratlam (m.p.)** approved by research Degree Committee.

Title of research work/Presentation : “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास” (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Date of Presentation: 21/05/2018

Signature of the Supervisor

**Dr. Manohar Jain,
Professor of Economics,
Govt. College, Sailana,**

Signature of the Head UTD/Principal

—: आभार :—

“म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास” (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अनुसंधान करते समय अनेक कार्यालयों तथा व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन एवं विभिन्न सहयोगियों के सहयोग से इन कठिनाईयों एवं बाधाओं को पार करने में सफलता प्राप्त हुई। उक्त शोध कार्य को पूर्ण करने में जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है उनका आभार मानना एक शोधकर्ता के रूप में नैतिक कर्तव्य मानती हूँ क्योंकि आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि हार्दिक सद्भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अवसर है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की सफल समाप्ति पर सहयोग देने वाले महानुभावों के प्रति हृदय कृतज्ञता के भावों से भर जाता है।

मेरे पथ-प्रदर्शक अर्थात् निर्देशक डॉ. मनोहर जैन, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.) जिनके सबल बोधगम्य, सुयोग्य एवं सफल निर्देशन में यह शोध कार्य पूर्ण हुआ। आपके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए मैं आपकी ऋणी रहूँगी।

मैं आभारी हूँ डॉ. मीना हरित, प्राचार्या, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम तथा डॉ. मदन लाल गांगले, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष एवं डॉ. अनामिका सारस्वत, प्रो. निलोफर, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम का जिनके सुयोग्य एवं सफल मार्गदर्शन से यह शोध कार्य पूर्ण कर पाई हूँ।

मैं अर्थशास्त्र के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. तपन चौरे, उपाचार्य डॉ. सत्येन्द्र किशोर मिश्र तथा डॉ. संग्राम भूषण के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय-समय पर मुझे उचित मार्गदर्शन दिया।

विक्रम विश्वविद्यालय के जीवाजीराव पुस्तकालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश सामाजिक शोध संस्थान, उज्जैन, जिला पंचायत बड़वानी एवं जिले की जनपद पंचायतों के

कर्मचारियों को भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य हेतु सामग्री संकलन में सहयोग दिया, जिससे यह शोध कार्य पूर्ण हो सका है।

मैं बड़वानी जिले के उन सभी हितग्राहियों एवं ग्रामीणों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने सर्वेक्षण कार्य में जानकारी देकर सहयोग प्रदान किया।

मैं मेरे पुज्यनीय पिताजी स्व. श्री वानसिंह सोलंकी, माताजी श्रीमतो गाँजीबाई, बड़े भाई श्री दिलीप सिंह सोलंकी, भाभीजी श्रीमती अक्का सोलंकी, दीदी सरिता धार्वे, जीजाजी श्री बल्लू सिंह धार्वे का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर रख शोध अध्ययन को पूर्ण करने में सहयोग किया।

अन्त में मैं अपने वरिष्ठ गुरुजनों डॉ. सुनिता सोलंकी, डॉ. रंजना चौहान, डॉ. सपना पटेल, वंदना सोलंकी, प्रमिला बड़ोले, मोगराज चौहान, अमित सोलंकी, प्रकाश ठाकुर की भी अत्यधिक आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया है।

स्थान :

दिनांक :

कु. बसन्ता सोलंकी

—: प्राक्कथन :—

भारत में ग्रामीण विकास के उपयुक्त महत्व को स्वीकार कर वर्ष 1951 में आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम योजना काल में ही ग्रामीण आर्थिक विकास पर सदैव ही जोर दिया जाता रहा, लेकिन केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास संबंधी प्रयासों को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अतः वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. व्ही. नरसिम्हाराव द्वारा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में “पंचायती राज कार्यक्रम” की शुरुआत की गयी। साथ ही विभिन्न राज्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने-अपने पंचायती राज अधिनियमों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन कर अपने यहाँ पंचायती राज कार्यक्रम को लागू करें।

भारत वर्ष में प्राचीन काल से गणतंत्र विद्यमान थे। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतें तथा स्थानीय संस्थाएँ धीरे-धीरे शक्तिहीन होती चली गई है। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की प्रारंभिक इकाई पंचायतों की व्यवस्था की गई है। जनभागीता बढ़ाने हेतु 1952 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और क्रांतिकारी उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके अनुच्छेद-40 में यह कहा गया “राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियों एवं अधिकारों से सम्पन्न करने के लिए प्रयास करेंगी, जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।” पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने तथा विकास कार्यों में जनभागीता बढ़ाने के लिए 1957 के बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया, जिसे अधिकांश राज्यों में लागू किया गया।

पंचायती राज का तात्पर्य लोगों के उस अधिकार से है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपने लिये विकास योजनाओं को प्रारंभ कर सकते हैं और जिन्हें स्वतंत्रतापूर्वक क्षेत्रीय उत्थान के लिये कार्यान्वित और परिचालित कर सकते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का पर्याय है। लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकरण का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज के सम्बन्ध में किया है। लेकिन समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही इस शब्दावली के प्रयोग पर अनेक आपत्तियाँ उठाई गई है। यह सापेक्ष भी किया गया कि पंचायती राज के सही अर्थ की अभिव्यक्ति में यह शब्दावली अपूर्ण अस्पष्ट तथा भ्रमित करने वाली है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने परंपरागत भारतीय शब्दावली

पंचायती राज का प्रयोग का सही अर्थ दिया व स्पष्ट किया कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अनिवार्य हैं। लोकतंत्र के वास्तविक, परिणाम स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही जनता के लिए प्राप्त हो सकते हैं। स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकार का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं, तब से पंचायती राज का ही प्रयोग सर्वत्र किया जा रहा है।

भारत में पंचायतीराज का महत्व बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक दल भी पंचायतों के चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे हैं। पंचायतों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि पंचायतों के कार्यकर्ता और अधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। इन लोगों की सहायता के बिना सरकारी अधिकारियों के काम में मुश्किलें आ जाती हैं। राजनीतिक दल और अनेक नेता यह महसूस करने लगे हैं कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों में सफलता प्राप्त करने के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर कब्जा किया जाना अपरिहार्य है। सरपंचों, प्रधानों और जिला प्रमुखों के रूप में ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो रहा है। आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की धुरी उसी दल के हाथों में होगी, जिसे ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में सफलता मिलेगी।

अतः प्रस्तुत शोध “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास” (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) को विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास से ग्रामीण विकास, उत्पादन, आय, बचत, रोजगार, पूँजी निर्माण एवं कृषि तकनीक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पंचायतों के कार्य एवं क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाले अवरोधों को मालूम करना और सुझाव देना ताकि पंचायतों द्वारा अधिकाधिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास को अपनाया जा सके।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है —

शोध के प्रथम अध्याय में प्रस्तावना : शोध विषय का चयन, अध्ययन का उद्देश्य, शोध परिकल्पनाएँ, शोध प्रविधि, अध्ययन का क्षेत्र एवं अवधि विषय संबंधी उपलब्ध पूर्व साहित्य को प्रस्तुत किया है।

शोध के द्वितीय अध्याय में **पंचायती राज की अवधारणा एवं महत्व** पंचायती राज की अवधारणा, समाजवादी एवं जमींदारी व्यवस्था का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव, भारत एवं म.प्र. की पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था का विकास, पंचायती राज की अन्य व्यवस्थाओं, भारत का संविधान एवं पंचायती राज, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से आज तक का विकास स्थिति का वर्णन किया गया है।

शोध के तृतीय अध्याय के अन्तर्गत **“मध्यप्रदेश में पंचायती राज”** मध्यप्रदेश में पंचायती राज, मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास, मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993, मध्यप्रदेश में पंचायती राज का क्रियान्वयन का वर्णन किया गया है।

शोध के चतुर्थ अध्याय में बड़वानी जिले का सामान्य परिचय, जिले में प्राकृतिक एवं भौगोलिक संसाधन, प्रशासनिक संरचना, पंचायतीराज एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या एवं साक्षरता स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है।

शोध के पंचम अध्याय में **“बड़वानी जिले में पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास”** पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा, म.प्र. ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य, बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्व-सहायता समूह की स्थिति, बड़वानी जिले से पलायन की स्थिति, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है।

शोध के षष्ठम् अध्याय में **“प्राथमिक समकों का संकलन”** सर्वेक्षित उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक जानकारी, सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण की स्थिति, सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण का प्रभाव एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण प्रस्तुत किया है।

शोध के सप्तम अध्याय में **पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में समस्या, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए सुझाव, निष्कर्ष** को प्रस्तुत किया गया है।

शोध अध्ययन को वर्गीकरण, सारणीयन, रेखाचित्र एवं विश्लेषण के अन्तर्गत औसत आदि से प्रदर्शित किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शोधार्थी

कु. बसन्ता सोलंकी

— : अनुक्रमणिका : —

अध्याय प्रथम :— “विषय परिचय” 1—13

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 साहित्य की समीक्षा
- 1.3 अध्ययन के उद्देश्य
- 1.4 परिकल्पनाएँ
- 1.5 अध्ययन की प्रविधि
 - 1.5.1 द्वितीयक समंक
 - 1.5.2 प्राथमिक समंक
 - 1.5.3 सांख्यिकी तकनीकी

अध्याय द्वितीय :— “पंचायती राज की अवधारणा एवं महत्व”

14—54

- 2.1 पंचायती राज की अवधारणा
- 2.2 समाजवादी एवं जमींदारी व्यवस्था का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव
- 2.3 भारत एवं म.प्र. की पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था का विकास
- 2.4 पंचायती राज की अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन
- 2.5 भारत का संविधान एवं पंचायती राज
- 2.6 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से आज तक का विकास

अध्याय तृतीय :- “मध्यप्रदेश में पंचायती राज”

55—90

- 3.1 मध्यप्रदेश में पंचायती राज
- 3.2 मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास
- 3.3 मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993
- 3.4 मध्यप्रदेश में पंचायती राज का क्रियान्वयन

अध्याय – चतुर्थ :- “बड़वानी जिले का सामान्य परिचय”

91—132

- 4.1 बड़वानी जिले का सामान्य परिचय
- 4.2 जिले में प्राकृतिक एवं भौगोलिक संसाधन
- 4.3 बड़वानी जिले की प्रशासनिक संरचना
- 4.4 जिले में पंचायतीराज एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था
- 4.5 जिले की जनसंख्या एवं साक्षरता स्थिति
- 4.6 जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक स्थिति

अध्याय पंचम:- “बड़वानो जिले में पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास”

- 5.1 पृष्ठभूमि **133—175**
- 5.2 ग्राम पंचायत
- 5.3 जनपद पंचायत
- 5.4 जिला पंचायत
- 5.5 ग्राम सभा
- 5.6 म.प्र. ग्राम न्यायालय

5.7 ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य

5.7.1 बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास

5.7.2 स्व-सहायता समूह की स्थिति

5.7.3 बड़वानी जिले से पलायन की स्थिति

5.7.4 स्वच्छता अभियान

5.7.5 स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार

5.7.6 प्रधानमंत्री आवास योजना

अध्याय षष्ठम् : “प्राथमिक समंकों का संकलन”

176—235

6.1 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक जानकारी

6.2 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण की स्थिति

6.3 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण का प्रभाव

अध्याय सप्तम् :

236—248

- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में समस्या
- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए सुझाव
- निष्कर्ष

परिशिष्ट

सन्दर्भ सूची	249—252
साक्षात्कार अनुसूची	253—260
पंचायत सूची	261—270
प्रकाशित शोध पत्र सूची	271

तालिका सूची एवं चित्र सूची

तालिका एवं चित्र क्रमांक	विवरण	तालिका पृष्ठ क्रमांक	चित्र पृष्ठ क्रमांक
3.1	मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज	57	.
4.1	बड़वानी जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ (जनगणना 2011)	96	97
4.2	बड़वानी जिले में आबाद ग्राम तथा ग्राम पंचायतें (जनगणना 2011)	97	98
4.3	बड़वानी जिले की जनसंख्या वृद्धि दर (जनगणना 2011)	101	101
4.4	बड़वानी जिले का तहसीलवार जनसंख्या का घनत्व जनगणना 2011	102	103
4.5	बड़वानी जिले में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या (जनगणना 2011)	104	105
4.6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011)	106	107
4.7	लिंग अनुपात (जनगणना 2011)	109	109
4.8	बड़वानी जिले में साक्षरता की स्थिति (जनगणना 2011)	111	.
4.9	साक्षरता दर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वितरण (जनगणना 2011)	113	113
4.10	जनगणना 2011 के अनुसार बड़वानी जिले में कृषि भूमि एवं सिंचित क्षेत्र	115	116
4.11	आर्थिक गतिविधि के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)	117	118
4.12	आर्थिक गतिविधि के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)	119	120

4.13	विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (जनगणना 2011)	121	121
4.14	विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (वर्ष 2011)	122	123
4.15	दूरी के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (जनगणना 2011)	124	125
4.16	जनगणना 2011 में बड़वानी जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति	127	.
4.17	जनगणना 2011 में बड़वानी जिले में चिकित्सालयों की स्थिति	128	.
4.18	बड़वानी जिले की सड़कों की स्थिति (जनगणना 2011)	129	.
4.19	बड़वानी जिले की वित्तीय संस्थाएँ (जनगणना 2011)	131	.
5.1	बड़वानी जिले के गाँवों की संख्या एवं ग्राम पंचायत	145	145
5.2	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 अनुसार स्वयं सहायता समूह गठन	147	147
5.3	बड़वानी जिले से 6 माह अथवा अधिक अवधि के लिए वर्ष 2017 की स्थिति में पलायन करने वाले परिवार की स्थिति	149	150
5.4	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत वर्षवार निर्मित शौचालय एवं शेष लक्ष्य की जानकारी	151	152
5.5	मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी वर्ष 2017-18	154	154
5.6	मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी वर्ष 2018-19	156	156
5.7	पी. एम. के. एस. व्हाय वाटरशेड विकास कार्य की जानकारी वर्ष 2018	158	158

5.8	वर्ष 2017 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास वितरण	161	161
5.9	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपयोग किया गया फण्ड वर्ष 2017-18	163	164
5.10	वर्ष 2016-17 तक मनरेगा के तहत कुल रोजगार श्रजन एवं जॉबकार्ड का वितरण	166	167
5.11	वर्ष 2018 तक मनरेगा के तहत कुल कार्यो की संख्या	171	172
6.1	उत्तरदाताओं का लिंग आधारित वर्गीकरण..	178	178
6.2	उत्तरदाताओं की आयु	179	179
6.3	उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप	179	180
6.4	उत्तरदाता की जाति एवं उपजाति	180	180
6.5	उत्तरदाता का शैक्षणिक स्तर	181	181
6.6	उत्तरदाता की विवाहित स्थिति	182	182
6.7	उत्तरदाता के परिवार में सदस्य संख्या	182	183
6.8	उत्तरदाता के परिवार कार्यशील सदस्य संख्या	183	183
6.9	उत्तरदाता का मुख्य व्यवसाय	184	184
6.10	उत्तरदाता के पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत	185	185
6.11	उत्तरदाता के पारिवारिक वार्षिक आय	185	186
6.12	कृषि भूमि उपलब्धता	186	187
6.13	सिंचाई के साधन	187	188
6.14	उत्तरदाता के मकान का स्वरूप	189	189
6.15	पीने के पानी का स्रोत	190	190
6.16	विद्युत सुविधा की उपलब्धता	190	191
6.17	खाना पकाने का साधन	191	191
6.18	पारिवारिक सम्पत्ति की जानकारी	192	192

6.19	परिवार में मोबाईल फोन की उपलब्धता	193	193
6.20	उत्तरदाता के घर में अन्य प्रमुख सुविधा	194	194
6.21	शौचालय का उपयोग करने की स्थिति	195	195
6.22	मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क व्यवस्था	196	196
6.23	ग्रामीण आन्तरिक सड़क व्यवस्था	197	197
6.24	पशु बांधने का स्थान	197	198
6.25	गाँव में स्कूल की स्थिति	198	199
6.26	स्कूल में बच्चों को भोजन की स्थिति	199	199
6.27	स्कूल में बच्चों का भोजन बनाने का माध्यम	200	200
6.28	गाँव में पूरे वर्ष रोजगार की सुलभता	201	201
6.29	गाँव के लोग रोजगार की तलाष में बाहर जाते हैं?	202	202
6.30	यदि हाँ तो किन महिनों में	202	203
6.31	ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है?	204	204
6.32	ग्राम सभा में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं?	204	205
6.33	विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी	206	207
6.34	गाँव में पंचायत द्वारा प्रदत्त रोजगार की स्थिति	208	208
6.35	गाँव में पंचायत द्वारा विभिन्न आयोजन	209	209
6.36	गाँव में बेरोजगार लोगों के लिए पंचायत द्वारा सलाह/सहयोग किया गया	210	211
6.37	गाँव में पंचायत द्वारा (किए गए अथवा चल रहे) विभिन्न निर्माण की स्थिति	212	212
6.38	आपको अथवा आपके गली मोहल्ले में प्रदत्त सुविधा की स्थिति	214	215
6.39	आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से किसी समस्या के	216	216

	निदान के लिए अनुरोध किया		
6.40	आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से कि गई शिकायत का प्रकार	217	217
6.41	पंचायत द्वारा अनुरोध का निदान किया	218	218
6.42	किसी प्राकृतिक आपदा के समय पंचायत द्वारा आपको सहयोग	219	219
6.43	पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है?	219	220
6.44	पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?	220	220
6.45	पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नहीं होने का कारण	221	222
6.46	ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?	223	223
6.47	पंचायत की कार्यप्रणाली में अवरोध के कारण	224	224
6.48	पंचायत की कार्यप्रणाली एवं विकास योजनाओं क्रियान्वयन से विभिन्न प्रभाव	226	226

अध्याय – प्रथम

“विषय परिचय”

1.1 प्रस्तावना

1.2 साहित्य की समीक्षा

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1.4 परिकल्पनाएँ

1.5 अध्ययन की प्रविधि

1.5.1 द्वितीयक समंक

1.5.2 प्राथमिक समंक

1.5.3 सांख्यिकी तकनीकी

अध्याय प्रथम

“विषय परिचय”

1.1 प्रस्तावना

भारत गाँवों का देश है। इस देश की अधिकांश आबादी जो गाँवों में रहती है। गाँवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना असंभव है। गाँवों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महात्मा गाँधी ने कहा था कि “गाँव भारत की आत्मा का आधार है।” यदि भारत का विकास करना है तो गाँव का विकास करना होगा, प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा।¹

भारत में ग्रामीण विकास के उपयुक्त महत्व को स्वीकार कर वर्ष 1951 में आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम योजना काल में ही ग्रामीण आर्थिक विकास पर सदैव ही जोर दिया जाता रहा, लेकिन केन्द्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास संबंधी प्रयासों को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अतः वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. व्ही. नरसिम्हाराव द्वारा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में “पंचायती राज कार्यक्रम” की शुरुआत की गयी। साथ ही विभिन्न राज्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपने-अपने पंचायती राज अधिनियमों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन कर अपने यहाँ पंचायती राज कार्यक्रम को लागू करें।²

भारत वर्ष में प्राचीन काल से गणतंत्र विद्यमान थे। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतें तथा स्थानीय संस्थाएँ धीरे-धीरे शक्तिहीन होती चली गईं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की प्रारंभिक इकाई पंचायतों की

¹ एच. रहमान (1965) “पंचायत राज के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा” खादी ग्रामोदय II (10)

² श्रीवास्तव, अरुण कुमार (1994): भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 7

व्यवस्था की गई है। जनभागिता बढ़ाने हेतु 1952 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और क्रांतिकारी उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके अनुच्छेद-40 में यह कहा गया “राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियों एवं अधिकारों से सम्पन्न करने के लिए प्रयास करेगी, जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।” पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने तथा विकास कार्यों में जनभागिता बढ़ाने के लिए 1957 के बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया, जिसे अधिकांश राज्यों में लागू किया गया।³

बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 02 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज संस्थाओं के नये युग का सूत्रपात किया। नेहरू जी ने इस व्यवस्था को नये भारत के निर्माण में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक महत्व का युगांतकारी कदम बताया। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था अनेक राज्यों में लागू हो गयी। 1978 में पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा के गठित अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायतों के द्विस्तरीय ढाँचे तथा पंचायतों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया। 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त जी.बी.के. राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सक्रिय करने की सिफारिश की। 1986 में डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता

³ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000); पंचायतीराज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ.

में बनाई गई। समिति पंचायतों तथा उनके चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण सिफारिश की।⁴

भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित अधिकार एवं कृत्यों जो संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित है कि विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन कराकर प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को स्थापित कराना विभाग का दायित्व है। पंचायती राज संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियों एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय के गठन का अनुमोदन राज्य मंत्री परिषद् द्वारा किया गया। संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ग्राम या ग्राम समूहों को ग्राम के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 (छ) की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों को त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तांतरित किया गया।⁵

उपरोक्त व्यवस्था के तहत प्रदेश में वर्तमान में 23012 ग्राम पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें एवं 51 जिला पंचायतें स्थापित हैं, जिनमें 3.97 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

⁴ बावेल, बसन्तीलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 13-14

⁵ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000): “पंचायत राज एवं महिला नेतृत्व” प्रथम संस्करण 2000, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर

एवं नई दिल्ली, पृ. 136

इस कारण गाँव की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन संभव हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में ग्रामीण विकास की अनेकों योजनाएँ बनाई एवं कार्यान्वित की गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली है। इन योजनाओं के कारण म.प्र. के पश्चिम अंचल में स्थित आदिवासी बहुल बड़वानी जिले के ग्रामीण आर्थिक विकास में कितनी मदद मिली है, ग्रामीण लोगों के जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं के कारण ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है तो कितना ? इन सब बातों का यथात् परक अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत शोध विषय की क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत शोध विषय की क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में चुना है।

1.2 विषय से संबंधित साहित्य समीक्षा:-

किसी भी अनुसंधान कार्य को करने से पहले पूर्व में किये गये अनुसंधान नींव का कार्य करते हैं।" म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास" (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) शोध पर अध्ययन करने से पूर्व जब इस विषय में पूर्व में किये गये अनुसंधान पर प्रकाश डाला गया तो यह पाया कि इस विषय पर संपूर्ण एवं तर्कपूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है।

1. एच. रहमान (1965)⁶ "पंचायती राज के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा" ने सुझाव दिया है कि सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता हेतु पंचायती राज में मानवीय कारकों की भूमिका अदा करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। उनकी धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाने में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

⁶ एच. रहमान (1965) "पंचायत राज के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा" खादी ग्रामोदय II (10)

2. श्रीवास्तव एन. के. (1989)⁷ ने “भारत में पंचायती राज” ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक को मैंने इसी विषय की व्याख्या के लिए चुना है, जिससे कि आर्थिक समस्या पंचायतों का मौलिक एवं चिंतनीय प्रश्न है। प्रायः अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि देश की पंचायतें अपने कार्य के लिए पूर्णरूपेण सरकार पर निर्भर हैं, उसके पास आय के साधन अपर्याप्त तथा अव्यावहारिक हैं, जिससे विकसित कार्यों का संपादन करना उसके लिये महज एक स्वप्न है।

3. पवार मिनाक्षी (1989)⁸ ने “पंचायती राज की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था” ने कहा है कि वस्तुतः ग्रामीण संरचना के व्यवस्थापन के रूप में पंचायतों की आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ही विकास का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। प्रजातंत्र में पंचायतों की आर्थिक प्रगति की स्वस्थ परम्परा ग्रामवासियों में पंचायतों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

4. अरोड़ा रमेश कुमार (1995)⁹ ने अध्ययन में पाया कि ग्राम पंचायत गाँव के विकास की कल्पना में केवल गाँव में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही नहीं, बल्कि गाँव को सक्षम बनाना भी है, जिसमें हर वर्गों को सम्मिलित किया जा सकता है तथा गाँव की कार्यप्रणाली भी मजबूत होती है।

5. खरे अभिशक (2000)¹⁰ ने “म. प्र. स्थानीय स्वशासन” में पंचायत चुनाव के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किया है कि पंचायत चुनाव सत्ता का विकेन्द्रीकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सत्ता का लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के

⁷ श्रीवास्तव एन. के. (1989) “भारत में पंचायती राज” निधि प्रकाशन, पाटनकर बाजार ग्वालियर।

⁸ पवार मिनाक्षी (1994): “म.प्र. में पंचायती राज और ग्रामीण विकास, क्लासीकल प्रकाशन, नई दिल्ली।

⁹ अरोड़ा कुमार रमेश (1995) Panchayati Raj, India

¹⁰ खरे अभिशेष ने (2000) “म.प्र. स्थानीय स्वशासन”

प्रयास होते हैं। इस प्रयास में प्रत्येक व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपने लिए श्रेष्ठ नेतृत्व का चुनाव करता है।

6. सिंह बामेश्वर (2001)¹¹ ने “भारत में स्थानीय स्वशासन” ने अपने अध्ययन में भारत में स्थानीय स्वशासन पर पुस्तकों के अभाव के कारण ही मैंने प्रस्तुत के साथ आपके समक्ष आने की हिम्मत की है। पुस्तक प्रधानता बिहार के स्थानीय संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। वर्तमान स्थानीय संस्थाओं की समस्याओं और उनके संबंध में उचित समाधान को भी यहाँ मैंने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।

7. अग्रवाल कुमार प्रमोद (2002)¹² ने “कुरुक्षेत्र” ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किया है कि यदि पंचायतों के वित्तीय संसाधन नियमित रूप से समृद्ध होते रहे तथा पंचायतें अपने प्रशासन में वित्तीय अनुशासन सही रूप से सुनिश्चित करती रहे तो पंचायत के पास कभी धन का अभाव नहीं रहेगा और वे ग्रामीण जनता तथा भारत की भाग्य विधाता सिद्ध होगी।

8. मैथ्यू जॉर्ज (2003)¹³ ने “भारत में पंचायती राज” अध्ययन में जमीनी स्तर का प्रमाणिक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएँ हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का आधारभूत अंग बने, निर्णय प्रक्रिया में बहिष्कृत समुदायों की भागीदारी और स्त्री, पुरुष समानता जीता जागता यथार्थ बन सके। पंचायतों की विशुद्ध संभावनों के प्रति लोगों में सचेतना पैदा करके ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

¹¹ सिंह बामेश्वर (2001) “भारत में स्थानीय स्वशासन” राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

¹² अग्रवाल कुमार प्रमोद (2002) : “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

¹³ मैथ्यू जार्ज (2003) “भारत में पंचायती राज” वाणी प्रकाशन, र1-ए, दरियागंज, नई दिल्ली।

9. मिश्रा सुरेन्द्र कुमार (2004)¹⁴ ने “ग्रामीण विकास समीक्षा” ने अपने अध्ययन में प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवश्यक रूप से ग्राम सभा बुलाने एवं अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की उससे पास कराने के लिए कुछ आवश्यक शर्त आयात किया जाना चाहिए, जैसे कि जिला पदाधिकारी से लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तक के किसी एक अधिकारी की उपस्थिति प्रत्येक आम सभा में निर्धारित किया जा सकता है।

10. महीपाल (2004)¹⁵ “पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएँ” प्रस्तुत पुस्तक में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के साथ-साथ वर्तमान समय में पंचायतों के समक्ष जो अनेक कार्यात्मक, वित्तीय प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन किया गया है। साथ ही पंचायतों की स्वायत्त संस्था बनाने का सपना पूरा होने की क्या संभावनाएँ हैं, इस पर भी विचार किया गया है।

11. गुप्त विश्वनाथ (2005)¹⁶ “भारत में पंचायती राज” पुस्तक में पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास देते हुए 1992 में बने कानून के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उसके बारे में यथासंभव संपूर्ण जानकारी दी गई है। त्रिस्तरीय ढांचे के बाहर होने पर भी महत्वपूर्ण होने के कारण ‘ग्राम सभा’ पर भी अलग से चर्चा की गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

12. देवपुरा प्रतापमल (2006)¹⁷ ने “ग्रामीण विकास का आधार: आत्मनिर्भर पंचायतें” ने अपने अध्ययन में गाँवों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महात्मा गाँधी ने

¹⁴ मिश्रा सुरेन्द्र (2004) “ग्रामीण विकास समीक्षा” राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।

¹⁵ महीपाल (2004) “पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएँ”, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इन्दौर।

¹⁶ गुप्त विश्वनाथ (2015) “भारत में पंचायती राज” सुरभि प्रकाशन प्रीत विहार, दिल्ली।

¹⁷ देवपुरा प्रतापमल (2006) “ग्रामीण विकास का आधार, आत्मनिर्भर पंचायतें” राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

कहा था कि “गाँव भारत की आत्मा और आधार है” यदि भारत का विकास करना है तो गाँव का विकास करना होगा। प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

13. यादव धर्मेन्द्र सिंह (2006)¹⁸ ने “पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास” के अध्ययन में स्पष्ट किया है ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए पंचायतों को एक सर्वश्रेष्ठ अभिकरण के रूप में मान्यता देते हुए म.प्र. सरकार ने “मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993” पारित किया और पंचायतों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए जून 1994 में पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाए गए।

14. द्विवेदी परेश (2006)¹⁹ “जनजातीय क्षेत्र और नियोजित विकास” ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के गठन से लेकर तिहत्तरवें संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण, सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीण विकास के संबंध में सैद्धांतिक व्याख्या में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें जो विशेष अवसर प्रदान किये गये हैं, उससे संबंधित नवीन दृष्टिकोण पर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में महिला प्रस्थिति व महिला सशक्तता के विविध पहलुओं की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है।

15. कुमार मनीष (2007)²⁰ “ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका” इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने गाँवों की पंचायतों को सामाजिक ढांचे का आधार बनाने का सुझाव दिया। गाँधी जी का सपना था कि प्रत्येक गाँव की पंचायत को गणतंत्र के रूप में सभी आश्यक अधिकारों से सम्पन्न स्वायत्तशासी और आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज भी गाँधी जी के इसी सपने को सच करने का प्रयास जारी है।

¹⁸ यादव धर्मेन्द्र सिंह (2006) “पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास” सत्यम अपार्टमेन्ट्स जैन मंदिर रोड़ सेक्टर, 3 जवाहर नगर, जयपुर।

¹⁹ द्विवेदी परेश (2006) “जनजातीय क्षेत्र और नियोजित विकास”

²⁰ कुमार मनीष (2007) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका, नई दिल्ली।

16. पटनी चन्द्रा (2009)²¹ ने “ग्रामीण स्थानीय प्रशासन” के अध्ययन में स्पष्ट किया है प्रस्तुत पुस्तक के उपरोक्त संदर्भ में ग्रामों में स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी पक्षों का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अंतिम अध्याय में भारतीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के साथ ही प्रमुख देशों के ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की विशेषताओं का अध्ययन भी किया गया है।

17. वीर गौतम (2009)²² ने “पंचायती राज व्यवस्था” ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत में पंचायती राज प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, जिस पर गाँव की सारी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएँ टिकी हुई है। वैदिक काल के प्रारंभ से ही ब्रिटिश काल तक पंचायतों ने हमारे गाँवों और उनकी जरूरतों की देखभाल की है।

18. वर्मा अंजली (2009)²³ ने “भारत में पंचायती राज” ने अपने अध्ययन के माध्यम से कथन दिया है इस प्रस्तुत पुस्तक में पंचायती राज की एक पूरी तस्वीर पेश करती है। इसमें पंचायती राज के विभिन्न पक्षों की चर्चा विस्तार से की गयी है, ताकि पाठक, विषय को सम्यक रूप से समझ सके। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के योगदान और महत्व की चर्चा पुस्तक में अलग से की गयी है।

19. सिंह राजनाथ (2009)²⁴ ने “भारत में पंचायती राज” इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से अध्ययन में कहा है कि विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र के माध्यम से सार्वजनिक मामलों का प्रबंध केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, वरन् जनता की स्थानीय इकाइयों प्रबंध कार्यो में सक्रिय भागीदारी करके लोकतांत्रिक विचारों व कार्यो के रूप में कार्य करती है।

²¹ पटनी चन्द्रा (2009) “ग्रामीण स्थानीय प्रशासन” विश्व भारतीय पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

²² वीर गौतम (2009) “पंचायती राज व्यवस्था” ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

²³ वर्मा अंजली (2009) “भारत में पंचायती राज” ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

²⁴ सिंह राजनाथ (2009) “भारत में पंचायती राज व्यवस्था” अनामिका पब्लिशर्स नई दिल्ली।

20. अवस्थी आनंद प्रकाश (2010)²⁵ ने “म.प्र. में स्थानीय प्रशासन” ने अपने अध्ययन में प्रशासन के राष्ट्रीय राज्य और स्थानीय स्तर पर पुस्तक लिखने का स्वप्न पूर्ण हुआ। इस पुस्तक में मध्यप्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन को संचालित करने वाले इकाइयों का वर्णन किया गया है।

21. सक्सेना आर. के. ने (2010)²⁶ “ग्रामीण विकास समीक्षा” इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 66वें अधिवेशन में बोलते हुये पंचायती राज की प्रस्तावना इस प्रकार प्रस्तुत की थी। इस देश में पंचायती राज प्रजातंत्र का स्थाई आधार बन रहा है। यह न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों का भी शक्तिशाली तंत्र है।

22. दोमड़िया एम. डी. (2014)²⁷ ने “ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार” इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्राथमिक विषय है। तदानुसार स्थायी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुधारने के लिए सतत् प्रयास किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग एक नोडल संगठन है जो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित है।

23. गौतम नीरज कुमार (2014)²⁸ ने “पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी” ने स्पष्ट किया है कि हमारे संविधान की मंशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ऐसा समाज बने, जहाँ सामाजिक न्याय व आर्थिक तरक्की हो। यह काम महज परंपरागत, सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकता। विकास के लिए फायदे-कूनन बनाना और योजनाएँ बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना पहला कदम है।

²⁵ अवस्थी आनंद प्रकाश (2010) “म.प्र. में स्थानीय प्रशासन” म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)।

²⁶ सक्सेना आर. के. (2010): “ग्रामीण विकास समीक्षा” राष्ट्रीय विकास संस्थान, हैदराबाद।

²⁷ दोमड़िया एम. डी. (2014) “ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार”

²⁸ गौतम नीरज कुमार (2014) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका, नई दिल्ली।

24. मोदी अनिता (2014)²⁹ ने “ग्रामीण विकास और पंचायतें” में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ‘पंचायती राज व्यवस्था’ को न केवल पुर्नजीवित किया अपितु स्थायित्व प्रदान करने का भी प्रयास किया। देश में संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के माध्यम से मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया है।

25. वाडिले एवं प्रो. एच. एल. (2011)³⁰ ने “जनजातीय महिला पंचायत प्रतिनिधि और महिला मतदाताओं ग्रामीण विकास में भूमिका” में स्पष्ट किया है कि शोधार्थी ने अपने शोध पत्र में जनजातिय महिला पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका का अध्ययन किया है कि पंचायत क्षेत्र की प्रतिनिधि महिलाएँ अधिकारियों के सम्मुख भी अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाती है और उसे न ही यह ज्ञात हो पाता है कि जिस कार्य के लिए उसका निर्वाचन हुआ है, उस क्षेत्र में उसका शोषण किया जा रहा है, यही बात विकास में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में है।

26. खरे आर. के.³¹ ने “भारत में पंचायती राज” ने स्पष्ट किया है स्वतंत्रता के बाद से ही जनता विकेन्द्रीकरण हेतु समय-समय पर अनेक प्रयोग किए जाते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी ने महात्मा गाँधी के लोकतंत्र की कल्पना को साकार करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों को सत्ता सौंपने की जो पहल की थी, उसी के परिणाम स्वरूप संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप इन संस्थाओं को पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाया गया है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य:—

शोध विषय के चयन का मुख्य उद्देश्य म.प्र. एवं पश्चिम निमाड़ जिलों के बड़वानी के म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास की ऐसी अपेक्षाओं की खोज करना

²⁹ मोदी अनिता (2014) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका नई दिल्ली।

³⁰ वाडिले एच. एल. (2011) “म.प्र. सामाजिक शोध समग्र” लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट इंदौर।

³¹ खरे आर. के. ने “भारत में पंचायती राज” (म.प्र. के संदर्भ में) महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्दौर।

है, जिनमें ग्रामीण आर्थिक विकास की विभिन्न संभावनाएँ व प्रवृत्तियाँ खोजी जा सकें। इस अध्ययन में म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास की योजना का स्वरूप कैसा हो ? उनके क्रियान्वयन में क्या-क्या समस्याएँ उभर कर आती हैं तथा उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होना चाहिए? इन समस्याओं का समाधान किस रूप में किया जा सकता है, आदि तथ्यों को शोध हेतु केन्द्र बिन्दु माना है।

1. पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास के लोगों के क्षेत्रों में विकासीय स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना।
4. पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में आये परिवर्तनों को ज्ञात करना।
5. त्रिस्तरीय पंचायती राज की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन करना।

1.4 परिकल्पनाएँ:—

1. पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुए।
2. पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
3. पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

1.5 शोध प्रविधि:—


प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले पर आधारित है। उक्त जिले का चयन सविचार निदर्शन विधि के आधार पर चयन किया गया है। “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास” का अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों पर आधारित है।

1.5.1 द्वितीयक समंकः—

द्वितीयक समंकों का संकलन, पुस्तकों, पत्र-पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, जनगणना, रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी विभाग, तहसील कार्यालय, विकासखण्ड, कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय रिपोर्ट, इंटरनेट से प्राप्त सामग्री एवं संबंधित विषय में विगत वर्षों से प्रकाशित लेखों इत्यादि से समंकों का संकलन किया गया है।

1.5.2 प्राथमिक समंकः—

प्राथमिक समंकों का संकलन बड़वानी जिले की 4 तहसीलों—बड़वानी, सेंधवा, निवाली एवं पानसेमल का चयन सविचार निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है। इन चयनित तहसीलों में प्रत्येक तहसील से 5-5 गाँव का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है। दैव निदर्शन विधि से चयनित गाँवों में प्रत्येक गाँव से 10-10 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है। दैव निदर्शन विधि के आधार पर चयनित उत्तरदाताओं से म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर कुल 200 उत्तरदाताओं से प्राथमिक समंक सकलित किए गए हैं।



1.5.3 सांख्यिकी तकनीकी :-

शोध को पूरा करने के लिए शोध विधि की उपरोक्त विधियों से समंकों का विश्लेषण कर इनमें निम्न सांख्यिकी तकनीकी की सहायता से समंकों की जांच की गई है। औसत (Average), प्रमाप विचलन (Standard Deviation), सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient), काई वर्ग परीक्षण (Chi-Square X^2), प्रसरण विश्लेषण तकनीकी (Technique of Analysis of Variance) प्रस्तुत शोध को पूरा करने के लिये उपरोक्त शोध की सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया गया है।

अध्याय – द्वितीय

“पंचायती राज की अवधारणा एवं महत्व”

- 2.1 पंचायती राज की अवधारणा
- 2.2 समाजवादी एवं जमींदारी व्यवस्था का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव
- 2.3 भारत एवं म.प्र. की पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था का विकास
- 2.4 पंचायती राज की अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन
- 2.5 भारत का संविधान एवं पंचायती राज 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से आज तक का विकास

अध्याय द्वितीय

पंचायती राज की अवधारणा एवं महत्व

2.1 पंचायती राज की अवधारणा:—

भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास की अवधारणा पर आधारित है। बिना गाँव का विकास किये भारत के तीव्र आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कथन से भारत के संदर्भ में ग्रामीण आर्थिक विकास का महत्व स्वतः ही रेखांकित होता है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी उनका यह स्पष्ट मत था कि “गाँव की आत्मनिर्भरता पर ही देश की आत्मनिर्भरता संभव है। अतः गाँव के विकास हेतु सटीक एवं सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।”³²

पंचायती राज का तात्पर्य लोगों के उस अधिकार से है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपने लिये विकास योजनाओं का प्रारंभ कर सकते हैं और जिन्हें स्वतंत्रतापूर्वक क्षेत्रीय उत्थान के लिये कार्यान्वित और परिचालित कर सकते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का पर्याय है। लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकरण का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज के सम्बन्ध में किया है। लेकिन समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही इस शब्दावली के प्रयोग पर अनेक आपत्तियाँ उठाई गई हैं। यह सापेक्ष भी किया गया कि पंचायती राज के सही अर्थ की अभिव्यक्ति में यह शब्दावली अपूर्ण अस्पष्ट तथा भ्रमित करने वाली है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने परंपरागत भारतीय शब्दावली पंचायती राज का प्रयोग का सही अर्थ दिया व स्पष्ट किया कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के

³² सिंह जनक, (2011): भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, जुलाई-दिसम्बर।

लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अनिवार्य हैं। लोकतंत्र के वास्तविक, परिणाम स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही जनता के लिए प्राप्त हो सकते हैं। स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकार का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं, तब से पंचायती राज का ही प्रयोग सर्वत्र किया जा रहा है।³³

1. हेरोल्ड जे. लास्की के अनुसार “हम लोकतांत्रिक शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते, जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नहीं हैं और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए, जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 2. डी. टाकविले ने भी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लिखा है कि “स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति स्थानीय संस्थाएँ होती है। एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की स्थापना कर सकता है, किन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतंत्रता की भावना नहीं रह सकती है।” 3. पंचायती राज के संदर्भ में महात्मा गाँधी ने कहा था कि “पंचायत शब्द में एक प्राचीन भावना सभा। जो स्वयं अपनी आवश्यकताओं को समझ के अपना संपूर्ण प्रबंध स्वयं चला सके, यह उस पद्धति का सूचक है, जिसके द्वारा भारत के ग्राम लोक-राज्यों का शासन चलता है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “पंचायती राज अत्यंत क्रांतिकारी चीज है, जो कि भारत में अपना रूप ग्रहण कर रही है, क्योंकि उसके पीछे जो ताकतें छिपी हैं, वे देश का नक्शा ही बदल देंगी।”

पंचायती राज की अवधारणा के बारे में गाँधीजी का विचार था कि भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए शासन का कार्य नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं का निर्धारण

³³ श्रीवास्तव, अरुण कुमार (1994): भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 7

जन-सामान्य के द्वारा किया जाये तथा राज्य और केन्द्र सरकारें उन्हीं को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें।³⁴

गाँधी जी के शब्दों में “सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है।” अनेक समुदायों द्वारा सहयोग के आधार पर बनने वाले वृहत संगठन को ही हम पंचायती राज कह सकते हैं ‘पंचायती राज की अवधारणा का जन्म विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने और इच्छित जन-सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ। मौजूदा स्वरूप में पंचायती राज सन् 1959 में अस्तित्व में आया, तब बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

महत्व :-

भारत में पंचायती राज का महत्व बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक दल भी पंचायतों के चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे हैं। पंचायतों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि पंचायतों के कार्यकर्ता और अधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। इन लोगों की सहायता के बिना सरकारी अधिकारियों के काम में मुष्किलें आ जाती हैं। राजनीतिक दल और अनेक नेता यह महसूस करने लगे हैं कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों में सफलता प्राप्त करने के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर कब्जा किया जाना अपरिहार्य है। सरपंचों, प्रधानों और जिला प्रमुखों के रूप में ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो रहा है। आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की धुरी उसी दल के हाथों में होगी, जिसे ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में सफलता मिलेगी।

भारत में नियोजन के प्रारंभ होते ही पंचायतों विकास के कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में इनके उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1971-72 तक देश

³⁴ बावेल, बसन्तिलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 14

की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 78 प्रतिशत भाग पंचायतों के अंतर्गत हो गया था और आज पंचायतों की संख्या बढ़कर करीब 2.75 लाख तक पहुंच गई है। सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण स्तर से संसद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी चाहती है और पंचायती संस्थाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है। पंचायती राज संस्थाओं को सबसे अधिक ग्रामीण पुर्ननिर्माण में सहायक माना जाता है। पंचायती राज संस्थाएँ सरकार के कार्यों में जहां एक तरफ सहयोग करती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना विकसित करती है। ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में पंचायती राज की महती भूमिका है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थान में सहायक है। पंचायती राज संस्थाएँ वर्तमान लोकतांत्रिक आदर्श की समुचित स्थापना में सहायक है कि योजनाएँ ऊपर से न बनकर नीचे से बने। पंचायती राज की वर्तमान स्थिति में स्पष्ट है कि गाँव के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है।³⁵

भारत गाँवों का देश है। गाँवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। ग्राम पंचायतें गाँवों का विकास करते हुए देश के विकास में सहायक है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण लोगों को आत्म-निर्भर बनाती है। इससे सरकार का भार हल्का हो जाता है। पंचायती राज योजना ग्रामीण जनता को शासन सत्ता से संयुक्त कर उनमें राजनीतिक चेतना विकसित करती है। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित प्रशासन में भी सहायक है।

पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है। पंचवर्षीय योजनाओं और विकास के कार्यक्रमों को सुलझाने के लिए भी पंचायतों को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। वस्तुतः पंचायती राज की सफलता

³⁵ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000): पंचायत राज एवं महिला नेतृत्व : प्रथम संस्करण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ. 136

पर ही भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर करता है।³⁶ हमारे देश में पंचायतें अतीत में भी विद्यमान थी, किन्तु वर्तमान में पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं और इन्हें व्यापक अधिकार, साधन तथा दायित्व सौंपे गये हैं। संक्षेप में पंचायती राज का ग्रामीण विकास में मुख्य महत्व है, जो इस प्रकार है –

1. पंचायती राज व्यवस्थाएं लोकतंत्र की आधारभूत संरचना हैं। इससे नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा प्राप्त होती है।
2. पंचायती राज योजना देश में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं की स्थापना में सहायक है। पंचायतों के माध्यम से लोगों को यह अनुभव होता है कि शासन उनका है तथा वे शासन के हैं। इस प्रकार पंचायतें नागरिकों में आत्मनुशासन की भावना विकसित करती हैं।
3. पंचायतें शासकीय नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में भी सहायक हैं। देश की जनता पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शासन के नजदीक आती है।
4. पंचायती राज संस्थाएँ शासकीय शक्तियों तथा कार्यों के विकेन्द्रीकरण में सहायक होती हैं। पंचायतों के माध्यम से शासकीय संस्थाएँ गिनी चुनी संख्याओं में न रहकर पंचायतों के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुँच जाती हैं।
5. पंचायती राज योजना नेतृत्व विकास में सहायक होती है। ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक नेतृत्व को प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों के निर्वाचन तथा गठन से प्राप्त होता है। ग्राम पंचायतें विधायक तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

³⁶ बावेल, बसन्तिलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ.11

6. पंचायती राज व्यवस्था राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू करने में सहायक है तथा नौकरशाही, लालफीताशाही में समुचित अंकुश रखने की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार ग्रामीण समुदाय के पुर्ननिर्माण के तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को गतिशील बनाने में पंचायती राज का अपना विशिष्ट महत्व है।

2.2 समाजवादी एवं जमींदारी व्यवस्था का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभावः—

समाजवादी —

समाजवाद एवं आर्थिक, सामाजिक दर्शन है, समाजवादी व्यवस्था में धन—सम्पत्ति का स्वामित्व और समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या खुले बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद यूरोप में अठारवीं और उन्नीसवीं सदी में उभरे उद्योगीकरण कर अन्योन्यक्रिया में विकसित हुआ।

ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी हैराल्ड लास्की ने कभी समाजवाद को ऐसी टोपी कहा था, जिसे कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है, समाजवाद की विभिन्न किस्में लास्की के इस चित्रण को काफी सीमा तक रूपायित करती हैं। समाजवाद की एक किस्म विघटित हो चुके सोवियत संघ के सर्वसत्तावादी नियंत्रण में लाने का आग्रह किया गया था, उसकी दूसरी किस्म राज्य को अर्थव्यवस्था के नियमन द्वारा कल्याणकारी भूमिका निभाने का मंत्र देती है। भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म के सूत्रीकरण की कोशिश की

गई है। राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेन्द्र देव के राजनीतिक चिंतन और व्यवहार से निकलने वाले प्रत्यय को गांधीवादी की संज्ञा दी जाती है।³⁷

पूज्य राष्ट्रपिता की इस मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से समाजवादी चिंतक प्रतिपक्ष के नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने भी अपने चौखम्भा राज्य की कल्पना में पंचायती के विकास का ही प्रतिपादन किया है उनका मत था कि वर्तमान राज्य व्यवस्था के चार आधार होने चाहिए—इसका पहला आधार शक्तिशाली ग्राम पंचायतें तथा स्थानीय स्वात्ताय संस्थाएं होनी चाहिए तथा दूसरा स्तम्भ जिला स्तर पर स्थानीय निकाय होना चाहिए। राज्य व्यवस्था का तीसरा मजबूत खम्भा प्रदेश या राज्य की सरकार हो और चौथा मजबूत खम्भा केन्द्रीय सरकार हो। इस प्रकार डॉ. राममनोहर लोहिया ने चौखम्भा राज्य की कल्पना की है, उनका मत था कि राज्य व्यवस्था के उपरोक्त चारों स्तम्भ बराबर के शक्तिशाली होने चाहिए। जबकि वर्तमान व्यवस्था में केन्द्र सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार द्वारा देश में समानता के आधार पर सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठित करते हुए नवागत स्वाधीनता देश के करोड़ों लोगों में बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया। देश के प्रत्येक नागरिक को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उनकी क्षमता और योग्यता में भरपूर विकास के साथ उसे सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने योग्य बनाने का भी लक्ष्य निश्चित किया गया, ताकि देश के एक सामान्य व्यक्ति को भी संभाव्य राष्ट्र नायक के रूप में विकास के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पुरानी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। नई लगान व्यवस्था ने गाँव की जमीन पर लोगों के जमाने से चली आ रही

³⁷ अशोक शर्मा (1995): 'भारत में' स्थानीय प्रशासन' आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 134

मिल्कियत खत्म कर उनकी जगह भूस्वामित्व के तीन रूपों को जन्म दिया—जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था।³⁸

जमींदारी व्यवस्था :-

ब्रिटिश काल में अंग्रेज भारत व्यापारी बनकर आए थे, शनैः—शनैः वे देश में सबसे बड़ी शक्ति बन गए। उनका मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाना और शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था, अपने पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने भूमि सुधार जमींदारी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रशासन की इकाईयों के रूप में प्रान्त, जिले, उपजिले, तहसीलें या तालुके स्थापित किया। इन दोनों बातों ने स्थानीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई नई राजस्व व्यवस्था ने अपनी कर कुशलता से ग्रामों में भारतीय स्वशासन से संस्थाओं का रूप ले लिया। कहा जा सकता है कि मुगल शासनकाल में ग्राम स्वशासन के विनाश का जो प्रारंभ हुआ था, ब्रिटिश काल में वह पूर्ण विनाश तक पहुंच गया। सन् 1872 ई. को बंगाल सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि अंग्रेजी शासन से पूर्व ही बंगाल में ग्रामीण स्वशासन के संस्थान बहुत कमजोर हो गये थे, किन्तु अंग्रेजी शासन के पहले 100 वर्षों में तो वे पूर्णतया समाप्त ही हो गए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था का स्थान अधिक से अधिक जमींदारों के एजेंट चले गए और जमीन मालिकों ने स्थानीय स्वशासन का स्थान प्राप्त कर लिया।³⁹

अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जमींदारों का उदय हो चुका था, वे ही सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ बनकर लगान वसूली का कार्य करते थे, जमींदारी व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव से भूमि के स्वामित्व उनके पास केन्द्रिकृत होने लगे। इससे भूमिहीनों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों ने भारत में जमींदारी प्रथा को तीन कारणों से लागू

³⁸ अशोक शर्मा (1995): 'भारत में स्थानीय प्रशासन' आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 134

³⁹ सिंह, हरज्ञान, (1985): 'पंचायती राज इन हरियाणा', इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव। पृ. 23

किया। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन के बंदोबस्त की अंग्रेजी न्यायिक एवं आर्थिक धारणाएं ही अपना सकती थी, द्वितीय, प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन के शुरु के दिनों में लाखों छोटे किसानों की अपेक्षा कुछ हजार जमींदारों से लगान की वसूली आसान और आर्थिक दृष्टि से लाभजनक थी, तृतीय नवजात अंग्रेजी राज की अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, राजनीति एवं सामाजिक दृष्टि से देश में सामाजिक समर्थन की आवश्यकता थी, ऐसी आशा स्वाभाविक थी कि जमींदारों का नया वर्ग जो ब्रिटिश शासन के चलते ही जन्मा बनकर अवश्य ही इस शासन की मदद करेगा। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक 'इंडिया टुडे' में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, "हिन्दुस्तान की जनता आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ हर सूबे के जमींदार अपने राज्यों का संघ बनाकर अंग्रेजी राज की जय बोलते हैं, मिसाल को 1925 में बंगाल जमींदार के सभापति ने वाइसराय की सेवा में निवेदन किया था, हुजूर वाइसराय यकिन रखे कि जमींदार लोग तन-मन-धन से हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।"⁴⁰

एक अन्य प्रकार से भी एक दूसरे किस्म के जमींदार वर्ग का जन्म हुआ। छोटे सरदारों के शुल्क और नजराने को लगान माना जाने लगा और उनकी राजनीतिक सेना संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जमींदार वर्ग के सृजन के तीसरे तरीके का भी इस्तेमाल किया गया, जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को बहुमूल्य सैनिक या अन्य सेवाएँ प्रदान किया, उन्हें जमीन का अनुदान देकर जमींदार बनाया गया।

रैयतवाड़ी व्यवस्था :-

देश के कुछ भागों में ब्रिटिश शासन ने भूस्वामित्व की सृष्टि की और कुछ भागों में किसानों की निजी मिल्कियत की। इस दूसरी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान को उस जमीन का स्वामी माना गया, जिसे वह जोतता था।

⁴⁰ सिंह, हरज्ञान, (1985): 'पंचायती राज इन हरियाणा', इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव। पृ. 42

सर टामस मुनरो ने जमींदारी प्रथा को भारतीय परम्परा के प्रतिकूल मानकर 1920 में मद्रास प्रांत में जब वह गवर्नर था तो रैयतवाड़ी प्रथा को परंपरागत मानकर वहाँ लागू किया, बाद में यह प्रथा बंबई, सिंध, बरार, मद्रास, असम और कुछ और इलाकों में लागू हुई। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

1. भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था।
2. इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था।
3. रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास तथा बम्बई (वर्तमान मुम्बई) एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया।
4. रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को पहली बार 1792 ई. में मद्रास के 'बारामहल' जिले में लागू किया गया।
5. टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था, उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि का आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया।
6. इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई।
7. बम्बई की रैयतवाड़ी पद्धति अधिक लगान एवं लगान की अनिश्चित जैसे दोषों से युक्त थी।
8. किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी।
9. ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की इस नई प्रणाली का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भयानक रहा।
10. धीरे-धीरे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं भारतीय कृषि का रूप बदलने लगा, अब उत्पादन के ऐसे साधन प्रयोग में लाये जाने लगे, जिसमें धन की आवश्यकता पड़ती थी।

रैयतवाड़ी प्रथा के लिए कहा गया था कि वह यह हिन्दुस्तानी परंपरा के ज्यादा माफिक है, असल में रैयतवाड़ी प्रथा में भी किसान के पैदावार का ख्याल नहीं रखा जाता था और किसानों को जमीन के हिसाब से मालगुजारी तय की जाती थी। इस तरह जमींदारी प्रथा की तरह रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी हिन्दुस्तानी परंपरा से उल्टा था।

महालवाड़ी व्यवस्था — लार्ड विलियम बैटिंग ने यह प्रथा 1833 में आगरा, अवध, पंजाब में आरंभ की। उत्तरी भारत तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में एक अन्य व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें लगान देने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी की व्यवस्था की गई। कृषि भूमि को गांव की सामुदायिक संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई। इसमें काश्तकार व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे गांव की ओर से सरकार के साथ समझौता करता था। इस व्यवस्था में जमीन के नए बंदोबस्त अस्थाई भूमि कर के आधार पर किए गए। जमीन के इन अस्थाई बंदोबस्तों में जो जमींदार बनाए गए, उनकी जमीन पर मिल्कियत तो स्थायी थी, लेकिन जो भूमि कर वे सरकार को देते थे, उसे बाद में पुनरीक्षित किया जा सकता था।

इस प्रकार ब्रिटिशों ने अपनी सुविधा और लाभों के अनुकूल भारत में भूमि संबंधों को परिभाषित किया। हम देखते हैं कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की भू-व्यवस्था अपनाई गई। रजनी पाम दत्त के शब्दों में “आजकल हिन्दुस्तान में जमीन पर तीन तरह के अधिकार हैं। इन तीनों का उद्गम अंग्रेज सरकार है और असल में हर सुख में जमीन पर सरकार का ही अधिकार होता है।”

पहली तरह का अधिकार स्थायी जमींदारी बंदोबस्त का है। यह प्रथा बंगाल, बिहार और उत्तरी मद्रास के कुछ इलाकों में है। कुल ब्रिटिश भारत की जमीन का 19 फीसदी हिस्सा इसके अंतर्गत है।

दूसरा अधिकार अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त का है। यह (महालवाड़ी) व्यवस्था युक्तप्रांत के अधिकांश भागों में मध्यप्रांत और बंगाल तथा बंबई के कुछ हिस्सों में और पंजाब में है। कहीं-कहीं पर मालगुजारी अलग-अलग किसानों से वसूल की जाती है।

तीसरी रैयतवाड़ी प्रथा है, जो बम्बई अधिकांश मद्रास, सिंध, असम और दूसरी जगहों में लागू होता है। 51 फीसदी जमीन इस प्रथा के अंतर्गत है।

परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जमींदारी प्रथा ब्रिटिश भारत के केवल 49 फीसदी हिस्से में ही चालू है, जहाँ जमींदारी बंदोबस्त किया गया है, आमतौर पर रैयतवाड़ी इलाकों में भी बड़ी तेजी से यह प्रथा चल पड़ी है। जमीन के मालिक अपने खेत उठा देते हैं, महाजनों के कज से किसानों के खेत छिन गए हैं या दूसरे ने उन पर कब्जा कर लिया है। किसी जमाने में यह मंशा रही होगी कि सीधे किसानों से माल गुजारी वसूल की जाएगी, लेकिन अब स्थिति बदल गई अंदाज लगाया जाता है कि “मद्रास और बम्बई में 30 फीसदी से अधिक जमीन ऐसी है, जिसे मालिक नहीं जोतते।”

महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम ‘हॉल्ट मैकेंजी’ द्वारा लाया गया था, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था।

1. इस समुदाय के सदस्य अलग-अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे।
2. सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा ‘महाल’ या ‘क्षेत्र’ सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था।
3. महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे।
4. महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ई. में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था।
5. यह व्यवस्था उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई।
6. महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था।
7. इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित की गई थी।
8. कालान्तर में लॉर्ड विलियम बेटिक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है।

प्राचीन वैदिक काल में भी विदथ सभा और समिति जैसी कुछ संस्थाए होती थी। जिनका स्वरूप और उद्देश्य बहुत कुछ आज की पंचायती राज संस्थाओं जैसा ही था। हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था सदियों पुरानी है। प्राचीनकाल में गांव वालों के आपसी झगड़े पंचायत निपटाती थी। साथ ही ग्रामीण विकास कार्यों की देखभाल भी पंचायतें ही करती थी। धीरे-धीरे पंचायती राज व्यवस्था भारतीय गांवों में कमजोर होती गई। इस व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया अंग्रेजों ने। उन्होंने इस व्यवस्था को हटाकर जमींदारी व्यवस्था स्थापित की।

ग्राम वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अतः भू-स्वामित्व के अधिकारों उनके सामाजिक संबंधों में प्रभुत्ता और अधीनता की स्थिति को निश्चित करते थे। भू-स्वामित्व के अधिकार ही समुदायों के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखते थे। जमींदार व्यवस्था गांव की शक्ति व्यवस्था ही गांव की शक्ति संस्था के रूप में विकसित हो गई और यह नेताओं का निर्धारण भी करने लगी। इस प्रथा ने ग्राम पंचायत व जाति पंचायतों की भूमिकाओं को भी प्रभावित किया।

जमींदारी प्रथा के बाद ग्रामीण लोगों के व्यवहार, संस्कार, परम्परा, अपेक्षाओं एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण संगठन जाति संगठन था। जाति संगठन ने जमींदारी प्रथा के साथ-साथ अपनी शक्ति संरचना का विकास किया। गांवों में शक्ति संस्था का तीसरा प्रमुख ग्राम पंचायतें थी। वर्तमान पंचायती राज की स्थापना से पूर्व गांवों में सभी जातियों के वयोवृद्ध लोगों द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध ग्राम पंचायत होती थी। यह पंचायत जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से पूर्व गांव में शक्ति पर भी नियंत्रण रखती थी। इस प्रकार से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से पूर्व गांव में शक्ति व्यवस्था को निर्धारित करने में जमींदारी व्यवस्था ग्राम पंचायत की संस्थाएं भूमिका निभाती थी। कोई भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विवाद इन तीनों संस्थाओं द्वारा ही निपटाये जाते थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन तीनों के अतिरिक्त गांवों में शक्ति के अन्य स्रोत नहीं थे। पुरोहित, प्रथाएं, परम्पराएं एवं जनरीतियां

भी गांवों में शक्ति स्रोत थे। इन्हें गांव के लोग अचेतन के रूप में स्वीकार करते थे और इनका उल्लंघन करने पर शक्ति के सम्मुख अनेक कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती थी। ग्रामीण शक्ति के तीनों स्रोत, जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत एवं जाति पंचायत अपने आप में स्वतंत्र इकाईयां नहीं थी, वरन् परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी थी।⁴¹

सन् 1947 में आजादी हासिल करने के बाद गांवों में शक्ति के नये प्रतिमान अस्तित्व में आए। जमींदारी प्रथा समाप्त कर सरकार ने नयी पंचायत व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें गांवों में नयी शक्ति संरचना का जन्म हुआ। प्रत्येक युवा व्यक्ति का मताधिकार दिया गया और हाथ खड़े करके चुनाव लड़ाए जाने लगे। स्त्रियों को पहली बार गांव की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार मिला। ग्राम पंचायतों की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड रखा जाने लगा और इनका संबंध राज्य की संपूर्ण न्याय व्यवस्था और लगान प्रशासन से जोड़ दिया गया। इस प्रकार पहली बार अधिकारियों ने सैद्धांतिक तथा कानूनी रूप से आर्थिक स्थिति एवं जाति से संबंध तोड़ दिया गया। पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण प्रजातंत्र को तीव्रगति प्राप्त हुई। ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण प्रजातांत्रीय परिवर्तन कर दिए गए। गुप्ता एवं शर्मा के अनुसार “यह राष्ट्रीय समाजवादी प्रजातंत्र की ओर एक कदम था।” कानूनी दृष्टि से भी गांव में सामूहिक संबंधों की प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इस व्यवस्था ने परिवार के स्थान पर व्यक्ति की शक्ति व्यवस्था में सहभागी बनाया। जाति का महत्व भी समाप्त कर दिया गया। नई विकास पंचायतों एवं न्याय पंचायतों ने नई शक्ति व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शक्ति स्रोतों को जन सहयोग तथा लोकतंत्र पर आधारित करना था। अब ग्रामीण नेताओं का चुनाव वर्ग एवं जाति के स्थान पर उनके अर्जित गुणों के आधार पर होने लगा। यद्यपि पंचायत चुनावों से संबंधित अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब भी कई गांवों में

⁴¹ अशोक शर्मा (1995): ‘भारत में स्थानीय प्रशासन’ आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 142

पंच एवं सरपंचों के चयन में जाति एवं वर्ग का महत्व कम नहीं हुआ है। आर्थिक विषमता के कारण भूस्वामियों बड़े-बड़े किसानों तथा साहूकारों का अब भी ग्रामीण शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ग्रामीण काश्तकारों की भूस्वामियों एवं साहूकारों पर आर्थिक निर्भरता अब भी बनी हुई है, जिनका आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।⁴²

1. मुगलों ने जो कर व्यवस्था लागू की उसके कारण राजस्व किसानों अथवा जमींदारों तथा अन्य मध्यवर्गीय नागरिकों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया, जो करदाता और प्रशासन के बीच बिचौलिया बन कर उभरा। 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति के कम होने के साथ-साथ इन जमींदारों का ग्राम पर नियंत्रण बढ़ता गया।
2. जमींदारी व्यवस्था के बढ़ते प्रभाव से भूमि के स्वामित्व उनके पास केन्द्रीकृत होने लगा। इससे भूमिहीनों का नया वर्ग उत्पन्न हुआ। ग्राम प्रमुख पद नष्ट हो गए, जिससे आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा।
3. जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, गतिहीनता आदि का आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
4. गांवों में कृषि विकास व विस्तार, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन विकास, लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का भार, पंचायतों के कंधों पर ही है। इससे भी आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
5. आधारभूत सुविधाओं जैसे-सफाई, स्वच्छता चिकित्सा, शिक्षण व्यवस्था, बिजली, पानी व सिंचाई आदि के अभाव के कारण आर्थिक विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है।

⁴² सिंह, हरज्ञान, (1985): 'पंचायती राज इन हरियाणा', इन्दिरा पब्लिकेशन, गुड़गाँव। पृ. 132

2.4 पंचायती राज की अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन :-

भारत में महात्मा गाँधी के बहुत से अनुयायी हुए हैं ये सभी गाँधी जी के विचारों के अनुरूप भारत में पंचायती राज की स्थापना करना चाहते थे। महात्मा गाँधी के अनुयायियों ने जिन्होंने भारत को अपने विचारों द्वारा स्वतंत्र चिंतन और चेतना दी, इनमें इनके शिष्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम उल्लेखनीय है। विनोबा जी भी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। ग्राम स्वराज में ग्राम एक इकाई के रूप में होता है। प्रत्येक ग्राम के शासन के लिए एक सभा होती है। यह गाँव के पूरे विकास के लिए उत्तरदायी होती है। विनोबा जी का विचार था, यह ग्राम के विकास के लिए भूमि सेना बनायेगी तथा ग्राम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शान्ति सेना बनाएगी। विनोबा जी ने अपने विचारों के इस पंचायती राज का वर्णन भू-दान यज्ञ के पाक्षिक गाँव की बात में 20 जनवरी 1967 के अंक में प्रकाशित किया था, वर्तमान पंचायती व्यवस्था के संबंध में विनोबा जी का मत था कि वर्तमान पंचायतें सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हैं, अपितु यह तो शोषण का विकेन्द्रीकरण है। विनोबा जी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में आस्था रखते थे।⁴³

गांधीजी के दूसरे शिष्य जय प्रकाश नारायण भी भारत में गाँधीजी के विचारों के रूप में ही पंचायती राज लाना चाहते थे। वे दल विहीन लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत के प्रत्येक ग्राम में एक शक्तिशाली ग्राम पंचायत हो जो गाँव की सभी समस्याओं का निराकरण कर सके और सत्ता का ग्राम पंचायतों के हित में पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण हो।

गांधीजी के तृतीय अनुयायी 20वीं शताब्दी के महान समाजवादी चिंतक प्रतिपक्ष के नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने भी अपने चौखम्बा राज्य की कल्पना में पंचायती राज के विकास का ही प्रतिपादन किया है, उनका मत था कि वर्तमान राज्य व्यवस्था के चार आधार होने चाहिए, इसका पहला आधार शक्तिशाली ग्राम पंचायतें तथा स्थानीय स्वतंत्र

⁴³ बावेल बसन्तीलाल (2010): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 67

संस्थाएं होनी चाहिए तथा दूसरा स्तंभ जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन निकाय होना चाहिए। राज्य व्यवस्था का तीसरा मजबूत खम्बा प्रदेश या प्रान्त की सरकार हो और चौथा मजबूत खम्बा केन्द्रीय सरकार हो। इस प्रकार डॉ. राममनोहर लोहिया ने चौखम्बा राज्य की कल्पना की है। उनका मत था कि राज्य व्यवस्था के उपरोक्त चारों स्तम्भ बराबर के शक्तिशाली होने चाहिए, जबकि वर्तमान व्यवस्था में केन्द्र सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। राज्य सरकारें शक्तिहीन हैं और संविधान द्वारा जिला सरकार और ग्रामीण व स्थानीय सरकार को कोई शक्ति प्रदान ही नहीं की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज की धारणा भारत को महात्मा गांधी की देन है और इस धारणा को विकसित करने और इसे इसका वर्तमान स्वरूप में पहुंचाने का सहयोग गांधी जी के विभिन्न अनुयायियों की है।⁴⁴

भूमि सुधार में पंचायती राज की सफलता भी निहित है। चूंकि भूमि सुधार से समानता स्थापित होती है और बिना समानता के पंचायती राज लागू करना अर्थहीन है। महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी, उसमें सामाजिक विषमता को मिटाना पंचायती राज संस्थाओं का कर्तव्य था। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए भूमि सुधार को सही ढंग से लागू करना जरूरी है। बिना भूमि सुधार के पंचायती राज स्थापित करने का अर्थ सामन्ती प्रथा को ही बढ़ावा देना होगा। निर्बल किसान पिछड़े ही रह जायेंगे। पंचायती राज के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लाभ अधिसंख्य गरीब किसानों को प्राप्त नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1959 की पंचायती राज के शुभारंभ के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— “हमारी पंचायतों में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष, ऊँच और नीच के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। हममें एकता और भाईचारे की भावना विकसित होनी चाहिए।”

⁴⁴ किशोर राज (2004): स्त्री परम्परा और आधुनिकता : प्रथम संस्करण 2004 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 12

पंचायती राज के संदर्भ में पंडित नेहरू की यह इच्छा भूमि सुधारों को न्यायसंगत तरीके से लागू करने पर ही पूरी हो सकती है।⁴⁵

कुछ लोग भूमि सुधार को राजनीति प्रेरित मानते हैं, किन्तु इसके हितकारी पक्ष को देखा जाये तो किसी भी दृष्टि से भूमि सुधारों को लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है। श्रेय किसी को भी मिले, लाभ बड़ी संख्या में निर्बल किसानों को होता है। अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दोनों ही गरीबी दूर करने के लिए भूमि सुधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। राजनीतिक इच्छा होने पर भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।⁴⁶

भूमि सुधार हेतु उठाये गये कदम :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में अनेक प्रकार की भूमि व्यवस्थाएँ थी, जिनके कारण वास्तविक काश्तकार और भूस्वामी के बीच भी अनेक मध्यस्थ आ गये थे। ये भूमि की उपज का एक बड़ा लगान के रूप में लेते थे, लेकिन फिर भी काश्तकार को खेत प्रतिवर्ष जोतने की गारंटी नहीं थी, जिससे भूमि पर स्थायी सुधार नहीं हो पाता था, भूमि व्यवस्थाओं के इन दोषों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार और समाज के स्तर पर भूमि सुधार के लिए व्यापक प्रयत्न किये गये हैं -

जमींदारों और बिचौलिया का उन्मूलन :-

स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों की नीति के कारण देश में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ थी, जिनके कारण भूस्वामित्व में भारी असमानता पैदा हो गयी थी। चन्द लोग बड़े भूपति बन गये थे और अधिकांश जनता भूमिहीन थी। इन व्यवस्थाओं के कारण गांवों की सामुदायिक एकता भंग हो गयी थी। पारस्परिक सहयोग का स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ने ले लिया था। बेकारी बढ़ती जा रही थी। सामाजिक न्याय के स्थान पर सर्वत्र शोषण का बोलबाला था। विडम्बना यह थी कि वास्तविक काश्तकारों

⁴⁵ जेशी, आर. पी., मंगलानी रूपा (2013); भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 32

⁴⁶ बावेल, बसन्तीलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 45

का शोषण उस वर्ग द्वारा किया जाता था, जिसका प्रत्यक्ष रूप से कृषि से कोई सम्बंध नहीं था। डॉ. राधाकमल मुखर्जी ने जमींदारों की कारगुजारियों का खुलासा इस प्रकार किया है—“एक और जमींदार कृषकों की आय का बड़ा भाग उनसे छीन कर उन्हें दरिद्रता की भट्टी में जलने के लिए छोड़ देते थे और दूसरी ओर वे स्वयं कृषि से दूर रहकर किसानों से प्राप्त आय को खुलकर विलासिता पर उड़ा देते थे। जमींदार ही नहीं, उनके संबंधी और कर्मचारी भी खूब एशोआराम की जिंदगी बिताते थे।”

इन जमींदारों के कारण ग्रामीण जनता और शासन के बीच संपर्क का अभाव रहता था। इसीलिए शासन किसानों की समस्याओं से अनजान रहता था। छोटे और भूमिहीन किसान जमींदारों का अन्याय सहकर भी उनकी बेगार करने के लिए मजबूर थे।

जमींदारी उन्मूलन ने गरीब कृषकों को नया जीवन दिया। वे जमींदारों की दासता से मुक्त हो गये। भारत में जमींदारी उन्मूलन कानून का सूत्रपात बिहार राज्य से हुआ। वहाँ सन् 1947 में राज्य विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन संबंधी विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक अनेक संशोधनों के बाद सन् 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इसके बाद मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदि अन्य राज्यों में भी जमींदारी, जागीरदारी, ईमानदारी आदि व्यवस्थाओं के उन्मूलन का कानून लागू कर दिया गया। देश में जमींदारी उन्मूलन से लगभग दो करोड़ काश्तकारों को स्वामित्व का लाभ प्राप्त हुआ। इन काश्तकारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

काश्तकारी व्यवस्था में सुधार :—

जमींदारों के उन्मूलन के बाद भी काश्तकारों को कृषि श्रमिक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आज भी बड़ी मात्रा में खेती उन काश्तकारों द्वारा की जाती है, जिन्हें कभी-भी भूस्वामी द्वारा हटाया जा सकता है। इन काश्तकारों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है और उन्हें लगान अधिक मात्रा में देना पड़ता है। इस व्यवस्था के शोषण से बचाने के लिए भूमि सुधार के अंतर्गत काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देने बेदखली से संरक्षण प्रदान करने तथा उत्पादन का समुचित आदि दिलाने के लिए

काश्तकारी सुरक्षा कानून बनाये गये हैं। “जोतने वाले को भूमि मिले” यह विचार इन कानूनों का उद्देश्य है इन कानूनों में ऐसा प्रावधान किया गया है कि बड़े स्तर पर किसानों को बेदखल न किया जा सके और भूस्वामी द्वारा भूमि वापस काश्त करने के लिए ही भूमि वापस लेने का अधिकार हो।

जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण :-

प्रो. गाडगिल के अनुसार – “सभी साधनों में भूमि की पूर्ति सीमित है, किन्तु इसकी मांग करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अतः विशेष दशाओं को छोड़कर किसी व्यक्ति को बड़े भूमि पर अधिकार बनाये रखने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण है।” इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। इससे भूस्वामित्व के विकेन्द्रीकरण का रास्ता आसान हो जाता है। जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए अधिकांश राज्यों ने आवश्यक कानून बनाये हैं। इन कानूनों के अंतर्गत देश में सितम्बर 1994 तक 73.42 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गयी, जिसमें से 49.49 लाख लाभार्थियों को 51.03 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया जा चुका है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में 70887 एकड़ अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया था, जबकि 1992-93 में यह मात्रा 111024 एकड़ और 1991-92 में 154067 एकड़ थी।

चकबन्दी व्यवस्था :-

उपविभाजन और उपखण्डन के कारण भारत में कृषि जोतों का आकार प्रायः छोटा रहता है। कृषि जोत का आकार छोटा होने पर कृषि उत्पादकता कम रहती है। दूर-दूर छोटे खेत होने पर कृषकों के समय व शक्ति का अपव्यय होता है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से बिखरे हुए खेतों को मिलाने के लिए चकबन्दी व्यवस्था अपनायी जाती है। देश के अधिकांश राज्यों में चकबन्दी के लिए कानून बनाये गये हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में अनिवार्य चकबन्दी व्यवस्था लागू है। कुछ राज्यों में स्वैच्छिक चकबन्दी भी है।

सहकारी खेती :-

भूमि सुधार के स्वैच्छिक उपायों में सहकारी खेती सर्वोत्तम है। इसके अंतर्गत कृषक अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रखते हुए सामूहिक खेती करते हैं। महात्मा गांधी सहकारी खेती पर पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि "सहकारी खेती भूमि की शक्ल ही बदल देगी और लोगों की गरीबी तथा आलस्य को भगा देगी।" सहकारी खेती से छोटी जोतों की समस्या का निराकरण होता है तथा कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सहकारी खेती ही कृषि विकास का श्रेष्ठ उपाय है। देश में लगभग एक लाख कृषि सहकारी समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

भूदान आंदोलन :- जनवरी 1948 में गांधीजी की मृत्यु के बाद उनके सहयोगियों में से, जो उनके सर्वोदय समाज के स्वप्न के प्रति समर्पित रहे, कुछ लोगों ने सर्व सेवा संघ के नाम से एक संस्था गठित की।

गांधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा ने 1951 में आंध्रप्रदेश तेलंगाना जिले की यात्रा की जहां भूमिहीन खेतिहरों और उनके सामंती भूस्वामियों के बीच उग्र संघर्ष चल रहा था। इस यात्रा प्रसंग में जब वे 18 अप्रैल के दिन पोचमपल्ली गांव पहुंचे, उनके पास अनेक भूमिहीन दलित आए, जिन्होंने उनसे भूमि प्राप्त करने में उनकी सहायता करने की प्रार्थना की। विनोबा जी ने गांव के लोगों को संबोधित किया और उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई अपने भाइयों को भूख से मरने से बचाने के लिए अपनी मर्जी से जमीन देने के लिए राजी है। एक व्यक्ति, जिसका नाम रामचन्द्र रेड्डी था, आगे आया और उसने सौ एकड़ जमीन देने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा "मैं हमेशा राजद्रोही रहा हूँ। हमारा सारा परिवार राजद्रोही है, लेकिन मेरी साम्यवादी तरीकों से असहमति है और जब तक विनोबा जी यहां नहीं आये थे, तब तक मेरे मन में उलझन थी कि मैं क्या

करुं। साम्यवादी कहते हैं कि वे आतंक, रक्तपात और असत्य के द्वारा प्रेम और न्याय का युग शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें कभी विश्वास नहीं करता।”⁴⁷

विनोबा जी ने भूस्वामियों से कहा, “अगर तुम्हारे पांच बेटे होते तुम अपनी संपत्ति उनके बीच बराबर-बराबर बांटते। मुझे अपना छठा बेटा समझो। दरिद्रनारायण- दीन के रूप में प्रकट हुए भगवान के लिये मुझे अपनी जमीन का एक हिस्सा दो।”

विनोबा जी ने चालीस दलित परिवारों से कहा कि वे स्वयं निर्णय करें कि वे (दान में प्राप्त हुई) भूमि को कैसे बांटना चाहेंगे और यहां कि वे इस भूमि को इकट्ठा मिलकर जोतना चाहेंगे या अलग-अलग दलितों ने उन्हें कहा है वे भूमि को इकट्ठा मिलकर जोतना चाहेंगे। उनमें से अनेक छोटी जातियों के समूह-जैसे धोबी, चर्मकार, बुनकर पहले से ही समुदाय के रूप में इकट्ठे रह रहे थे।

गांव छोड़ते हुए जमा हुए समूह से विदा लेते हुए विनोबा जी ने टिप्पणी की “यदि हर एक भूस्वामी रामचन्द्र रेड्डी बन जाए तो हम धरती पर स्वर्ग उतार ले।”

19 मार्च 1948 से 1950 तक विनोबा तथा उनके सर्वोदय साथी इसी तरह उलझन में पड़े रहे कि सामाजिक परिवर्तन हेतु कौन-सी क्रांतिकारी प्रक्रिया अपनाई जाए। मार्च 1951 में हैदराबाद में सर्वोदय सम्मेलन हुआ। विनोबा जी भी सैकड़ों मील पदयात्रा करके सम्मेलन में भाग लेने हैदराबाद पहुँचे। लगभग तीन वर्षों से तेलंगाना में एक हजार गाँवों में सामंती जमींदारी के विरुद्ध कम्युनिस्टों का सशक्त क्रांति के नाम पर हत्याओं और लूट-पाट का खुला विद्रोह जारी था। सम्मेलन के बाद विनोबा जी सब की राय के खिलाफ और बिना पुलिस सहायता के ऐसे ही एक गाँव पोचमपल्ली में शान्ति प्रचार हेतु गए। वहाँ जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यद्यपि तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्टों की सशस्त्र क्रांति तो असफल हो चुकी थी, मगर वहाँ के लोगों की समस्याएँ अभी भी वैसी ही बनी थी, उन्होंने वहाँ के लोगों की जीवन शैली में भयंकर आर्थिक विषमता का अनुभव किया।

⁴⁷ सिसोदिया, यतिन्द्र सिंह (2000);, पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 48

वहाँ कुछ लोगों के पास सैकड़ों एक जमीन थी तो अधिकांशतः लोगों के पास पैर रखने लायक भी भूमि नहीं थी। सभी इस भूखमरी और विपन्नता का समाधान ढूँढ़ रहे थे।⁴⁸

“पहले, मैं लोगों के हृदय बदलना चाहता हूँ। दूसरे मैं उनके जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न करना चाहता हूँ। तीसरे, मैं सामाजिक ढांचे को बदलना चाहता हूँ हमारा लक्ष्य केवल दया के कर्म करना नहीं है, किन्तु दया का साम्राज्य बनाना।”

विनोबा जी 6 जून 1951 के दिन हैदराबाद से मध्यभारत में आए तो उन्होंने 12000 एकड़ भूमि जमा कर ली थी। जिस किसी भी गांव में वे रुके, उसमें से एक ने भी भूमि का दान करने से मना नहीं किया, उन्होंने एक दिन औसत 240 एकड़ भूमि प्राप्त की। निजाम ने भी, जिसकी भारत के सबसे कृपण व्यक्ति के मन में प्रसिद्धि थी, कुछ भूमि दी थी। अगले तीन वर्षों में विनोबा जी के द्वारा पीछे छोड़े गए कार्यकर्ता ने हैदराबाद में और भी एक लाख एकड़ भूमि प्राप्त की।

वस्तुतः 1957 को भूक्रांति वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष तक कुल 4.2 लाख एकड़ भूमि भूदान आंदोलन में प्राप्त हो चुकी थी, जबकि लक्ष्य 50 लाख एकड़ का था। इस निराशाजनक स्थिति का एक कारण यह है कि भू-आंदोलन अब व्यक्ति से अपनी भूमि के एक हिस्से के विसर्जन की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि अब मांग ग्राम-समुदाय के पक्ष में साम्पतिक अधिकारों के पूर्ण विसर्जन की थी। यह ग्रामदान की मांग थी-गांव की सारी जमीन को एक जगह जमा करना और संपूर्ण ग्राम समुदाय को इसका स्वामित्व सौंपना।

भूदान और ग्रामदान आंदोलन के प्रयोग से जो शिक्षा ली जा सकती है, वह यह है कि सबसे पहले यह जरूरी है कि दान के पात्रों में आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता के गुण तथा अपनी जमीन का प्रबंध स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न की जाए। इसके अतिरिक्त नई प्राप्त की गई जमीन का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरी भौतिक और

⁴⁸ बावेल, बसन्तिलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 52

तकनीकी साधनों का प्रावधान भी आवश्यक है। संक्षेप में, ये लोग अभी भी गांधी जी के ग्राम स्वराज और आर्थिक विषमता को मिटाने के लक्ष्य से काफी पीछे थे।

पंचायतों और कृषक-संगठनों ने इन कार्यक्रमों को लागू करने में अतिषय प्रभावी भूमिका निभाई। पट्टेदारों के नामों का लेखा तैयार करने का कार्यक्रम, ऑपरेशन बर्गा (ओ.बी.) के नाम से जाना जाता है, इसे पहले नौकरशाही के द्वारा आरंभ किया गया। बाद में पारंपरिक पद्धति की कमी की पूर्ति नौकरशाही और पंचायत के बीच व्यावहारिक संबंधों को स्थापित करके की गई।

पंचायत समितियों को भूमि के आबंटन कार्यक्रम को पूरा करने का काम सौंपा गया था। पंचायत समिति के स्तर पर भूमि-सुधारों की एक स्थायी समिति है, जो इस काम को करती है। यह समिति, ग्राम पंचायतों और कृषक संगठनों की मदद से उन लोगों की सूची तैयार करती है, जिन्हें अधिकार में आई हुई भूमि आबंटित की जाती है।

81वाँ संशोधन कहीं भूमि सुधारों के क्रियान्वयन न होने के फंदे में न जा पड़े, इसके लिए राजनीतिज्ञों में राजनैतिक पार्टियों में शिखर से लेकर निचले स्तर तक नौकरशाही में दृढ़ समर्पण की आवश्यकता है और आवश्यकता है, भूस्वामियों के हृदय परिवर्तन की। उनकी द्रुत क्रियान्वयन के लिए भूमि सुधारों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। साथ ही ये कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है।

भूमि का पुनः आबंटन ग्रामीण गरीबों की बड़ी संख्या को एक स्थायी पूंजी/संपत्ति का आधार प्रदान कर सकता है, ताकि वे भूमि पर आधारित और इससे जुड़े हुए उद्यमों को अपना सकें। उसी प्रकार खेती की जमीन का एकीकरण, काश्तकारी के नियम और लेखा प्रमाणों का नवीनीकरण छोटे और सीमांत खेतों के मालिकों की खेती की तकनीक को सुधारकर साधनों के निवेश की पहुंच को विस्तृत बना देगा और उपज को बढ़ाने में सीधा योगदान करेगा।

2.3 भारत एवं म.प्र. की पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था का विकास :-

आधुनिक भारत में पंचायती राज की कल्पना न तो आकस्मिक है और न ही आश्चर्यजनक। प्रत्येक युग में पंचायती व्यवस्थाएँ ऐतिहासिक रूप से भारत में विद्यमान रही। वैदिक काल से ही भारत में ग्राम प्रशासन, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्र इकाई मानी जाती रही है। ऋग्वेद, विष्णुपुराण एवं मनुस्मृति में इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत ग्रामीण जीवन के सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करती थी और पंचायत के निर्णय सर्वमान्य होते थे।

वर्तमान में देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। स्वस्थ प्रजातंत्र की मांग है कि ग्रामीण शासन को सीधे संपर्क हो और शासन की भागीदारी करें। इसकी पूर्ति 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत से हुई, लेकिन वास्तविक लाभ से हितग्राही वंचित रहे। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गहन विमर्श पश्चात् भारत में पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से सत्ता को विकेन्द्रीकृत करने पर अपनी स्पष्ट राय दी कि ग्रामीण नगरीय नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर दिया जाए।⁴⁹

12 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधानमण्डल ने सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 का नागौर जिले (राजस्थान) में पंचायती राज का उद्घाटन किया। आज भारत में लगभग 237935 ग्राम पंचायतें, 7324 जनपद पंचायत, 594 जिला पंचायतें कार्यरत हैं।

⁴⁹ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000): पंचायत राज एवं महिला नेतृत्व : प्रथम संस्करण 2000, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ. 122

भारत के विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। हम यहां पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास का अध्ययन करेंगे।⁵⁰

प्राचीन भारत में पंचायतें :-

पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द “पंचायतन” से हुई है, जिसका अर्थ है, पांच व्यक्तियों का समूह (महात्मा गाँधी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पांच व्यक्तियों की सभा से लिया है। ‘पंचायतराज’ किताब में उन्होंने लिखा है कि गाँव का शासन चलाने के लिए हर साल गाँव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जायेगी), जिसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बलिंग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें।

‘प्राचीन भारत में स्थानीय सरकार’ संबंधी विषय का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन काल, वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। हमारे देश में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जानकारी हमें प्रारंभिक साहित्य जैसे वेद, रामायण व महाभारत उपनिषद व जातक कथाओं में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में स्थानीय सरकार के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सजीव चित्रण किया गया है।

वैदिक काल एवं बौद्धकाल :-

वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। वैदिक काल में आर्य लोग अधिकतर ग्राम निवासी थे और यही कारण है कि प्राचीन समय से ही भारत में “ग्राम” प्रशासन का केन्द्र बिन्दु रहा है। प्राचीन भारत में नगर की भूमिका कम ही थी। ऋग्वेद में गांव के ‘क्षेत्र’ को उर्वरा नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ‘सभा’ और समितियाँ

⁵⁰ जोशी, आर. पी., मंगलानी रूपा (2013); भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 11

जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का वर्णन किया जाता है। “सभा और समिति का प्रधान पुरुष ‘ग्रामीणी’ कहलाता है तथा ग्रामीणी ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्ता होता था।

बौद्धकाल में भी ग्राम परिषदें होने का उल्लेख मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य से पता चलता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख काम ग्राम भूमि की व्यवस्था करना व शांति सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना था। स्मृति ग्रंथों में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि वैदिक एवं बौद्ध काल में पंचायतों ग्रामीण जनहित के कार्यों में संलग्न थी। रामायण, महाभारत काल में इनका काफी विस्तार व विकास हो चुका था।

चाणक्य ने ग्राम को एक राजनीतिक इकाई माना है। चाणक्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में ग्रामिक का उल्लेख किया है। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। पंचायत में ग्रामिक का स्थान महत्वपूर्ण था “गुप्तकाल में इन परिषदों के केन्द्रीय भारत में पंच मंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था।

मुगल काल :-

भारत में “स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का ह्रास हुआ” इस काल में पंचायतों का अस्तित्व था परन्तु विदेशी आक्रमणों का भारत में पंचायतों की स्थानीय स्वशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन जब मुस्लिम शासकों के पैर यहां अच्छी तरह जम गए तो उन्होंने जागीरदारी प्रथा आरंभ की। इस प्रथा में जागीरदारी राजस्व एकत्र करता था। इसने परम्परागत स्थानीय स्वशासन को कमजोर बना दिया। पंचायतों का उपयोग सामान्यतः कर वसूल करने के लिए किया जाता है, प्रत्येक गाँव में एक मुखिया होता था, क्योंकि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार ने कर वसूल करने तथा शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व मुखिया को सौंप दिया। मुगलों को जो भी व्यवस्था किसानों और जमींदारों तथा मध्यमवर्गीय नागरिकों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया जो करदाता और प्रशासन के बीच बिचौलिया बनकर उभरा। इस काल में अकबर का शासन अच्छा रहा, किन्तु वह भी संवैधानिक तानाशाह था।

निर्माणकाल :-

भारत में अंग्रेज व्यापार बनकर आए थे, शनैः शनैः, वे देश में सबसे बड़ी शक्ति बन गए। अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कंपनी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में उसने अपनी जड़े मजबूत कर ली। उनका मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाना और शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। अपने पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने भूमि सुधार, जमींदारी, रैयतबाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रशासन की इकाइयों के रूप में प्रान्त, जिले, तहसीलें, उपजिले या तालुके स्थापित किये। इन दोनों बातों ने स्थानीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई। नई राजपूत व्यवस्था ने अपनी क्रूर कुशलता से ग्रामों में भारतीय स्वशासन से संस्थाओं का रूप ले लिया। कहा जा सकता है कि मुगल शासनकाल में ग्राम स्वशासन के विनाश का जो प्रारंभ हुआ था, ब्रिटिश काल में वह पूर्ण विनाश तक पहुंच गया। अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए स्थानीय शासन को निम्नलिखित 5 चरणों में विभाजित किया है।

प्रथम चरण :-

सन् 1767 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वितीय ने एक राजपत्र द्वारा मद्रास में नगर निगम की स्थापना की। इसके पश्चात् सन् 1793 में एक और राजपत्र द्वारा तीनों प्रेसीडेंसी (मद्रास, बम्बई और) में एक-एक नगर पार्षद न्यायालय (Mayor's Court) की स्थापना की गई। इसके पश्चात् इसका विस्तार किया गया। इस प्रकार से नगरीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ।

सन् 1870 में लार्ड मेयो का प्रस्ताव प्रकाशित जिसमें सत्ता का केन्द्र से प्रांत के पक्ष में विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव रखा। लार्ड मेयो को स्थानीय प्रशासन का पितामह कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने स्थानीय स्तर पर स्वायत्त शासन को लागू करने पर जोर दिया।

द्वितीय चरण :-

आधुनिक भारत में लार्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय सरकार का जनक माना जाता है। सन् 1882 में लार्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जो स्थानीय शासन का एक नया दर्शन प्रस्तुत करता था और इसलिए इस प्रस्ताव को भारत में स्थानीय शासन का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

लार्डरिपन के उपरोक्त प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में मील का एक पत्थर माना जाता है, क्योंकि इससे लोकतंत्र को तो बढ़ावा मिला ही साथ ही इन संस्थाओं की अधिक स्वायत्ता भी हासिल हुई। इसी काल में 1907 में “राजकीय विकेन्द्रीकरण’ आयोग की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य था, स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के दोषों व कमियों को उजागर करना।

तीसरा चरण :-

सन् 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया और दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने भी गति पकड़ ली। माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। प्रान्तों में द्वैध शासन लागू हुआ, किन्तु स्थानीय स्वशासन सुधारने और पंचायतों को स्थापित करने की दिशा में बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकी।

चौथा चरण :-

सन् 1937 से 1947 के मध्यप्रदेश में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग जोरों पर रही, इस दिशा में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारें भी बनी। कहीं-कहीं पर जनपद योजना लागू किया गया, किन्तु पंचायतों की स्थापना की दिशा में विशेष काम नहीं हुआ।

हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान गाँवों की जीवन और शासन पद्धति में संशोधन और उन्नयन के प्रयास नहीं हुए।

2.5 भारत का संविधान एवं पंचायती राज :-

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पर नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन पहले ही, दिसम्बर 1946 में किया जा चुका था। संविधान सभा में जब उद्देश्य और लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमें स्वतंत्र भारत में पंचायतों के स्थान, भूमिका आदि का उल्लेख नहीं था। 29 अगस्त 1947 को संसदीय मामलों के मंत्री ने एक ऐसी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि संविधान के मसौदे की समीक्षा कर संशोधन के लिए आवश्यक सुझाव दे सके। इस कार्य के लिए सात सदस्यों की समिति बनाई गई। इसके सदस्य थे सर्वश्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंषी, सैयद मो. साहुला, बी.एल. मित्तर तथा डी.पी. खेतान। समिति द्वारा संशोधित मसौदा संविधान सभा 4 नवम्बर 1948 को प्रस्तुत किया।⁵¹

संविधान सभा में गांधीजी के शिष्य श्रीमान् नारायण ने जब पंचायती राज का गांधीवादी मसविदा प्रस्तुत किया। संविधान सभा में जब इस बात की मांग हुई कि पंचायतों को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जायेगी तो डॉ. अम्बेडकर ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि पंचायतों ने तो जब भारत पर कोई आक्रमणकारी आया तो अपने ढोर अपने बाड़ों में बंद कर लिए और घर में घुस गये तथा आक्रमणकारी का कोई मुकाबला नहीं किया। जबकि भारतीय प्रजातंत्र का मूल आधार पंचायती राज है। महात्मा गांधी ने अपने ग्राम प्रधान देश की वास्तविकता को समक्ष कर ही प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव हेतु पंचायती राज पर अधिक जोर दिया था। गांधीजी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से निर्मित राज्य पंचायत एवं राष्ट्र पंचायत की संरचना करना चाहते थे। अनुच्छेद 40 के

⁵¹ अशोक शर्मा (1995): 'भारत में' स्थानीय प्रशासन' आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 134

अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रभावी कदम उठायेगा। पंचायती राज की स्थापना। इसकी शुरुआत का श्रेय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया है।⁵²

स्वतंत्र भारत की सरकार ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया। अप्रैल 1949 में स्थानीय वित्तानुसंधान समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1953 में कर जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आजादी के बाद योजनाओं का युग शुरू हुआ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम :- 1952 में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया था कि आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता को सामुदायिक विकास योजनाओं से दूर ही रखा गया तथा उक्त कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता कम थी एवं इसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका ज्यादा रही। डॉ. रजनी कोठारी ने लिखा है कि “सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का मुख्य कारण यह था कि इसे सरकारी मुकदमें की तरह चलाया गया और गांवों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की सरकारी मशीनरी के विस्तार पर ज्यादा जोर दिया गया। यही बात अमेरिकी लेखक “रेनहार्ड बेंडिक्स ने कही है—सामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लपफाजी थी।

1957 में योजना आयोग ने एक अध्ययन दल गठन किया गया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का अध्ययन कर उनकी कमियों तथा सफलताओं पर अपना प्रतिवेदन देना। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि लोकतांत्रिक

⁵² मलिक, शमशेर सिंह (2002): द पंचायती राज, आलेख पब्लिशर्स जयपुर। पृ. 23

विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की जानी चाहिए।⁵³

बलवंतराय मेहता समिति:—

बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट 24 नवम्बर 1957 को सरकार की सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में पहली बार विकेन्द्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ था कि जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को हमारे देश ने अपनाया है। इस समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा विस्तार सेवा का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने स्वीकार किया और उसके बाद सभी राज्यों ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई। राजस्थान पहला राज्य था, जिसने पंचायती राज की शुरुआत की नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया। इसके बाद इसे आंध्रप्रदेश ने 1959 से ही पंचायती राज की शुरुआत की। गठन के बारे में समिति के सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. ग्राम पंचायत स्तर पर चुने गए सदस्यों में दो महिलाएँ, एक सदस्य अनुसूचित जाति से व एक अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।
2. ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाए।
3. इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की सिफारिश भी की गई थी।
4. पंचायत समितियों के प्रधानों के अलावा सांसद व राज्य विधानसभा के सदस्य भी जिला परिषद् के सदस्य होंगे।

⁵³ अशोक शर्मा (1995): 'भारत में' स्थानीय प्रशासन' आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर। पृ. 144

5. जिला परिषद पंचायत समितियों व सरकार के बीच कड़ी का काम करें।

अशोक मेहता समिति :-

12 दिसम्बर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन हुआ। इस समिति के उद्देश्य इस प्रकार थे :-

1. राज्यों तथा केन्द्र-प्रशासन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में वर्तमान स्थिति का और जिला स्तर से ग्राम स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षण करना ताकि कमियों व त्रुटियों का पता लगाया जा सके। मुख्य रूप से संसाधन जुटाने के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने के संबंध में सुझाव देना।
2. चुनाव प्रणाली सहित, पंचायती राज संस्थाओं की गठन पद्धति की जांच करना तथा पंचायती राज व्यवस्था के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन।
3. भविष्य में सम्मिलित ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि के संबंध में सुझाव देना।
4. पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न, सहकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच सहयोग पूर्ण संबंध के बारे में सिफारिशें देना।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 21 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की। ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने जी.वी.आर. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

जी.वी.के. राव समिति :-

योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन 25 मार्च 1985 को ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1985 में प्रस्तुत की। समिति ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए निम्न सुझाव दिए।

1. योजनाएँ तैयार करने, निर्णय लेने व उसे लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए, क्योंकि वे जनता के अधिक निकट हैं। राज्य की शक्ति को जिला स्तर पर पंचायतों को सौंपना आवश्यक है।
2. जिला स्तर के सभी कार्यकाल स्पष्ट रूप से जिला परिषद् के अधीन होने चाहिए।
3. जिला परिषदों की विभिन्न समितियां गठित की जानी चाहिए।
4. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का कार्य वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए।
5. जिला स्तर के नीचे पंचायत समिति या मण्डल पंचायतें गठित की जानी चाहिए और इनका गठन और संरचना जिला परिषद जैसी होनी चाहिए।
6. पंचायत समिति या ग्राम व मण्डल पंचायत स्तर पर बच्चों, महिलाओं व प्रौढ़ों के कल्याण के लिए उपसमिति का गठन होना चाहिए।

एल.एम. सिंघवी समिति :-

एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 16 जून 1986 को पंचायती राज संबंधी प्रपत्र जारी करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई, जिसने 27 नवम्बर 1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायत का अवलोकन व मूल्यांकन करने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की। इनमें प्रमुख सिफारिशें पंचायती राज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए था, ताकि इन्हें राजनीतिज्ञों और नौकरशाही हस्तक्षेपों से दूर रखा जाए। समिति ने पहली बार पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा भी तैयार किया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया, ताकि जनता अधिक से अधिक पंचायत के कार्यों में सहभागी बन सके।

सरकारिया आयोग :-

सरकारिया आयोग जिसकी स्थापना केन्द्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए की गई थी, स्थानीय निकायों का भी वित्त और कार्य की दृष्टि से और अधिक मजबूत करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी महसूस किया कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से समय पर होते रहने चाहिए।

1988 के आखिर में पी.के. थुंगन समिति की अध्यक्षता में गठित संसदीय सलाहकार समिति की एक उप-समिति ने पंचायती राज प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने की सिफारिशें की। इसकी सिफारिशों में एक खास सिफारिश यह थी कि पंचायती राज निकायों की कानूनी मान्यता दी जाए। इसी तरह 1989 में पी.एन. गाडगिल के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी ने तीन स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, जिसकी ठीक पांच वर्ष का कार्यकाल होगा और इसमें अनुसूचित जाति/जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की कमियों को दूर करने के लिए संविधान (64 वां संशोधन) विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया।

2.6 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से आज तक का विकास:-

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों ने अपने कानून बना लिए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पाण्डिचेरी और गोवा (जिला परिषद) को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने चुनाव सम्पन्न करवा लिए हैं। देश में ग्राम स्तर पर 2,27,698 पंचायतों, मध्य स्तर पर 5906 पंचायतों और जिला स्तर पर 474 पंचायतों के

चुनाव करवा दिए हैं। ये पंचायतें सभी स्तर के लगभग 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।⁵⁴

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए 1989 में संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, जो पारित नहीं किया जा सका। सन् 1991 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस (आई) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। इसी उद्देश्य के अनुरूप नरसिंहराव के नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) की सरकार ने 16 सितम्बर 1991 को संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसे 22 दिसम्बर 1992 को स्वीकृति दे दी। इसे संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम से जाना जाने लगा। 24 अप्रैल 1994 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक भाग, भाग 9 संविधान में जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें 15 उप-अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं।

ग्राम सभा :-

243 (A) 'ग्राम सभा' एक ऐसा निकाय होगा, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्रामसभा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों को संपन्न करेगी।

पंचायतों का गठन :-

प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा, जिसमें

⁵⁴ सिंह, हरज्ञान, (1985): 'पंचायती राज इन हरियाणा', इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव। पृ. 122

संपूर्ण पंचायत क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जायेगा, जितने सदस्य उस क्षेत्र से निर्वाचित किए जायेंगे। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रमुखों का मध्यवर्ती पंचायतों में तथा मध्यवर्ती पंचायतों के न होने पर जिला स्तरीय पंचायतों के प्रमुखों का जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। पंचायत का प्रमुख तथा पंचायत के अन्य सदस्य चाहे वे पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित हो या न हो मात्र ही पंचायतों की सभाओं में वोट देने का अधिकार से युक्त होंगे।

ग्राम स्तरीय पंचायतों के प्रमुख का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। मध्यवर्ती या जिला स्तरीय पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन इन पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

स्थानों का आरक्षण :-

अनुच्छेद 243 (D) में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये स्थान आरक्षित होंगे। यह स्थान पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किये जायेंगे। यह स्थान एक पंचायत में चक्रानुक्रम से विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में आरक्षित किये जायेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुछ स्थानों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे 'जिसमें' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान भी सम्मिलित है।

पंचायतों का कार्यकाल :-

अनुच्छेद 243 (E) के अनुसार यदि पंचायत की कार्यावधि 5 वर्ष होगी। इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व ही नए चुनाव कराये जायेंगे। यदि पंचायत को 5 वर्ष से

पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव करवाने होंगे।

अयोग्यताएं :-

यदि किसी व्यक्ति को किसी विधि के अधीन विधानमण्डल का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह पंचायत का सदस्य बनने के भी अयोग्य होगा। परन्तु पंचायत का सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष जो विधानमंडल का सदस्य बनने के लिये अनिवार्य होती है। (अनु. 243 एफ)

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व :-

राज्य विधान-मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। इस विधि के अंतर्गत की गई शर्तों के अधीन होगा। जो अमुक विषयों से संबंधित है।

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए, जिसके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं, जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय के संबंध में है, क्रियान्वित करना। (अनु. 243 जी)

पंचायतों के चुनाव :-

भारत संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य विधि द्वारा पंचायतों के चुनावों संबंधी सारे मामलों की व्यवस्था कर सकता है।

पंचायतों के चुनावों के नियंत्रण, निगरानी तथा निर्देशन और चुनाव सूचियाँ तैयार करने सम्बन्धी सभी शक्तियाँ अनु. 243 के. के अधीन राज्य के चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इस आयोग का सदस्य एक चुनाव आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त

किया जायेगा, जो उसकी पद शर्तें निर्धारित होगा। परन्तु ऐसा विधानमण्डल द्वारा पारित कानून के अधीन किया जा सकता है।

एक बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाने पर उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उसको हानिकारक हो। उसको तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, जब तक वहीं कारण न हो और वहीं प्रणाली न अपनाई गई हो जो उच्च न्यायालय, न्यायाधीश को हटाने के लिये अपनाये जाते हैं।

चुनावों मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं :-

अनु. 243 ओ. के द्वारा न्यायालयों को पंचायत चुनावों के लिये चुनाव क्षेत्र निश्चित करने तथा इन चुनाव क्षेत्रों के लिये सीटें आवंटित करने में हस्तक्षेप से मनाही कर दी गई है। पंचायत चुनाव सम्बन्धी झगड़े एक चुनाव याचिका द्वारा किसी ऐसे अधिकारी के सम्मुख और ऐसी प्रणाली द्वारा पेश किये जा सकते हैं जो विधि राज्य विधान मण्डल निश्चित करें।

11वीं अनुसूची :-

अनु. 243 जी. में उन विषयों का उल्लेख है, जो इस संघोधन द्वारा पंचायतों को दिये गये हैं। इन विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में दी गई है जो इस प्रकार है:- जिसमें 29 विषय हैं।

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार भी है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल-आच्छादन विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग तथा मुर्गी पालन।
5. मछली पालन।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उत्पादन।

8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. पेयजल।
10. ईंधन और पशु भोजन।
11. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
12. ग्रामीण आवास।
13. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है।
14. सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
15. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।
16. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
17. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
18. पुस्तकालय।
19. ऊर्जा के गैर परम्परागत संसाधन।
20. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ
22. व्यापार केन्द्र तथा मेले।
23. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, दवाखानों सहित स्वास्थ्य और सफाई।
24. स्त्री तथा शिशु विकास।
25. समाज कल्याण तथा मानसिक अवरोध और विकलांग का कल्याण।
26. कमजोर वर्गों विशेषतयः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
27. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था।
28. सामुदायिक सम्पत्ति का संरक्षण।
29. खाद्य संसाधन उपयोगों सहित लघु उद्योग।

क्रियान्वयन :-

73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक एकरूपता लाने का प्रयास है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि इन संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी रहे। इसमें प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र में कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें एक ऐसा प्रावधान रखा गया है। यदि उचित समझे तो पिछली जाति के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान रख सकते हैं।

आधुनिक भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता देने का महत्वपूर्ण कार्य युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने किया था। हमारे महानगरों, शहरों, कस्बों और गाँवों में तो विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं, काम कर रही हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वे भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रतीक हैं।

निष्कर्ष:-

भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास की अवधारणा पर आधारित है। बिना गाँव का विकास किये भारत के तीव्र आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंचायती राज का तात्पर्य लोगों के उस अधिकार से है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपने लिये विकास योजनाओं का प्रारंभ कर सकते हैं और जिन्हें स्वतंत्रतापूर्वक क्षेत्रीय उत्थान के लिये कार्यान्वित और परिचलित कर सकते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का पर्याय है। भारत में पंचायती राज का महत्व बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक दल भी पंचायतों के चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे हैं। पंचायतों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि पंचायतों के कार्यकर्ता और अधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना

है। पंचवर्षीय योजनाओं और विकास के कार्यक्रमों को सुलझाने के लिए भी पंचायतों को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा दिये जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इससे पंचायतों के गठन में एकरूपता आयेगी और इनके निर्वाचन नियमित होंगे।

अध्याय – तृतीय

“मध्यप्रदेश में पंचायती राज”

3.1 मध्यप्रदेश में पंचायती राज

3.2 मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास

3.3 मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम

1993

3.4 मध्यप्रदेश में पंचायती राज का क्रियान्वयन

अध्याय तृतीय

मध्यप्रदेश में पंचायती राज

3.1 मध्यप्रदेश में पंचायती राज:-

1 नवम्बर 1956 को नए मध्यप्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्यभारत, महाकौशल, विन्ध्यप्रदेश पूर्ववर्ती सी.पी. बरार एवं भोपाल की रियासतों को सम्मिलित किया गया। नए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। मध्यप्रदेश की भौगोलिक आकृति

में एक परिवर्तन पुनः उस समय आया, जब छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया है। 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के उपरांत नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जा चुका है। इन परिवर्तनों के बाद भी ये प्रान्त देश का हृदय स्थल है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसे 'मध्यप्रदेश' कहा जाता है।⁵⁵

मध्यप्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहां की ग्रामीण जनसंख्या जनता जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य करती है। जनता प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। कृषकों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य, सुविधाओं की न्यूनता, बेरोजगारी, आवास की कमी, निर्धनता के साथ-साथ कई सामाजिक व संस्थागत समस्याएँ प्रति वर्ष कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यह अवस्था प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में देखी जा सकती है।⁵⁶

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने का संकल्प म.प्र. शासन ने किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्था की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। जनसंख्या के आधार पर स्थानीय निकायों का वर्गीकरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में किया है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में ये निकाय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।⁵⁷

पंचायती राज स्थापना :-

⁵⁵ कुमार, प्रमिला "मध्यप्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,, भोपाल, 2006। पृ.-8

⁵⁶ श्रीवास्तव, नरेन्द्र, "भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन व उपलब्धियों" नार्दन बुक सेन्टर,, नई दिल्ली 2004। पृ.-13,14

⁵⁷ बावेल बसन्तिलाल (2010): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 22

संविधान के 73वें संशोधन के तहत 29 दिसम्बर, 1993 को मध्यप्रदेश विधानसभा में “मध्यप्रदेश पंचायत राज विधेयक 1993” प्रस्तुत किया गया तथा 30 दिसम्बर 1993 को विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। 19 जनवरी 1994 को पंचायतों के निर्वाचन कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 25 जनवरी, 1994 को मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करवाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।⁵⁸

त्रिस्तरीय पंचायतें :-

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई है। पंचायतों के तीन स्तर हैं—ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था है। वर्तमान में 1,64,064 महिलाएं, 71,105 अनुसूचित जाति, 1,44,736 अनुसूचित जनजाति तथा 62,606 अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि पंचायत राज व्यवस्था के दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के पश्चात् पंचायतों के कार्यों एवं कर्तव्यों में समन्वय हेतु जिला एवं जनपद पंचायत में सामान्य, प्रशासन, कृषि, शिक्षा, संचार, सहकारिता, उद्योग, वन तथा महिला एवं बाल विकास विभागों की समितियों का भी गठन किया गया है।⁵⁹

तालिका क्रमांक – 3.1

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज

क्र.	पंचायत	पद नाम	कुल
1	जिला पंचायत	अध्यक्ष	51
2	जनपद पंचायत	अध्यक्ष	313
3	ग्राम पंचायत	सरपंच	23012

⁵⁸ सिंह, हरज्ञान, (1985): ‘पंचायती राज इन हरियाणा’, इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव। पृ. 11

⁵⁹ मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 1999–2000, 2011 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल, मध्यप्रदेश।

स्रोत:- मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 1999-2000, 2011 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल, मध्यप्रदेश।

पंचायतों के आर्थिक क्रियाकलाप:-

पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें सरकार की ओर से विभिन्न कार्य सौंपे गये इन कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु वित्तीय साधनों का एक भाग सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तथा कुछ आय स्वयं पंचायतों द्वारा अर्जित की जाती है परन्तु यह आय बहुत सीमित होती है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों का एक भाग ही सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः इन संस्थाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए स्वयं के वित्तीय साधनों का विकास करना चाहिए।

पंचायतों के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु बजट तैयार किया जाता है। यदि वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित एवं सुनियोजित नहीं बनाया जाए तो कार्य और श्रम दोनों ही निरर्थक हो जाएंगे। अतः व्यवस्थित रूपरेखा के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। इसे हम बजट के रूप में देखते हैं।

ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में तथा निश्चित तारीख तक जैसा उचित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करती है। बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसी रीति में जैसा उचित किया जाये, अनुमोदित किये जाते हैं। पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को उचित नियम में प्रस्तुत की जाती है।⁶⁰

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता:-

प्रदेश के ग्रामीण जीवन को रोजगार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है-

1. लघु कृषक सीमांत कृषक 2. मजदूर 3. कारागीर (शिल्पकार एवं दस्तकार)। ग्रामीण

⁶⁰ मलिक, शमशेर सिंह (2002): द पंचायती राज, आलेख पब्लिशर्स जयपुर। पृ. 43

विकास का मूल लक्ष्य निर्धन और ऋण ग्रस्त लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। यही वजह है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग निर्धनता के कुचक्र में फंस गये हैं।⁶¹

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर पंचायतों को अधिक सुदृढ़ तथा अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तीव्रता लायी जा सके। म.प्र. में ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कर उन्हें भी अधिकार सम्पन्न बनाया गया, क्योंकि गाँवों के विकास के बिना देश की कल्पना निरर्थक होगी। महात्मा गांधी ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को स्वराज की कुँजी बताया और कहा कि “हमारी आजादी की नई इमारत की नींव पुरानी ग्राम पंचायतों के आधार पर रखनी चाहिए।”

पंचायत राज व्यवस्था सत्ता को विकेन्द्रकरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है, मध्यप्रदेश में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण “पंचायती राज और “जिला सरकार” एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं अर्थात् शासन के अन्य स्तरों में निम्न स्तरों को शक्ति का हस्तांतरण करना है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का क्रियान्वयन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है। “पंचायती राज” व्यवस्था साथ ही म.प्र. सरकार ने जिला सरकार के माध्यम से साकार किया गया है।⁶²

पंचायती राज के सोपान

लोकसभा
(केन्द्र स्तरीय पंचायत)



⁶¹ मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 1999-2000, 2011 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल, मध्यप्रदेश।

⁶² रानी आशु (1999): महिला विकास कार्यक्रम : प्रथम संस्करण 1999, इनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 53

विधानसभा
(राज्य स्तरीय पंचायत)

जिला पंचायत
(जिला स्तरीय पंचायत)

खण्ड या जनपद पंचायत
(खण्ड स्तरीय पंचायत)

ग्राम पंचायत
(ग्राम स्तरीय पंचायत)

3.2 मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास:-

देश की स्वतंत्रता के बाद म.प्र. के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। इसमें पंचायती राज स्थापना के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए। कौन-कौन सी योजनाएँ बनी ? संविधान 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत म.प्र. में पंचायती राज के क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयास हुए इन सब का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे।

अल्तेकर का कहना है कि “अति प्राचीन काल से ही भारत के ग्राम शासन व्यवस्था की धुरी रहे।” वैदिक काल में राज्यों का आकार छोटा होने के कारण गाँवों का महत्व अधिक था। वाल्मीकि रामायण में दो प्रकार के गाँवों का उल्लेख किया है—घोष और ग्राम। इनके अधिकारियों को क्रमशः घोष महत्तर एवं ग्राम महत्तर कहा जाता था। घोष का आकार छोटा होता है रामायण में एक अन्य अधिकारी ‘ग्रामणी’ का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी घोष तथा ग्राम का वर्णन देखने को मिलता है। घोष प्रायः उन क्षेत्रों को कहते थे जो कि जंगलों के पास होते हैं तथा वहाँ के लोग गोप अथवा गायों के रखवाले होते हैं। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के अनुसार गाँव के अधिकारी को ‘ग्रामिक’ कहते हैं। प्रो. रजनी कोठारी ने लिखा है कि “राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शीतापूर्ण कार्य या पंचायती राज की स्थापना करना। इसमें भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है।”

भारत में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर स्थानीय संस्थाओं के निर्माण प्रारंभ करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेहरू का लोकतांत्रिक विश्वास था। सन् 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत से सरकारी कर्मचारी रखे गए।⁶³

⁶³ जैन प्रतिभा, शर्मा संगीता (2003): भारतीय स्त्री राजनीतिक संदर्भ : प्रथम संस्करण 2003, रावत पब्लिशर्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ. 158

इसके लिए आवश्यक था कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थाओं को आरंभ करके स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण किया जाए। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे विचारकों ने पंचायती राज केन्द्रीकरण की सभी बुराईयों को रामबाण औषधि माना।

सन् 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए श्री बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज का प्रारंभ अविलम्ब करना चाहिए।⁶⁴

मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर देश में पंचायती राज आरंभ हुआ। इसके स्वरूप में विभिन्न राज्यों में कुछ अंतर था, किन्तु फिर भी कुछ बातों में समानता थी, जैसे पंचायती राज के तीन स्तर थे –

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
2. खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर जिला परिषद्

इतना ही नहीं पंचायती राज में स्थानीय स्तर पर काम करने की आजादी थी। इस योजना में पंचायती राज का कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं था।

राजस्थान पहला राज्य था, जिसने बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट को लागू किया। सन् 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री) ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्रप्रदेश में लागू हुआ। कुछ ही वर्षों में कई राज्यों में

⁶⁴ बावेल बसन्तिलाल (2010): "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ.

त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई, किन्तु कई राज्यों ने अपनी आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर दिया गया। उदा. महाराष्ट्र ने जिला परिषद् को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तर बनाया। तमिलनाडु ने राजस्व जिला को दो तीन विकास जिलों में बाँट दिया और प्रत्येक की अपनी जिला परिषद बनायी। असम और हरियाणा ने दो स्तरीय व्यवस्था स्थापित की जम्मू-कश्मीर, केरल, मणिपुर तथा त्रिपुरा ने केवल पंचायतों की स्थापना की मेघालय और नागालैंड ने पंचायती राज के सम्बन्ध में कोई कानून पारित नहीं किया।⁶⁵

1956 से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था :-

सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार म.प्र. का निर्माण हुआ, इसमें मध्यभारत, भोपाल और विन्ध्यप्रदेश के क्षेत्रों को मिला दिया गया। इससे पूर्व ये अलग-अलग क्षेत्र थे और इसमें पंचायती राज के अलग-अलग प्रयास हुए यहाँ उनका उल्लेख किया जा रहा है।

मध्यभारत में सन् 1949 में मध्यभारत पंचायत विधान पारित किया गया और विभिन्न स्तरों पर पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से भोपाल राज्य में सन् 1952 पंचायत अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियमों में केवल ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान था।

मध्यप्रदेश का जो रूप आज हमारे सामने है, वह आधुनिक भारत का तीसरा रूप है, ब्रिटिश शासनकाल में इसका रूप चीफ कमीशनरी का था। स्वतंत्रता के बाद में इसके साथ विदर्भ भी सम्मिलित था। राज्य पुनर्गठन के बाद (1956) में म.प्र. में महाकौशल छत्तीसगढ़, बस्तर, मध्यभारत तथा विन्ध्यप्रदेश शामिल थे, अब म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम

⁶⁵ मलिक, शमशेर सिंह (2002): द पंचायती राज, आलेख पब्लिशर्स जयपुर। पृ. 9

200 के अनुच्छेद 3 के द्वारा छत्तीसगढ़ म.प्र. का हिस्सा न रहकर स्वतंत्र राज्य बन गया है। 1 नवम्बर 1956 को नवीन म.प्र. राज्य की स्थापना हुई।⁶⁶

नवीन म.प्र. राज्य बनाने के 44 वर्ष बाद म.प्र. का विभाजन कर 1 नवम्बर 2000 को नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। विभाजन के पश्चात् म.प्र. का क्षेत्रफल 308 हजार किमी. और जनसंख्या 60348023 है –

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. की जनसंख्या 7,26,26,809 है, जिसमें पुरुष 3,76,12,306 एवं महिलाएं 3,50,14,503 है।

महाकौशल क्षेत्र:—

मध्यप्रदेश स्थानीय शासन के स्वीकृत होने के कारण इस क्षेत्र में पंचायत प्रणाली आरंभ हुई। वर्ष 1956 में नया मध्यप्रदेश पंचायत विधान बनाया गया, जिसे 1957 में लागू किया गया। नगरपालिका के कार्य ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायतों को न्याय के कार्य सौंपे गये। ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1500 रखी गई तथा 500 से कम जनसंख्या वाले अधिकार, संशोधन कर सरकार ने अपने हाथ में रखा, जिसके लिये विशेष ढांचा एवं परगना पंचायतें, आदिम जाति पंचायतें किसी भी ग्राम के लिये अथवा ग्रामों के समूह के लिये स्थापित की जा सकती थी। परगना पंचायतों का गठन आदिम जाति पंचायतों के एक समूह को मिलाकर करने का प्रावधान किया गया।

सन् 1956 के सी.पी. एण्ड बरार अधिनियम में यह प्रावधान था कि ग्राम पंचायतों के पंचों के प्रथम बार सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाये।

⁶⁶ राजपूत उदयसिंह “मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास : दशा एवं दिशा” ‘मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, ‘मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, मध्यप्रदेश, जनवरी-दिसम्बर 2006। पृ.-75

नवीन मध्यप्रदेश की स्थापना के समय महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में 6116 ग्राम पंचायतें, 802 न्याय पंचायतें, 87 आदिम जाति तथा 17 परगना पंचायतें कार्यरत थी। इसके अतिरिक्त 57 जनपद सभा भी कार्य कर रही थी।⁶⁷

मध्यभारत क्षेत्र :-

मध्यभारत की स्थापना के पूर्व इस क्षेत्र की कई रियासतों में पंचायत प्रणाली प्रचलित थी। 1929 में होल्कर राज्य में तथा नगरसिंगढ़, ग्वालियर आदि में पंचायतें स्थापित की गईं। 1948 में मध्यभारत के क्षेत्र का निर्माण होने के कारण प्रदेश में पंचायत प्रणाली में समानता की दृष्टि से मध्यभारत पंचायत अधिनियम 1949 को लागू किया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय संस्थाएँ निम्नानुसार हैं –

1. मण्डल पंचायतें – जिला स्तर पर
2. केन्द्र पंचायतें – खण्ड स्तर पर
3. ग्राम पंचायतें – ग्राम स्तर

इन संस्थाओं को अलग-अलग अधिकार सौंपे गये। उनके बीच अन्योन्य संबंध स्थापित किया गया। यह एक अपने ढंग का प्रयोग था। न्याय के लिये न्याय पंचायत की स्थापना की गई।

नवीन मध्यप्रदेश के निर्माण के समय मध्यभारत पंचायत अधिनियम 1949 के अंतर्गत 4088 ग्राम पंचायतें, 107 केन्द्र पंचायतें, 16 मण्डल पंचायतें तथा 480 न्याय पंचायतें कार्य कर रही थी।

⁶⁷ श्रीवास्तव, नरेन्द्र, “भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन व उपलब्धियाँ” नार्दन बुक सेन्टर, नई दिल्ली 2004। पृ.-13,14

विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र :-

1948 में विन्ध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद 1949 से ग्राम पंचायत अध्यादेश द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया गया। यह अध्यादेश 1951 से क्रियान्वित हुआ। एक पटवारी सर्कल अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत गठित की गई। बाद में अनुभव के आधार पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर तथा पंचों की संख्या 5 से 15 तक रखी गई थी। ग्राम पंचायतों की कार्यावधि 3 वर्ष थी।

ग्राम पंचायतों के अनिवार्य एवं एच्छिक दो प्रकार के कार्य थे—न्याय के लिये न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। इस तरह विन्ध्यप्रदेश में निम्न व्यवस्था की गई—

1. ग्राम पंचायतें
2. न्याय पंचायतें

नये मध्यप्रदेश के गठन के समय इस क्षेत्र में 585 पंचायतें कार्यरत थी। ग्राम पंचायतों का दो तिहाई व्यय सरकार वहन करती थी। सन् 1947 में पहली बार शाही फरमान द्वारा पंचायतें स्थापित की गई। 1905 में भोपाल 'सी' राज्य बना, 1952 में भोपाल पंचायत राज एक्ट बना जिसे 1953 में क्रियान्वित किया गया। प्रयोग के लिये शुरू में 7 तहसीलों में ही पंचायतें स्थापित की गई। ग्राम सभा पंचों का निर्वाचन करती थी। सरकार पटेलों की नियुक्ति करती थी, जो ग्राम पंचायत में निर्वाचित पदों के पदाधिकारी माने जाते थे। सदस्य संख्या 15 से 30 तक होती थी। ग्राम पंचायत के अनिवार्य एवं एच्छिक दो प्रकार के कार्य थे। आय के स्रोत कर तथा अनुदान थे। न्याय पंचायतें का प्रावधान था, पर गठित नहीं की गई थी, सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही गठन किया गया था।

नवीन मध्यप्रदेश के निर्माण इस क्षेत्र में 507 ग्राम पंचायतें कार्य कर रही थी।

“इस प्रकार 1955 में राज्य पुर्नगठन के अवसर पर राज्य के 63173 ग्रामों में 12,533 ग्राम पंचायतें, 1876 न्याय पंचायतें, 107 केन्द्र पंचायतें, 2 तहसील पंचायतें, 16 मण्डल पंचायतें, 57 आदिम जाति पंचायतें, 17 परगना पंचायतें थी और प्रत्येक घटक के अपने-अपने पंचायत विधान के अंतर्गत कार्यरत थी।”

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 11 जुलाई 1989 को जारी अध्यादेश के द्वारा राज्य में फरवरी 1989 में निर्वाचित 11,252 ग्राम पंचायतों के हरिजन, आदिवासी तथा महिला सरपंचों सहित सभी सरपंच और पंच विधिवत निर्वाचित घोषित किये गये हैं, उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर दिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को अधिक अधिकार की घोषणा तथा जवाहर योजना लागू किये जाने से विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका बढ़ गई है। मध्यप्रदेश सरकार के इस कदम से अब ये अपनी सक्षमता से काम कर रही है। मध्यप्रदेश द्वारा परिसीमन के फलस्वरूप नवगठित ग्राम पंचायतों तथा वे ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल माह जुलाई में समाप्त हो रहा था कि कार्य संचालन के लिए अशासकीय समितियों के गठन के निर्देश शासन द्वारा अलग से जारी किये गये जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों के सभी वर्तमान पंच इस समितियों के सदस्य होंगे।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्य पालिका की ग्राम पंचायतों के सरपंच के पदों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित करने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार को प्रत्यायोजन निरूपित करते हुए इस धारा को अवैध ठहराने का जो निर्णय दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए म.प्र. द्वारा पंचायत अधिनियम के धारा 15 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित की गई। नई धारा में ग्रामीण आबादी के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सरपंच के पदों के आरक्षण की सुस्पष्ट तथा सुपरिभाषित व्याख्या की गई है। नये प्रावधान के अनुसार आबादी के अनुपात में 14.52 प्रतिशत सरपंचों के पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 27.78 प्रतिशत के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये गये हैं।⁶⁸

⁶⁸ सिसोदिया, यतिन्द्र सिंह (2000):, पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 48

मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की गई धारा के प्रावधान 3 नवम्बर 1988, जिस दिन से मध्यप्रदेश पंचायत संशोधन अधिनियम 1988 से लागू करने की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत अधिनियम के संबंध में दरार याचिकाओं का निराकरण करते हुए दिये गये आदेश को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश द्वारा किये गये नए प्रावधान से उन सभी 11252 ग्राम पंचायतों का चुनाव वैध हो गया है, जिसका निर्वाचन 6 से 11 फरवरी 1989 के बीच हुआ था।

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों में पंचों तथा सरपंचों के पद के लिए महिलाओं के लिये आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, उसे म.प्र. उच्च न्यायालय ने उस प्रावधान के विरुद्ध दायर याचिकाओं को निरस्त करते हुए विधि न्याय निरूपित किया है।

इस अध्यादेश द्वारा पंचायत अधिनियम में यह नया प्रावधान किया गया है कि यदि शासन को यह समाधान हो जाता है कि पंचों तथा सरपंचों में निर्वाचन संभव नहीं है तो इसे यह अधिकार होगा कि वे कलेक्टर को निर्वाचित पंचों तथा सरपंचों के नामों की अधिसूचना के जारी होने के बाद पंच तथा सरपंच निर्वाचित घोषित माने जायेंगे और कार्य सम्पादन के लिये सक्षम होंगे। इसमें यह शर्त शामिल है कि अधिसूचना जारी होने के छः माह के अन्दर पंचों का सहयोजना तथा उपसरपंचों के पद पर निर्वाचित अनिवार्य रूप से करना होगा।

किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाने की दशा में अथवा पहली बार पंचायत का गठन होने या पंचायत भंग होने आदि की स्थिति में पंचायतों में कार्य सम्पादन के लिये समिति गठन का अधिकार भी इसी अध्यादेश द्वारा शासन को दिया गया है। ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिये गठित समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या ग्राम पंचायत की कुल वार्डों की संख्या से एक अधिक होगी। इस समिति का एक प्रावधान भी नियुक्त किया जावेगा। इस समिति को ग्राम पंचायतों

के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इस समिति का कार्यकाल अधिकतम 6 माह तक रहेगा। जिसे पंचायतों के पदाधिकारियों का निर्वाचन न हो सकने की स्थिति में राज्य शासन अगले छः माह और बढ़ा सकेगा।

मध्यप्रदेश शासन ने पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये गंभीर निर्णय लिया तथा प्रदेश की 11,252 ग्राम पंचायतों में से जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, वहाँ पर दुबारा चुनाव कराने के निर्देश दिये गये। इन कार्यों की निगरानी के लिये शासन ने एक समिति का गठन किया है।⁶⁹

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायतों का निर्वाचन दिसम्बर 1988 में प्रारंभ की गई थी। किन्तु म.प्र. उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण मतदान शुरू नहीं हो सका। न्यायालय से खुलासा आदेश के उपरांत चुनाव मतदान की प्रक्रिया 16 जनवरी 1989 से पुनः प्रारंभ हुई और 6 से 11 फरवरी तक 11252 पंचायतों के पंचों और सरपंचों के पदों के लिये मतदान हुआ।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लगभग एक हजार याचिकाओं के माध्यम से नवम्बर 1988 में मध्यप्रदेश के पंचायत अधिनियम 1981 में हुए संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसी याचिकाओं पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खण्डपीठ ने 30 जून 1989 को फैसला किया। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण तथा अन्य संशोधनों को तो मान्य रखा, किन्तु धारा 15 (2) तथा निगम (1) को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इसमें कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार दे दिये गये हैं। उच्च न्यायालय ने हरिजन एवं आदिवासियों के लिए सरपंच के पदों के आरक्षण के सिद्धांत को मान्य रखा।

⁶⁹ सिसोदिया, यतिन्द्र सिंह (2000):, पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 48

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1962⁷⁰:-

1 नवम्बर 1956 को नवनिर्मित नये म.प्र. में से एक घटक विलीन हुए महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल, सिरोंज (अनुविभाग) इन सभी जगहों पर भिन्न-भिन्न पंचायत अधिनियम प्रचलित थे। इन पृथक अधिनियमों के एकीकरण और एक समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से नवीन म.प्र. में सन् 1962 में पहली बार मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रदेश के तीन स्तरों की पंचायत सभा प्रणाली का प्रावधान किया था। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 11 जुलाई 1962 को पंचायत अधिनियम (1962) को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। 20 जुलाई 1962 को यह अधिनियम प्रकाशित हुआ। अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निधि स्थापित करेगी और उसे बनाए रखेगी जो "पंचायत निधि" कहलायेगी। इस निधि के तहत राज्य शासन के द्वारा ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि, ग्राम पंचायत द्वारा संग्रहित कर, उपकर, पथकर, जुर्मान पंचायत क्षेत्र के कचरे, मृत पशुओं की खाल आदि के विक्रय से प्राप्त आय रहेगी।⁷¹

पंचायत राज अधिनियम 1981⁷²:-

1962 के पंचायत राज अधिनियम के दोशों एवं कमियों तथा व्यवहारिक प्रयोग के पश्चात् स्पष्ट हुए अभावों को दूर करने के लिए म.प्र. शासन ने 1981 में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1981 बनाया। इस अधिनियम में कुल 126 धाराएँ थी, जबकि पूर्व अधिनियम में 393 धाराएँ थी। 1981 के अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भू-राजस्व की संपूर्ण निर्धारित रकम इन संस्थाओं को देने का प्रावधान भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

⁷⁰ मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962

⁷¹ सिसोदिया, यतिन्द्र सिंह (2000); पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 48

⁷² पंवार मिनाक्षी :- म.प्र. में पंचायती राज और ग्रामीण विकास - क्लासीकल प्रकाशन, नई दिल्ली

जनजाति के लोगों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। साथ ही इन वर्गों के सदस्यों की पंचायत प्रमुख के रूप में भागीदारी पूर्णतः सुनिश्चित की गई। 2 अक्टूबर 1985 को म.प्र. शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था विधिवत लागू की गई। तीनों स्तरों की पंचायतों को उनके फलस्वरूप तथा उसके निर्वहन के लिए पर्याप्त साधन तथा स्रोत सौंपे गए।

मध्यप्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1988⁷³ :-

केन्द्र की मंशा को मापते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने म.प्र. पंचायत अधिनियम 1981 को संशोधित करने के लिये 1988 में संशोधित अध्यादेश जारी किया, जिसे बाद में विधेयक के रूप में पारित कर निम्न परिवर्तन किये -

1. महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के लोगों को पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया।
2. पंचायतों के चुनाव के एक वर्ष तक पंचों व सरपंचों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की मनाही की गई। एक बार अविश्वास प्रस्ताव की असफलता दुबारा एक वर्ष की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी मनाही कर दी गई तथा कार्यकाल पूरा होने के छः माह पूर्व भी अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकेगा, इसमें पंचों में स्थिरता आयेगी।
3. अब सरपंचों का चुनाव चुने गये पंचों द्वारा न होकर सीधे जनता द्वारा किया जावेगा, जिससे पंचायत प्रमुख जनता की प्रति उत्तरदायी हो सके।
4. अब एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में नहीं रह सकेगा।
5. कोरम के अभाव में किसी पंचायत के भंग होने पर पंचायत के चुनाव छः माह के अंदर करना अनिवार्य कर दिया गया।

⁷³ सिसोदिया यतीन्द्रसिंह:- "पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व", म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन 2000 पृष्ठ 68, 69

6. सन् 1981 के अधिनियम में महिलाओं को सहयोजन किये जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु संख्या निश्चित नहीं थी। इस संशोधन के द्वारा पंचायत प्रमुखों में 10% पद ग्राम पंचायत के पदों में 10% वार्डों के चुनाव 10% स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। भारत सरकार के 64वें संशोधन के संसद से पारित हो जाने पर ये आरक्षण अपने आप मध्यप्रदेश में भी 30% हो जावेंगे।
7. संशोधन विधेयक के सुरक्षित कोश की स्थापना की गई है, जिसमें पंचायत की आय का 5 प्रतिशत जमा होगा, उसका उपयोग किसी आकस्मिकता के लिए किया जावेगा।
8. राजस्व निरीक्षक के स्तर पर अन्य पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे राजस्व संबंधित मामलों में ग्रामीणों को शीघ्र न्याय मिले।
9. अब जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों की एक माह में कम से कम एक बैठक का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
10. पंचायती राज अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें पंचायत से संबंधित मामलों के जिला अध्यक्षों आयुक्तों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेंगी। मार्च 1989 तक मध्यप्रदेश में ग्रामीण पंचायतों की संख्या 23630 है, जिसमें 3416 पद अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये महिला सरपंचों के लिये 2363 पद आरक्षित किये गये हैं।

पंचायती राज सुधार संशोधन 1989 :-

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लोकसभा में ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पंचायत राज 64 वां संविधान संशोधन 16 मई 1989 को लोकसभा में पेश किया। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं -

1. राज्य सरकार द्वारा कारण बताये जाने पर राज्यपाल पंचायत भंग कर सकता है, लेकिन छः माह में नये चुनाव अनिवार्य होंगे। आदिवासी क्षेत्र में यह कानून लागू करने का अधिकार नहीं दिया गया।

2. पंचायत के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, ताकि गैर पंचायती समितियां उन पर हावी न हो सकें।
3. विधेयक में प्रावधान है कि सभी राज्यों को संविधान संशोधन के एक वर्ष के अंदर पंचायत कानून बनाने होंगे, लेकिन वर्तमान पंचायतों को अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जावेगा।
4. पंचायतों के अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारें निर्धारित करेगी और राज्य सरकार ही फैसला करेगी कि किन करों, शुल्कों, टोलटैक्स आदि का राजस्व पंचायतों को मिले।
5. प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाया गया कि लोकतंत्र का ऊपरी ढांचा काफी मजबूत है, लेकिन उसकी नींव थोड़ी कमजोर है। इसलिए पंचायती संस्थाओं को मजबूत बनाना एक मात्र उपाय है।
6. संविधान में थोड़ा हटकर 30% स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के लिये भी एक गौरव का प्रतीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर 23523 पंचायतें हैं, जिनको नये संशोधन विधेयक का महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन राज्यसभा में पंचायत बिल संशोधन 64वां 12 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। इसके कारण यह पारित नहीं हो सका।

मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 :-

विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया जो नया अधिनियम है, वह है। पंचायती राज अधिनियम 1990 कहलायेगा। इस अधिनियम का मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 1990 को प्रकाशन किया गया। इस नियम के प्रवर्तित होते ही जो परिणाम है, निम्न है—

पंचायत राज अधिनियम 1990 की धारा 127 की उपधारा के अनुसार ये ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें तथा जिला पंचायतें जो निरसीत अधिनियम के अंतर्गत विज्ञप्ति नहीं थी, ये भी विघटित हो गई है। आशा है कि ग्राम पंचायतों का प्रभाव ग्राम पंचायत

के सचिव को दिलाने के संबंध में इस अधिनियम की धारा 85 के अनुसार आदेश प्रसारित किये जा चुके होंगे और ऐसी ग्राम पंचायत के प्रशासकों में अपना कार्य प्रशासक के रूप में आरम्भ कर दिया तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से पंचायत की राशि अभिलेख और सामग्री इत्यादि अपने कब्जे में ले लिया।⁷⁴

मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993:—

73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है। प्रदेश में नवीन पंचायती राज अधिनियम 30 दिसम्बर, 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया एवं 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियमित किया गया, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया है। यह अधिनियम 25 जनवरी, 1994 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू हुआ।

प्रदेश में वर्तमान में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें 23012 ग्राम पंचायतें गठित की है। इनके गठन के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की स्वायत्तशासी एवं निर्गमित इकाई के साथ उनके क्षेत्र के लिए 29 विषयों के लिए सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, उनका कार्यान्वयन करने के संपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ भी पंचायतों को 20 अगस्त 1994 को दी गई है। इस अधिनियम में संशोधन कर 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज की स्थापना की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 52727 ग्राम सभाएँ अस्तित्व में आ गई है।⁷⁵

⁷⁴ तपन भट्टाचार्य "मध्यप्रदेश सामाजिक शोध समग्र" (2011) "ग्रामीण विकास की संभावनाएँ और ग्राम पंचायतें" 301, ईषान अपार्टमेंट, 13/2 स्नेहलतागंज इन्दौर- 452003 (म.प्र.) पेज नं. 54 ISBN-2231-2951.

⁷⁵ राजपूत उदयसिंह "मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास: दशा एवं दिशा" मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, 'मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन मध्यप्रदेश जनवरी-दिसम्बर 2006। पृ.-75

नवीन पंचायती राज व्यवस्था :-

नवीन पंचायती राज में ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई मानकर विकसित करने के उद्देश्यों से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास की योजनायें बनाये व उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है। ग्रामीण विकास से संबंधित बेसिक मूलभूत सुविधायें विकसित करने वाली समस्त योजनायें क्रियान्वित करने हेतु अधिकार सम्पन्न बनाया गया है।

नवीन पंचायती राज के तीन स्तर की गई है।

1. ग्राम सभा व ग्राम पंचायत :-

ग्राम पंचायत और ग्राम की एक ग्राम पंचायत होती है, जिसकी जनसंख्या 1000 तक आबादी में एक या एक से अधिक ग्रामों के लिए एक पंचायत प्रस्तावित की गई थी। पंचों का चुनाव, वार्डों के अनुसार गुप्त मतदान में किया जाता है। प्रत्येक वयस्क मतदाता को पंचायत चुनाव में मत देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या कम से कम 10 निर्धारित की गई है। यदि किसी ग्राम पंचायत की संख्या 1000 से अधिक हो तो 1000 से अधिक प्रत्येक 250 की जनसंख्या का एक पंच रखने का प्रावधान है। परन्तु किसी भी दशा में चुने गये पंचों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती।

2. जनपद पंचायत :-

हर विकासखण्ड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया गया है। प्रत्येक जनपद पंचायत में सदस्यों की संख्या विकासखण्ड की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार शासन ने अपने पास रखा है। जनपद पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई भी पंच हो सकता है। क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदान करने का अधिकार दिया गया है।

3. जिला पंचायत :-

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत का गठन किया गया है। हर पंचायत का गठन 5 सालों के लिए किया जावेगा। राज्य में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में सम्पन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावी राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार कराने, सभी चुनावों को सम्पन्न कराने, निर्देशन देने और नियंत्रण करने के सभी अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होंगे।

राजीव गांधी का कहना है कि “पंचायतें एक ऐसी क्रान्ति है, जो विकास की ज्योति की हमारे लाखों गाँवों तक पहुंचाएगी। यह ऐसी क्रान्ति है, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगों और हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात् भारतीय महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल देगी। यह क्रान्ति मनमौजी ढंग से प्रशासन को समाप्त कर देगी तथा प्रशासन को प्रतिनिधित्वपूर्ण उत्तरदायी और संवेदनशील बनाएगी।

पंचायती राज तीन स्तरों की है—ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर। किन्तु इसमें लचीलापन रखा गया है। जिसके अंतर्गत बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती संस्थाएँ बनाने या न बनाने के मामले में छूट दी गई है।

तीनों स्तरों पर चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। ग्राम पंचायतों के सरपंच, मध्यवर्ती संस्थाओं के सदस्य तथा अध्यक्ष जिला स्तर की पंचायत समितियों के सदस्य बना सकते हैं।

पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष रखा गया है और पांच वर्ष पूरे होने पर चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायत भंग किए जाने की स्थिति में छः महीने के अंदर नयी पंचायत को चुनने के लिए चुनाव कराना आवश्यक है।

सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार कराने सभी चुनावों को सम्पन्न कराने, निर्देशन देने और नियंत्रण कराने के सभी अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होंगे।

सभी पंचायत समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार कुल सीट की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाएँ लागू करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों के निर्धारण पर विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य के हर पांच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगा।
- राज्यों को अधिकार दिया गया है कि पंचायतों को कर वसूल करने की अनुमति देने अथवा राज्य का कुछ भाग उन्हें उपलब्ध कराने सम्बन्ध में स्वयं फैसला करें।”

इसके अलावा पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की सशक्त और अधिकार सम्पन्न इकाई बनाने के उद्देश्य से अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि राज्य विधानमण्डल चाहे तो उनके कार्य संचालन के लिए आवश्यक अन्य अधिकार भी प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएँ तैयार करने के बारे में अधिकार देने पर भी यह प्रावधान लागू होता है।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज का क्रियान्वयन :-

पंचायती राज अधिनियम 1993 के पश्चात् प्रदेश में लगातार पंचायतों के विकास हेतु योजनाएँ बनने लगी, जिनके द्वारा निरंतर ग्राम पंचायतों के विकास में वृद्धि होती चली गई। जिसका अध्ययन पूर्व में ही किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग से वित्त व्यवस्था करना प्रारंभ किया, जिसके सन् 1995-96 में जिला तथा जनपद पंचायतों की क्रमशः 14.65 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

सन् 1996-97 के दौरान समेकित निधि से 30922 ग्राम पंचायतों की 152.33 करोड़ की राशि देने की राज्य वित्त आयोग की सिफारिश मान ली गई। राज्य सरकार ने कुल आय की 2.91 प्रतिशत राशि पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जो कि 1997-98 में 167.30 करोड़ तथा 1998-99 में 189.11 करोड़ रुपये थी।⁷⁶

मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है, जहाँ 73वें संविधान के पालन हेतु सबसे पहले नवीन पंचायती राज अधिनियम (30 दिसम्बर की विधानसभा द्वारा पारित एवं 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमति) पारित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई। 25 मई 1994 में चुनाव कराकर प्रदेश में 30922 ग्राम पंचायतों में 452507 पंच, 30922 सरपंच एवं उपसरपंच 459 जनपद पंचायतों में 8179 सदस्य 459 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसी प्रकार 45 जनपद पंचायतों में 946 सदस्य, 45 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का निर्वाचन कराया गया।⁷⁷

मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम (1993) में तीनों स्तर की पंचायतों को अपने-अपने स्तर की पंचायतों को उत्तरदायित्व कर्तव्य और अधिकार दिए गए। अधिनियम और शासन की मंशा जिसे मुख्यमंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया, यह है कि शक्ति स्रोत पंचायत घर बने और ग्राम स्वराज की स्थापना हो। जैसा कि गांधीजी का स्वप्न भी था अर्थात् पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र के विकास, उत्थान और प्रगति के लिए तो उत्तरदायित्व होगी

⁷⁶ राकेश गौतम "म.प्र. एक परिचय" (2012) म.प्र. पंचायती राज, पेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008 पेज नं. 12-28

⁷⁷ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000); पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर। पृ. 48

ही साथ ही अपने-अपने क्षेत्र का स्वशासन भी करेगी। पंचायतों के पदाधिकारीगण, सदस्य एवं पंच और सभी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का भली-भांति सही और सक्षमता से निर्वहन कर पाये, इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई। मध्यप्रदेश में पंचायत-व्यवस्था मूलतः “मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1962” के द्वारा नियंत्रित होती है। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन म.प्र. विधानसभा द्वारा 30 दिसम्बर 1993 को 73वें संविधान संशोधन के आलोक में किया गया, जो कि निम्न प्रकार है—

30 दिसम्बर 1993 को म.प्र. विधानसभा में पारित म.प्र. पंचायती राज अधिनियम को 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। 25 जनवरी को मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। 25 मई 1994 को समस्त मध्यप्रदेश में इसके आधार पर चुनाव कराए गए। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में पारित, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

1. राज्यपाल द्वारा ग्राम या ग्राम समूह को ग्रामसभा के रूप में गठित किया जाएगा, जिसका सदस्य प्रत्येक वह व्यक्ति होगा, जिसका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची में होगा (धारा 3)।
2. ग्राम सभा के वर्ष में कम से कम चार सम्मेलन किया जाना आवश्यक होगा। (धारा 6 क)
3. प्रत्येक ग्राम के लिए 10 से 20 सदस्यीय ग्राम पंचायत प्रत्येक विकासखण्ड के लिए 500 जनसंख्या पर एक सदस्य (अधिकतम 25 सदस्यीय), जनपद पंचायत तथा प्रत्येक-प्रत्येक जिले के लिए 50,000 जनसंख्या पर एक-एक सदस्य वाली (अधिकतम 35 सदस्यीय) जिला पंचायत का गठन। (धारा 8) उल्लेखनीय है कि 1994 से पहले द्विस्तरीय व्यवस्था लागू थी जिला और जनपद स्तर पर।

4. सभी पंचायतों का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष का होगा, जब तक समय से पूर्व किसी पंचायत को विधिक प्रक्रिया द्वारा विघटित न किया जाए। विघटित होने की दशा में 6 माह में चुनाव अनिवार्य होगा। (धारा 9 ख)।
5. पंचायतों के निष्पक्ष एवं समय पर कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान किया गया, जिसका अध्यक्ष श्री लोहानी को नियुक्त किया गया। (धारा 42)।
6. प्रत्येक विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जिस विकासखण्ड में अ.जा. एवं अ.ज.जा. की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है, वहाँ की ग्राम पंचायतों में सरपंचों के 5 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे (धारा 17 ख)।
7. प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित।
8. ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है तो उपसरपंच अवश्य ही उन वर्गों का होता। (धारा 17 छः)
9. ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच/जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष तथा जनपद एवं जिला पंचायतों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का चुनाव/अप्रत्यक्ष मतदान अर्थात् सदस्यों द्वारा होगा।
10. जनपद एवं जिला पंचायतों में भी सदस्यों एवं अध्यक्षों के लिए अ.जा. एवं अ.ज.जा. का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। जहाँ एक उक्त आरक्षित वर्गों की जनसंख्या आधे से कम होगी, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित।
11. ग्राम जनपद तथा जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

12. तीनों स्तरों की पंचायतों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और उनके कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत के लिए "ग्राम पंचायत सचिव" जनपद और जिला पंचायत के लिए "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
13. पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्रोतों के बढ़ाने हेतु उन्हें अपने क्षेत्र में कर लगाने, वसूलने का अधिकार दिया गया है।
14. पंचायतों की कार्यवाहियों के निरीक्षण एवं जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिनसे सरकार समय-समय पर जाँच करा सकती है।
15. पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी पंचायत के किसी धन या संपत्ति की हानि या दुरुपयोग (जो उनके कारण हुई) के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
16. सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों 3/4 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर, अपने पद पर नहीं रह जाएगा, किन्तु 3/4 बहुमत उस समय पंचायत के कुल सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के गठन के एक वर्ष तक तथा अवधि समाप्ति होने के अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता है।
17. राज्यों से पंचायत संस्थाओं के लिए वित्त अनुदान दिए जाने हेतु एक वित्त आयोग गठित किया जायेगा। नवगठित म.प्र. वित्त आयोग के अध्यक्ष सवाई सिंह सिसौदिया है।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सम्बन्धः—

तीनों स्तर की पंचायत संस्थाओं को अधिनियम द्वारा सौंपे गए अपने-अपने कार्य सम्पादित करने होंगे। साथ ही तीनों स्तरों के कार्यों में परस्पर समन्वय सामंजस्य भी बना रहे। इसके निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं।

1. जिला पंचायतों को अपने जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना होगा तथा समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन भी देना होगा।
2. जनपद पंचायतों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की समेकित करना, विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान मांगों को राज्य सरकार को भेजने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत का होगा।
3. अपने जिले के विकास से संबंधित क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, निराश्रित महिलाओं युवा कल्याण, बाल कल्याण कार्यक्रम, खेलकूद के संबंध में सलाह देने के कार्य जिला पंचायत को करना है।
4. जिला पंचायत पर पूरे जिले के समग्र विकास के लिए योजना बनाने, उसे लागू करने तथा वित्तीय साधन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है।
5. ग्राम पंचायतों के स्तर पर बनाई गई विकास के कार्यक्रम की वार्षिक योजनाओं की जनपद पंचायतें एकीकृत करेगी।
6. राज्य सरकार तथा जिला पंचायतों के अनुमोदन से अन्य सौंपे गए कार्यों को सम्पादित करना भी जनपद पंचायत की जिम्मेदारी है। इस प्रकार जनपद पंचायत की ग्राम एवं जिला पंचायत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका सौंपी गई है।
7. ग्राम पंचायत प्रत्येक विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। योजना किसी भी स्तर से क्यों न बनाई जाए, उसे लागू ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
8. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं को जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत की स्वीकृति तथा वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए भेजा जायेगा।

9. ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला पंचायत से आवश्यकतानुसार सहयोग तथा मार्गदर्शन माँग सकती है।

इस प्रकार पंचायत राज के तीनों स्तरों पर जहाँ एक और अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहीं पर दूसरे के कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन करने की भी जिम्मेदारी है, जिससे आपसी तालमेल बना रहता है।

ग्राम सभा:—

ग्राम सभा शासन द्वारा सामान्यतः एक हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम या पार्श्वस्य ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की गई होती है। राज्य शासन द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र एवं अधिकार स्पष्टतया अंकित होता है और उसके सदस्यों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए होते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच ग्राम सभा के क्रमशः पदेन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं।

ग्राम सभा के सम्मेलन की प्रक्रिया:—

ग्राम सभा का सम्मेलन वर्ष में कम से कम चार बार अवश्य ही सचिव द्वारा बुलाया जायेगा। 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अंदर विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकेगा। जिला पंचायत, कलेक्टर एवं जनपद पंचायत के निर्देश पर भी 30 दिन के अंदर सम्मेलन बुलाया जा सकेगा। ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच करेगा। ग्राम सभा के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे—

1. ग्राम पंचायत के लेखाओं का वार्षिक विवरण।
2. पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट (आय—व्यय) का ब्यौरा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा।
4. पिछड़े वर्ष के अंकेक्षण (ऑडिट) का प्रतिवेदन।
5. कोई अन्य विषय जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर इस संबंध में कोई बात रखने की अपेक्षा करें।

ग्राम पंचायत:—

प्रत्येक ग्राम पंचायत सभा की एक ग्राम पंचायत होती है, जिसमें सामान्यतया दस निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक हजार से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक दो सौ पचास व्यक्तियों की इकाई के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य होता है, किन्तु निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या बीस होती है।

ग्राम पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया:—

म.प्र. पंचायती राज अधिनियम की धारा 44 के अनुसार ग्राम पंचायत का सम्मेलन एक माह में कम से कम एक बार सरपंच द्वारा बुलाया जाना आवश्यक है। यदि सरपंच माह में 1 बार सम्मेलन नहीं बुला पाता है तो पिछले सम्मेलन की तिथि से 12 दिन होते ही ग्राम पंचायत का सचिव सम्मेलन, बुलाने की सूचना जारी करेगा। ग्राम पंचायत के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से अधिक होगी। किन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित की गई। बैठक के बाद अगली बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के नाम उपस्थिति पंजी (रजिस्टर) में लिखे जाएंगे और के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठक में :

1. पिछले माह में पंचायत द्वारा प्राप्त आमदनी तथा किए गए व्यय की मदवार जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
2. निर्माण कार्य की प्रगति विवरण पर चर्चा होगी।
3. फसलों की स्थिति और यदि किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप या कीड़ों की प्रकोप हो तो उसके संबंध में चर्चा होगी।
4. मजदूरी की दरों की स्थिति से सदस्यों को अवगत कराना और आवश्यक चर्चा करनी होगी।
5. ग्राम छोड़कर बाहर जाने वाले परिवारों के संबंध में कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा कर इस पलायन को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा।

6. निराश्रितों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना होगा।
7. ग्राम पंचायत में गठित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और प्रस्तावों को बैठक में प्रस्तुत करना और चर्चा पर निर्णय करना।
8. अन्य विषय (अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधि की अनुमति से) प्रस्तुत करवाना और चर्चा पर निर्णय करना।

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार एक बार अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर 6 माह के भीतर दुबारा विचार नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि 3/4 सदस्य लिखित सहमति देते हैं या विहित अधिकारी के द्वारा उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं तो इस विषय पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत के कार्य:—

पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख म.प्र. पंचायती राज अधिनियम (1993) की धारा 49 में किया गया है। जो निम्न हैं :-

1. स्वच्छता, सफाई, जल-मल निकासी की व्यवस्था।
2. सार्वजनिक तालाब, कुँओं का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव।
3. ग्रामीण सड़कों, पुलों, बाँधों तथा खनिज उपयोगिता के अन्य साधन तथा भवनों का निर्माण, रखरखाव और उनकी सफाई।
4. नालियों, शौचालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण।
5. मार्गों के अतिक्रमण को हटाना व रोकना।
6. मार्गों व प्रकाश की व्यवस्था करना।
7. मनोरंजन, खेल तमाशों, दुकानों, भोजनग्रहों, पेय पदार्थों, मिठाई, फलों, दूध आदि के विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी।
8. व्यक्तिगत निर्माणों को नियोजित रूप से नियंत्रण रखना।
9. सार्वजनिक भूमि पर ग्राम में अंत्येष्टि का स्थान निर्धारित कराना।

10. शवों, पशु शवों की अंत्येष्टि का स्थान निर्धारित कराना।
11. कचरा एकत्र करने के स्थान को निर्धारित करना।
12. मांस के विक्रय तथा जांच की व्यवस्था एवं नियंत्रण।
13. ग्राम पंचायत की संपत्ति का संरक्षण।
14. काजी हाउस (आवारा और लावारिस पशुओं को रखने का स्थान) का प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों को रखना।
15. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण।
16. स्थायी बाजारों तथा मेलों से भिन्न बाजार मेलों की स्थापना, प्रबंध व व्यवस्था करना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारिता को बढ़ावा देना।
17. जन्म, मृत्यु, विवाहों के अभिलेखों का रख-रखाव।
18. रोगों का रोकथाम तथा जनगणना जैसे कार्यों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहायता करना।
19. अशक्त व निराश्रितों की सहायता करना।
20. युवा परिवार कल्याण, खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
21. जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था।
22. आग की रोकथाम व लग जाने पर बुझाने की व्यवस्था करना।
23. वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण करना।
24. दहेज जैसी सामाजिक बुराईयां दूर करना।
25. निर्धन व गंभीर रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था।
26. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जनकल्याणकारी कार्य करना।

27. राज्य सरकार, कलेक्टर या अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए अ.जा./ अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की दशा सुधारने के उपायों के साथ-साथ अस्पृश्यता निवारण के निर्देशों या आदेशों को लागू करना।

28. जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये कार्य। (इन विषयों में ग्राम पंचायत इनके अंग या यंत्र के रूप में कार्य करेगी)।

29. जिला पंचायत द्वारा सौंपे गए कार्य। (इन विषयों में ग्राम पंचायत इनके अंग या यंत्र के रूप में कार्य करेगी)

सौंपे गए निम्नलिखित कर्तव्यों को भी पंचायत सम्पादित करेगी।

1. घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का नियमन करना।
2. पशु वध का नियमन करना।
3. पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लगातार प्रयास करना।
4. कार्यशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का विनिमन करना।
5. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य।

ग्राम पंचायत के विवेकाधीन कृत्यः—

ग्राम पंचायतों के मुख्य विवेकाधीन कृत्य निम्न है :—

1. वृक्षारोपण
2. धर्मशाला, सराय, सार्वजनिक घाटों आदि का निर्माण
3. खेल-कूद के मैदान, क्लब, व्यायामशाला, पार्क, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था।
4. पशुवध — ग्रह निर्माण एवं देखभाल
5. निरूपाय या निराश्रितों की सहायता
6. सामुदायिक केन्द्र चलाना

7. अस्वास्थ्यकर स्थानों को सुधारना
8. लोक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की देखभाल
9. हाटों, कृषि व औद्योगिक प्रदर्शनियों तथा सार्वजनिक त्यौहारों का प्रबंध।
10. सहकारी कृषि की उन्नति
11. स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था।

ग्राम पंचायतों के विकास कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व :-

पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 जिसका संबंध ग्राम के बहुमुखी विकास से है, इनमें से विकास कार्यों से संबंधित उत्तरदायित्वों का यहां उल्लेख किया जा रहा है।

1. सार्वजनिक, कुँओं, तालाबों का निर्माण इनकी मरम्मत संरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय करना।
2. पशुओं के लिए स्नान तथा कपड़े धोने के लिए जल प्रदाय स्रोतों का निर्माण तथा संरक्षण।
3. ग्रामीण सड़कों, कुँओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण व संरक्षण।
4. सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुँओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण व संरक्षण।
5. वृक्षारोपण तथा पंचायती वनों का संरक्षण एवं इनके क्षेत्र को विकसित करना।
6. ऐसे कृत्य जो राज्य सरकार, कलेक्टर या विकास हेतु नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिए गए निर्देश/विशेष आदेशों के द्वारा निर्देशित किए जाएंगे।
7. जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य कार्य जिनका किया जाना विकास के लिए अति आवश्यक समझा जाए।
8. ग्राम की नालियों, रास्तों में प्रकाश व्यवस्था।

9. मूत्रालय, संडास, फलश लेट्रीन का निर्माण एवं नियमन।
10. राज्य शासन या विहित अधिकारी द्वारा सौंपे गए विकास कार्य।
11. पंचायत के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की भूमि उपलब्ध कराना।
12. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के उत्थान का प्रयास करना व आवश्यक कदम उठाना।

इन समस्त विकास कार्यों के दायित्व की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की योजना प्रारूप तैयार करना होगा। योजना प्रारंभ का अर्थ है कि विशेष कार्य को करने से इसका लाभ किसे और कितना होगा तथा ग्राम के लिए इसकी क्या उपयोगिता होगी। इस कार्य पर कितना संभावित व्यय होगा तथा इस व्यय की अनुमानित राशि में से पंचायत अपने स्वयं के साधनों से कितना व्यय कर सकेगी।

पंचायत की वार्षिक योजना के हिस्से के रूप में इन प्रस्ताव (योजना प्रारूप) पर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा।

मध्यप्रदेश में नगरीय संस्थाओं का विकास :-

1 नवम्बर 1956 को बने नवीन मध्यप्रदेश का गठन पांच क्षेत्रों 1. महाकौशल 2. मध्यभारत 3. विन्ध्यप्रदेश 4. भोपाल और 5. सिरोंज सब डिवीजन से मिलकर हुआ। इन विभिन्न अंचलों में अलग-अलग अधिनियमों के अनुसार नगर पालिकाओं का प्रशासन हो रहा था। महाकौशल में नगरपालिका का प्रशासन हो रहा था। महाकौशल में नगरपालिका अधिनियम 1922 में लागू था। मध्यभारत के लिए मध्यभारत नगरपालिका अधिनियम, 1954 कार्यरत था। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में विन्ध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1946 प्रचलित था तथा भोपाल राज्य में भोपाल नगर पालिका अधिनियम 1955 के अनुसार शहरी प्रशासन होता था।

इन क्षेत्रों में से महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम स्वायत्त शासन का प्रारंभ तब हुआ जब 1864 में जबलपुर नगर में नगरपालिका स्थापित की गई। रॉयल आर्मी सेनिटेशन

कमीशन की सिफारिशों के प्रकाशित होने के बाद इस क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम (क्रमांक 15 सन् 1867) लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 1867 में लगभग 14 नगर पालिकाएं महाकौशल क्षेत्र में स्थापित की गईं। 1867 के अधिनियम को निरस्त करते हुए 1889 में एक नवीन नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसका स्थान म्युनिसिपल अधिनियम, 1903 ने लिया। इसके पश्चात् 1903 के अधिनियम को निरस्त करते हुए 1922 में सी.पी. एण्ड बरार म्युनिसिपल एक्ट लागू किया गया। महाकौशल क्षेत्र में 1989 से 1956 के बीच 26 नगरपालिकायें स्थापित की गयीं। 1950 में सिटी ऑफ जबलपुर कार्पोरेशन एक्ट 1948 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 1 जून 1950 को जबलपुर नगरपालिका को जबलपुर नगर निगम में परिवर्तित किया गया।

महाभारत के गठन के समय लगभग 20 अलग-अलग नगरपालिका अधिनियम प्रभावशील थे, जो मध्यभारत नगर पालिका अधिनियम लागू होने तक (26 जनवरी 1954) तक प्रभावशाली रहे।

मध्यभारत में सर्वप्रथम इन्दौर में नगरपालिका स्थापित की गयी। इसके बाद वर्ष 1877 में नीमच फ़ैन्टोनमेंट बोर्ड और वर्ष 1887 में लष्कर (ग्वालियर) नगरपालिका स्थापित हुईं। इस प्रकार नवीन मध्यप्रदेश बनने तक मध्यभारत में 48 नगरपालिकायें स्थापित हो चुकी थीं। 30 अक्टूबर 1956 से इन्दौर और ग्वालियर नगरपालिकाओं को नगर निगम में परिवर्तित किया गया।

विन्ध्यप्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1907 में दतिया में नगरपालिका स्थापित की गयी। कुल मिलाकर विन्ध्यप्रदेश में 5 नगरपालिका कार्यरत थीं। भोपाल क्षेत्र में केवल 2 नगरपालिकायें कार्यरत थीं।

सिरोंज को जब नवीन मध्यप्रदेश के विदिषा जिले में सम्मिलित किया गया, तब वहाँ राजस्थान टाउन नगर पालिका एक्ट 1951 लागू था।

पुनर्गठित म.प्र. में नगरीय स्वायत्त शासन के कार्यों में एकरूपता लाने और उनका एकीकरण करने के लिए जुलाई 1957 में म.प्र. शासन ने एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सितम्बर 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में एक साथ लागू किया गया तथा पुराने विभिन्न नगरपालिका अधिनियम 1961 को प्रभावी किया गया। इस अधिनियम के अनुसार ही संपूर्ण प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का शासन किया जाता था। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नगरों का उचित विकास स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान, मितव्ययिता आदि इनके महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। साथ ही इनसे लोकतंत्र निचले स्तर तक पहुंच जाता है और प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति को अपने विकास के लिए कार्य करने का मौका मिलता है, किन्तु अनुच्छेद 40 में अबाध्यकारी स्थापना का प्रावधान होने के कारण राज्य सरकार समय पर चुनाव नहीं कराती थी, चाहे जब भंग कर देती थी। अधिकार भी पर्याप्त नहीं दिए गए थे।

सबसे बड़ी समस्या वित्त की थी और इन पर अधिकारियों का बड़ा कठोर नियंत्रण था। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु केन्द्र सरकार ने 1992-93 में 74वां संविधान संशोधन किया।

संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में भाग 9 तथा उसमें अनुच्छेद 243 में खण्ड (त) से (य) तक अथवा (16) से (33) तक जोड़कर राज्य सरकारों पर इन संस्थाओं की स्थापना एवं नियमित चुनाव संविधानिक बाध्यता लागू की गयी तथा 12वीं अनुसूची में इन संस्थाओं की शक्तियां रखी गयी है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप मध्यप्रदेश में 30 दिसम्बर 1993 को विधानसभा ने मध्यप्रदेश नगरपालिका एवं पंचायती राज विधेयक (1993) पारित किया, जिसको 1996-97 में संशोधित किया गया।

अध्याय – चतुर्थ

“बड़वानी जिले का सामान्य परिचय”

- 4.1 बड़वानी जिले का सामान्य परिचय
- 4.2 जिले में प्राकृतिक एवं भौगोलिक संसाधन
- 4.3 बड़वानी जिले की प्रशासनीक संरचना
- 4.4 जिले में पंचायतीराज एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था
- 4.5 जिले की जनसंख्या एवं साक्षरता स्थिति
- 4.6 जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक स्थिति

अध्याय—चतुर्थ

बड़वानी जिले का सामान्य परिचय

4.1 बड़वानी जिले का सामान्य परिचय:—

बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 में की गई थी। यह एक आदिवासी बहुल जिला है, प्रशासनिक व राजस्व की दृष्टिकोण से इसमें सात आदिवासी विकासखण्ड और 9 तहसीलें सम्मिलित हैं।⁷⁸

बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती हुई नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण भाग में महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। बड़वानी से 8 किमी. दूर सतपुड़ा की पहाड़ी पर 52 गज ऊँची भगवान ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित है जो आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

विन्ध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी आदिमानव की कर्मभूमि रही है। कहा जाता है कि इसी घाटी में मनुष्य ने विकास की सीढ़ी पार की और वह कृषि करने लगा। ग्राम चिखल्दा के समीप नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित ग्राम खापरखेड़ा तहसील बड़वानी के समीप स्थित ग्राम पीपरी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान किये गये उत्खनन कार्य में प्राप्त वस्तुओं ने इस क्षेत्र में आज से 5000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता की गतिविधियों को रेखांकित किया है। सतपुड़ा की पर्वतीय घाटियों में बसे आदिवासी 'झुम' खेती करते थे, जिसके अंतर्गत एक स्थान की कृषि भूमि अनुपजाऊ हो जाने पर वे नये जंगलों में आग लगाकर वहाँ खेती करने लगते थे। बड़वानी रियासत के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के आदिवासियों में यह परम्परा आज भी प्रचलित है।⁷⁹

⁷⁸ जिला सांख्यिकी पुस्तिका बड़वानी, 2011

⁷⁹ कुमार प्रमीला "मध्यप्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,, भोपाल, 2006। पृ.-27

नर्मदा की सोना उगलने वाली इस उपजाऊ घाटी ने अनेक साम्राज्यों का उत्थान एवं पतन देखा है। बड़वानी राज्य के संस्थापक सूर्यवंशी 'गुहिलोत' थे। गुहिल वंशीय होने के कारण वे गुहिलोत कहलाएँ। इनके पूर्वज राजस्थान के 'सिसौदा' नामक स्थान पर काफी समय तक रहे, इसलिये कालान्तर में उन्हें सिसौदिया नाम से जाना जाने लगा। उदयपुर के राणा परिवार के वंषज राजपूत राजस्थान से प्रव्रजित होकर निमाड़ के इस क्षेत्र में अपने पराक्रम के बल पर राज्य करने लगे। कहा जाता है कि बड़वानी रियासत की स्थापना 'धानक' नामक योद्धा ने की थी, जिसने अपनी राजधानी आवासगढ़ बनायी थी। आवासगढ़ में निवास करने वाले आदिवासी आज भी 'अवास्या' उपनाम से जाने जाते हैं।

वर्ष 1640 ईसवी में राणा लिम्बाजी की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र राजा चन्द्रसिंह बड़वानी रियासत का शासक बना। उसने आवासगढ़ को राजधानी के उपयुक्त न पाकर बड़वानी राजधानी बनाया, जो इसके पूर्व 'सिद्धनगर' के नाम से आबाद थी। वर्तमान बड़वानी नगर की नींव डालने का पूर्ण श्रेय राजा चन्द्रसिंह को ही जाता है।

वर्ष 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान बड़वानी रियासत में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीमा नायक के नेतृत्व में विद्रोह का शंखनाद किया था। तात्या टोपे भी अपनी फौज के साथ बड़वानी आये थे और यहां से उन्होंने नर्मदा पार की थी। 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य स्थापित बड़वानी रियासत की आजादी तक कायम रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इसका विलय मध्य भारत में हो गया।

4.2 बड़वानी जिले में प्राकृतिक एवं भौगोलिक संसाधनः—

नवगठित, जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला खरगोन एवं खण्डवा जिलों को मिलाकर इन्दौर संभाग की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। यह जिला 21.37° से 22.22° उत्तरी अक्षांश तथा 74.27° से 75.30° पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है। इस जिले की पूर्वी-पश्चिम सीमा 363 किलोमीटर लंबी है, जबकि दक्षिणी सीमा लगभग 273 किलोमीटर लंबी है, जबकि दक्षिणी सीमा लगभग 273

किलोमीटर है। बड़वानी जिले का कुल क्षेत्रफल 3665 किलोमीटर है। जिले का अधिकांश इलाका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में विन्ध्याचल पर्वतमाला स्थित है, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। बड़वानी जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 500 से 1365 मीटर है।⁸⁰

बड़वानी का तापमान:—

जिले में मौसम विभाग के अनुसार बड़वानी जिले का तापमान गर्मियों में सबसे अधिक रहता है। यहाँ लगभग 45–48 डिग्री तापमान रहता है। इसका कारण सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी गिरती हैं और इसका सीधा परावर्तन बड़वानी शहर पर रहता है, जिस वजह से यहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है।

प्राकृतिक तापमान:—

जिले में विभिन्न किस्म के भू-भाग पाये जाते हैं, जिसमें पहाड़ी जगह, उपजाऊ एवं सपाट क्षेत्र एवं परत वीरान भूमि के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जो पथरीली पहाड़ियों में पाये जाते हैं, जिले का अधिकांश भू-भाग नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। घाटी के उत्तर में विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा है।

ऋतुएँ :-

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु को हम निम्न ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं—

1. ग्रीष्म ऋतु :-

जिले में यह ऋतु मार्च के मध्य से शुरू होकर जून के मध्य तक रहती है, यह साधारणतः शुष्क प्रकार की होती है। बड़वानी, पाटी, अंजड़, ठीकरी व राजपुर तहसीलों में इस ऋतु के दौरान अत्यधिक गर्मी होती है।

2. वर्षा ऋतु :-

बड़वानी जिले में वर्षा का औसत 125.7 मिली मीटर है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र बड़वानी, अंजड़ व राजपुर है। सबसे अधिक वर्षा सेंधवा, पानसेमल, निवाली व खेतिया

⁸⁰ जिला सांख्यिकी पुस्तिका बड़वानी, 2011

में होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में वन अधिक है। सितम्बर माह के अंतिम दिनों में मानसून का वेग कम होने लगता है, जिले की औसत 844.2 मि.मी. (23 इंच) है। जिला बड़वानी एवं राजपुर क्षेत्र में जिले में सामान्यतः जून से सितम्बर माह तक वर्षा होती है परन्तु जुलाई माह में बरसात से भरपूर रहता है। पानसेमल व निवाली तहसील में वनों की अधिकता के कारण अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अतः कृषि उत्पादन की दृष्टि से दोनों ही तहसीलें अच्छी मानी जाती है।

3. शीत ऋतु :-

अक्टूबर माह में पूरे म.प्र. के साथ बड़वानी जिले का तापमान भी 20.9° से 26.6° के बीच रहता है। शुष्क मौसम साफ आकाश एवं मधुर हवाएँ शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएँ हैं। रात का तापमान गिरने के कारण ऊँचे पहाड़ी व पठारी भागों में स्थानीय रूप से पाला व कोहरा छाया रहता है।

वन :-

वन एक महत्वपूर्ण संपदा है। आर्थिक विकास व वातावरण को शुद्ध रखने के लिये वन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बड़वानी जिले के आदिवासी लोग कुछ सीमा तक वनों पर ही निर्भर रहते हैं और वह अपने जीवन यापन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यहां पर मानसूनी व पतझड़ी प्रकार के वन पाये जाते हैं। वनों की अधिक कटाई के कारण अधिकांश पहाड़ियाँ बिना पेड़-पौधे की नजर आती है। मगर अब शासन-प्रशासन द्वारा इन पहाड़ियों पर खुली भूमि एवं सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कर इन्हें हराभरा किया जा सकता है। बड़वानी जिले में अधिकांश वन क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम भाग में हैं।

इस जिले के दूर-दूर तक क्षेत्रों में नीम, बड़, बबूल, पीपल, नीलगिरी, इमली आदि बिखरे हुए वृक्षों के रूप में विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति में दवाई बनाने के लिये नीम, जामुन, आंवला, मसाला बनाने के लिये मिर्च, अदरक, हल्दी, ईंधन के लिये धावडा, इमारती लकड़ी, सागवन, फलों के रूप में अमरुद, जामुन, आम, सीताफल, चिकू, इमली, जामफल, बैर, पपीता आदि मौसमी फल सर्वाधिक पाये जाते हैं।

खनिज सम्पदा :-

बड़वानी जिला खनिज सम्पदा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है फिर भी कुछ क्षेत्रों में खनिज सम्पदा जरूर पाई जाती है। जिनमें प्रमुख है विन्ध्याचल का काला पत्थर जिसमें बड़ी व छोटी आकार की मिट्टी बनाई जाती हैं। जो सड़क, भवन, पुलियाँ निर्माण के कार्य में उपयोगी होती हैं। जिले के कुछ क्षेत्रों में सफेद पत्थर पाये जाते हैं, जिससे चुना बनाया जाता है। नर्मदा नदी से प्राप्त बालू रेत का उपयोग ईंट बनाने प्लास्टर करने व टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। डोलमाईट पत्थर जो कि पानसेमल, पलसूद, निवाली की पहाड़ियों में पाये जाते हैं, जिसका उपयोग डोलमाईट पावडर बनाने के लिए किया जाता है।

प्रमुख नदियाँ :-

बड़वानी जिले में नर्मदा नदी, डेब, गोई व रूपा प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें नर्मदा नदी प्रमुख है। यह शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलकर जिले के ठीकरी तहसील में प्रवेश करती हुई जिले की उत्तरी सीमा रेखा का कार्य करते हुए धार जिले में प्रवेश कर जाती है। विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु इस नदी पर गुजरात राज्य के नवागांव नामक स्थान पर बांध बनाने का कार्य प्रगति पर है।

नर्मदा, गोई, डेब आदि नदियों के अलावा बारहमासी बहने वाले नालों का उपयोग भी सिंचाई कार्य के लिये किया जाता है। जिले में भू-जलस्तर एवं गहराई में पर्याप्त जल संसाधन है, जिसका उचित उपयोग किया जा सकता है।

मिट्टी :-

बड़वानी जिले के दक्षिणी क्षेत्र जिनमें पानसेमल, सेंधवा, निवाली व खेतिया खण्ड आते हैं। इसके अंतर्गत कहीं-कहीं काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जो कपास, गेहूँ, गन्ना व सोयाबीन आदि फसलों के लिये उपयोगी मानी जाती है। जिले के पूर्व व पश्चिमी क्षेत्रों में लाल भूरी व पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जो उड़द, मूंगफली, अलसी, तुअर, ज्वार आदि फसलों के लिये उपयोगी होती हैं।

वनों की कटाई एवं मिट्टी के उचित मात्रा में उपयोग होने के कारण यहां की 15.50% भूमि कृषि के लिए उपलब्ध, मगर बंजर है एवं 20.30% भूमि कृषि के लिए

अनुपलब्ध है, जिसका उपयोग पशुओं के लिये चरागाह के रूप में किया जाता है। अतः बड़वानी जिले के आदिवासियों के आर्थिक विकास हेतु अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिये किया जाना आवश्यक है।

4.3 बड़वानी जिले की प्रशासनिक संरचना :-


प्रशासनिक दृष्टि से बड़वानी जिला दो उपसंभागों तथा बड़वानी और सेंधवा उप-संभागों में विभाजित है। बड़वानी उपसंभाग के अंतर्गत बड़वानी राजपुर एवं ठीकरी सहित कुल तीन तहसीलें शामिल हैं। जबकि सेंधवा, निवाली और पानसेमल तहसीलें उपसंभाग में स्थित हैं।

तालिका क्रमांक – 4.1

बड़वानी जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ (जनगणना 2011)

क्र.	प्रशासनिक इकाई	संख्या
1	तहसील	9
2	विकासखण्ड	7
3	नगर	9
4	ग्रामों की संख्या (2011) की जनगणना अनुसार	696
5	आवास ग्रामों की संख्या	560
6	राजस्व निरीक्षण मण्डल	09
7	पटवारी सर्कल	397
8	पुलिस थानों की संख्या	13
9	पुलिस चौकियों की संख्या	02
10	विधानसभा क्षेत्र—बड़वानी, अंजड़, राजपुर एवं सेंधवा	04
11	नगर पालिकाएँ – बड़वानी एवं सेंधवा	02
12	नगर पंचायतें – पानसेम, खेतिया, राजपुर एवं सेंधवा	04
13	जिला पंचायत	01
14	जनपद पंचायत	07
15	ग्राम पंचायतें	416

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011।




1. बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतें :- जिले में मुख्यतः ग्रामीण परिवेश पाया जाता है। वर्ष 2011 के अनुसार जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1181786 तथा नगरीय जनसंख्या 203873 है। जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के कारण जिले की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता कृषि से ही अपनी आजीविका चला रही है। बड़वानी जिले से खरगोन जिले के विभाजन के बाद बड़वानी जिले में 9 तहसील है।

तालिका क्रमांक – 4.2

बड़वानी जिले में आबाद ग्राम तथा ग्राम पंचायतें (जनगणना 2011)

क्र.	तहसील	आबाद ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत
1	बड़वानी	81	52	1
2	पाटी	59	45	1
3	ठीकरी	50	29	1
4	राजपुर	98	66	1
5	पानसेमल	65	39	1
6	निवाली	59	42	1
7	सेंधवा	59	68	1
8	अंजड़	45	29	1
9	वरला	44	46	1
	योग	560	416	9

स्रोत:- जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, बड़वानी।



बड़वानी जिले में आबाद ग्रामों की संख्या 560 है। जिले में कुल 416 ग्राम पंचायतें हैं तथा 9 जनपद पंचायतें एवं 1 जिला पंचायत है। जिले में सर्वाधिक गाँव राजपुर तहसील में 98 तथा सर्वाधिक ग्राम पंचायत 98 भी सेंधवा तहसील में है सबसे कम गाँव वरला तहसील में 44 तथा सबसे कम ग्राम पंचायत 29 ठीकरी, अंजड़ तहसील में ही है।

बड़वानी जिले में ग्राम पंचायतों के गठन में सामान्य वर्ग के अलावा सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग महिला आदि के लिए ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद आरक्षित किए गए हैं यह आक्षरण पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1999 के अनुसार किया गया है।

4.4 जिले में पंचायतीराज एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था:—

बड़वानी रियासत का क्षेत्र काफी उपजाऊ है। यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन तुअर, मूँग, आँवला एवं उड़द की खेती की जाती है। कपास का उत्पादन भी होता था, लेकिन सन् 1907 तक इस क्षेत्र में गन्ने की खेती प्रचलित नहीं थी। अलबत्र यहाँ अफीम की खेती अवश्य की जाती थी। रबी की फसल में गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, मूँगफली इत्यादि का उत्पादन होता था।

अतीत में बड़वानी के आसपास घने वन आच्छादित थे। प्रायः शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि हिंसक वन्य प्राणी बड़वानी नगर की सीमाओं में प्रवेश कर जाया करते

थे। निवाली इस राज्य का सबसे ठण्डा स्थान माना जाता था, जहाँ जाड़े के मौसम में बर्फ जम जाया करती थी। निवाली से प्राप्त एक प्राचीन शिलालेख में निवाली को हिमगिरी नगर नाम से संबोधित किया गया है। वैसे निमाड़ का यह भू-भाग अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। वनों की कटाई के कारण यहाँ के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बड़वानी रियासत में कोई बड़ा उद्योग नहीं होने से यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी मानसून आधारित खेती पर आश्रित रहे और वनोपज बेचकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। उस समय शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि रियासत की कुल जनसंख्या में केवल 6 प्रतिशत लोग ही शिक्षित थे। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और भी अधिक दयनीय थी। केवल 1 प्रतिशत महिलाएं ही पढ़ी-लिखी थी।⁸¹

इस क्षेत्र के आदिवासी विशेषकर भिलाला अपने उपनाम राजपूतों के समान सोलंकी, चौहान, सिंह आदि रखते हैं और राजपूतों के समान दरबार शब्द से संबोधित किये जाते हैं। गुजरात व राजस्थान से बड़ी संख्या से किसान बड़वानी रियासत में आकर बसे। इनमें पाटीदार व सिर्वी जाति के लोगों की अधिकता है। गुजरात से आये पाटीदार अपने साथ गुजरात की सांस्कृतिक परम्पराओं को लेकर आये जो आज भी जीवित हैं।

व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से बड़वानी में आया बोहरा समाज भी विशिष्ट महत्व रखता है। बहुत से इस समाज के लोग व्यापार के लिये दूर-दराज के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में छोटी-मोटी दुकानें चला रहे हैं। इस्लाम के शिया सम्प्रदाय के ये लोग स्वभाव से विनम्र, मृदुभाषी एवं मिलनसार हैं। बोहरा समाज मूलतः गुजरात से यहां आकर बसा है। आज भी इनके घरों में गुजराती ही आम बोली है।

इसी प्रकार चारण और मेघवाल जातियाँ भी गुजरात से आकर पशुपालन दुग्ध व्यवसाय हेतु यहाँ आकर बस गईं। ये लोग प्रायः सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं। जहाँ ये लोग पशुपालन एवं दुग्ध का धंधा करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान से बंजारा

⁸¹ उपाध्याय, रामनारायण (1980): 'निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास' विश्व भारतीय प्रकाशन नागपुर 1980

जाति के लोग भी मध्यकाल में आजीविका हेतु इस क्षेत्र में आये, जिनका मुख्य व्यवसाय सैन्य सामग्री प्रदान करना है। यह जाति स्थाई रूप से किसी एक स्थान पर नहीं बसती है। कहा जाता है कि गुरुनानक देव जब उत्तर भारत से दक्षिण की ओर इस प्रदेश से होकर निकले थे, तब इस घूमत जाति को एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य करने का उपदेश दिया था।

ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी कार्य कर रही हैं। बड़वानी, चिखल्दा और सेंधवा इनकी गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र हैं। बड़वानी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों सम्प्रदायों के चर्च जिनके द्वारा जिले में कॉन्वेंट स्कूल व आदिवासी बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावास व स्कूल संचालित किये जा रहे हैं।

जैन समाज की आबादी इस जिले में कम है, फिर भी इस समाज का अपना प्रभाव रहा है और उद्योग, व्यापार व व्यवसाय में अग्रणी हैं। प्राचीनकाल से बड़वानी नगर जैन गतिविधि का प्रमुख केन्द्र रहा है। बड़वानी में दिगम्बर जैन मंदिर के अतिरिक्त 12वीं व 13वीं शताब्दी में पर्वतीय चट्टानों को काटकर निर्मित भगवान आदिनाथ जी (52 गजा जी) की 84 फीट ऊँची प्रतिमा है। प्रति बारह वर्ष में यहां महा मस्तभिकाशेख किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ मेला भी आयोजित होता है। यह धार्मिक स्थल, सतपुड़ा की सुन्दर पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

वर्ष 1983 में निवाली के समीप अनेक जैन प्रतिमाएं खोजी गईं व संग्रहित की गईं जो इस क्षेत्र में शैव मतावलंबित के साथ-साथ जैनियों के प्रभाव को प्रकट करती हैं।

भील-भिलाला, बारेला आदि प्रमुख जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएँ व परम्पराएँ हैं। इनकी आर्थिक स्थिति निर्विवादों से चिंताजनक है। वनों के विनाश के कारण अब इन्हें वनोपज प्राप्त नहीं हैं। इनकी कृषि भूमि भी संपन्न गैर आदिवासियों के कब्जे में है। अनेक आदिवासी भूमिहीन श्रमिक हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इनके पास जो थोड़ी कृषि भूमि है, वह भी अधिक उपजाऊ नहीं है।


4.5 जिले की जनसंख्या एवं साक्षरता स्थिति:—

किसी भी जिले का विकास वहाँ की जनसंख्या एवं जनसंख्या के स्वास्थ्यगत शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में जिले की जनसंख्या का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार 5696.46 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में 1385659 जनसंख्या निवास करती है। जिसमें 1181786 ग्रामीण एवं 203873 नगरीय जनसंख्या है। वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या का क्षेत्रफल जनसंख्या का घनत्व निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक – 4.3
बड़वानी जिले की जनसंख्या वृद्धि दर (जनगणना 2011)

वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि दर	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)
1941-51	3664.68	326342	14.44	89
1951-61	3664.68	406391	24.53	111
1961-71	3664.68	516095	26.99	141
1971-81	3664.68	659108	27.71	180
1981-91	5422.00	832422	26.30	227
1991-2001	5422.00	1081441	29.87	200
2001-11	5296.46	1385659	21.95	261

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।




तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले में जितना क्षेत्र सम्मिलित था, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 3664.68 वर्ग किमी. मीटर था, 1951 में इस क्षेत्र में जनसंख्या 326342 लाख निवास करती थी, जिनका घनत्व 89 प्रति वर्ग किमी. था। इस जिले का क्षेत्रफल तो उतना ही है, किन्तु जनसंख्या 1971 तक प्रति 10 वर्षों में लगभग 1 लाख बढ़ी, जिसमें घनत्व भी बढ़ा, किन्तु 1981 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 3 लाख प्रति 10 वर्षों में तेज गति से बढ़ी। परिणामस्वरूप घनत्व भी बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1385659 लाख हो गई व घनत्व 261 प्रति वर्ग किमी. हो गया।

तालिका क्रमांक – 4.4

बड़वानी जिले का तहसीलवार जनसंख्या का घनत्व जनगणना 2011

क्रमांक	तहसील / जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)
1	बड़वानी	457.82	210909	460
2	पाटी	470.34	162420	345
3	ठीकरी	298.13	79024	265
4	राजपुर	755.72	213102	281
5	पानसेमल	294.24	157914	536
6	निवाली	352.39	112690	319
7	सेंधवा	532.80	231321	434
8	अंजड़	267.62	89458	334
9	वरला	284.26	128821	453
	योग	5298.46	1385659	261

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।




तालिका से स्पष्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1385659 है। सर्वाधिक जनसंख्या सेंधवा तहसील में 231321 है। जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील में 79024 है। इसके पश्चात् बड़वानी, पाटी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, निवाली, अंजड़ तथा वरला का स्थान है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से तहसील पानसेमल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 536 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

तालिका क्रमांक – 4.5

बड़वानी जिले में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या (जनगणना 2011)

क्र.	तहसील / जिला	कुल जनसंख्या	प्रतिशत	ग्रामीण		शहरी	
				जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1	बड़वानी	211061	15.23	155557	73.71	55504	26.29
2	पाटी	162432	11.72	162432	100	0	0
3	ठीकरी	79054	5.70	72233	91.37	6821	8.63
4	राजपुर	213216	15.38	182156	85.43	31060	14.57
5	पानसेमल	157975	11.39	130065	82.33	27910	17.67
6	निवाली	112639	8.12	112639	100	0	0
7	सैंधवा	231318	16.69	174833	75.58	56485	24.42
8	अंजड़	89465	6.45	63176	70.61	26289	29.39
9	वरला	128721	9.28	128721	100	0	0
	जिला योग	1385881	100	1181812	85.27	204069	14.73

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।



तालिका के अनुसार जिले की जनसंख्या 1385881 है जिसमें 1181812 ग्रामीण तथा 204069 शहरी जनसंख्या है। जिले सर्वाधिक जनसंख्या सेंधवा तहसील में 16.69 प्रतिशत जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील में जिले की कुल जनसंख्या का 5.70 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक संकेन्द्रण ठीकरी तहसील में 91.37 प्रतिशत जबकि सबसे कम अंजड़ तहसील में 70.61 प्रतिशत जनसंख्या का आवास है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक अंजड़ तहसील में जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील में शहरी जनसंख्या है।

बड़वानी जिले में पिछले 100 वर्षों के दौरान जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 1901 से 1911 के मध्य 36.53 प्रतिशत, वर्ष 1911 से 1921 के मध्य 10.07 प्रतिशत, वर्ष 1921 से 1931 के मध्य 18.21 प्रतिशत, वर्ष 1931 से 1941 के मध्य 14.99 प्रतिशत, वर्ष 1941 से 1951 के मध्य 14.44 प्रतिशत, वर्ष 1951 से 1961 के मध्य 24.53 प्रतिशत, वर्ष 1961 से 1971 के मध्य 26.99 प्रतिशत, वर्ष 1971 से 1981 के मध्य 27.71 प्रतिशत, वर्ष 1981 से 1991 के मध्य 26.30 प्रतिशत, वर्ष 1991 से 2001 के मध्य 29.87 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1901 से 1911 के मध्य हुई। जबकि सबसे कम 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर्ज है।



तालिका क्रमांक – 4.6

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011)

क्र.	तहसील / जिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या						अनुसूचित जनजाति जनसंख्या					
		कुल	प्रतिशत	ग्रामीण	प्रतिशत	शहरी	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	ग्रामीण	प्रतिशत	शहरी	प्रतिशत
1	बड़वानी	17219	8.16	11696	7.52	5523	9.95	124010	58.76	111081	71.41	12929	23.29
2	पाटी	4335	2.67	4335	2.67	0	0	136455	84.01	136455	84.01	0	0
3	ठीकरी	10658	13.48	9321	12.9	1337	19.6	32617	41.26	31411	43.49	1206	17.68
4	राजपुर	11308	5.3	9100	5	2208	7.11	151302	70.96	144373	79.26	6929	22.31
5	पानसेमल	11452	7.25	5641	4.34	5811	20.82	110271	69.8	105551	81.15	4720	16.91
6	निवाली	5494	4.88	5494	4.88	0	0	98467	87.42	98467	87.42	0	0
7	सेंधवा	10832	4.68	6978	3.99	3854	6.82	163813	70.82	158429	90.62	5384	9.53
8	अंजड़	13131	14.68	8217	13.01	4914	18.69	32719	36.57	27329	43.36	5327	20.26

9	वरला	3562	2.77	3562	2.77	0	0	11249 1	87.39	11249 1	87.39	0	0
	योग	8799 1	6.35	64344	5.44	2364 7	11.59	96214 5	69.42	92565 0	78.32	3649 5	17.88

स्रोत:-जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।



तालिका के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 87991 है जो कुल जनसंख्या का 6.35 प्रतिशत है। क्षेत्रीय वितरण के आधार पर 64344 (5.44 प्रतिशत) ग्रामीण तथा 23647 (11.59 प्रतिशत) जनसंख्या शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है। जिले सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंजड तहसील में 14.68 प्रतिशत जबकि सबसे कम पाटी तहसील में जिले की कुल जनसंख्या का 2.67 प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेन्द्रण अंजड तहसील में 13.01 प्रतिशत जबकि सबसे कम पाटी तहसील में 2.67 प्रतिशत जनसंख्या का आवास है। शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नगण्य है।

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 962145 है जो कुल जनसंख्या का 69.42 प्रतिशत है। क्षेत्रीय वितरण के आधार पर 925650 (78.32 प्रतिशत) ग्रामीण तथा 36495 (17.88 प्रतिशत) जनसंख्या शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है। जिले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवाली तहसील में 87.42 प्रतिशत जबकि सबसे कम अंजड तहसील में जिले की कुल जनसंख्या का 36.57 प्रतिशत है।

ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संकेन्द्रण सेंधवा तहसील में 90.62 प्रतिशत जबकि सबसे कम अंजड तहसील में 43.36 प्रतिशत जनसंख्या का आवास है।

शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संकेन्द्रण बड़वानी तहसील में 23.29 प्रतिशत जबकि सबसे कम सेंधवा तहसील में 9.53 प्रतिशत जनसंख्या का आवास है।

शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेन्द्रण पानसेमल तहसील में 20.82 प्रतिशत जबकि सबसे कम सेंधवा तहसील में 6.82 प्रतिशत जनसंख्या का आवास है।


अनुसूचित जाति के लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या ठीकरी तहसील में है, जो जिले की कुल जनसंख्या का 1.32 प्रतिशत सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या निवाली तहसील में जो जिले की कुल जनसंख्या का 0.27 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या 209337 सेंधवा तहसील की है जो कि जिले की कुल जनसंख्या का 15.10 प्रतिशत है, वहीं अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या 52662 ठीकरी तहसील की है जो जिले की कुल जनसंख्या का 3.80 प्रतिशत ही है।

तालिका क्रमांक – 4.7
लिंग अनुपात (जनगणना 2011)

तहसील / जिला	कुल	ग्रामीण	शहरी	अ.ज.जा.		अ.जा.	
				ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
बड़वानी	974	982	952	995	927	971	1000
पाटी	986	986	0	991	876	978	927
ठीकरी	951	953	929	982	911	983	932
अंजड़	975	970	987	991	1006	971	998
राजपुर	980	985	950	992	947	973	972
पानसेमल	986	995	947	1006	1043	966	959
निवाली	1008	1008	0	1022	932	1030	946
सेंधवा	977	986	950	996	917	980	939
वरला	997	997	0	986	924	979	972
कुल जिला	982	987	954	997	950	981	971

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।



तालिका से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले की विभिन्न तहसीलों निवाली तहसील में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1008 है। जबकि शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक लिंग अनुपात अंजड़ तहसील 987 है। बड़वानी जिले में शहरी क्षेत्र की तुलना में

ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात उच्च स्थिति में है। अर्थात् जिले में लिंग अनुपात 982 है जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 987 एवं शहरी क्षेत्र में 954 है। जिले में पुरुष एवं महिला जन्म में अन्तर की स्थिति अन्य जिलों की तुलना अधिक सुदृढ़ है।

सामाजिक वर्गानुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात अ.ज.जा. का 997 जबकि अ.जा. का 981 है। जिले की विभिन्न तहसीलों में अ.ज.जा. का लिंग अनुपात निवाली तहसील में 1022 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में इसी प्रकार पानसेमल तहसील में लिंग अनुपात 1006 है। ठीकरी तहसील में सबसे कम 982 लिंग अनुपात है।

अजा का लिंग अनुपात बड़वानी तहसील में 1000 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना जबकि पाटी तहसील में सबसे कम 927 लिंग अनुपात है।

तालिका क्रमांक – 4.8

बड़वानी जिले में साक्षरता की स्थिति (जनगणना 2011)

तहसील जिला	कुल						ग्रामीण						शहरी					
	कुल	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
बड़वानी	97557	56.41	55245	63.36	42312	49.34	57701	46.38	33617	53.89	24084	38.83	39856	82.1	21628	87.17	18228	76.8
पाटी	32471	26.29	17717	28.55	14754	24.01	32471	26.29	17717	28.55	14754	24.01	0	0	0	0	0	0
ठीकरी	43320	64.36	25594	74.2	17726	54.02	38701	62.94	23032	73.94	15669	52.27	4619	79.34	2562	85.46	2057	72.48
अंजड़	47615	62.27	27901	72.3	19714	52.06	32111	59.51	19244	70.51	12867	48.25	15504	68.9	8657	76.61	6847	61.12
राजपुर	94593	53.84	54187	61.37	40406	46.22	75253	50.5	43310	57.99	31943	42.97	19340	72.48	10877	79.91	8463	64.74
पानसेमल	74361	57.38	42313	65.25	32048	49.49	55463	52.58	31809	60.56	23654	44.66	18898	78.4	85.27	71.22	8394	71.22
निवाली	39571	44.41	22293	50.5	17278	38.43	39571	44.41	22293	50.5	17278	38.43	0	0	0	0	0	0
सैधवा	86180	46.56	48454	52.02	37726	41.03	47623	34.85	27302	39.84	20321	29.82	38557	79.61	21152	85.88	17405	73.12
वरला	34258	33.96	19938	39.59	14320	28.36	34258	33.96	19938	28.36	14320	0	0	0	0	0	0	0
कुल	549926	49.08	313642	55.7	36284	42.39	413152	43.74	238262	50.32	174890	37.13	36774	77.67	75380	84.08	61394	71.03

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।

बड़वानी जिले की कुल साक्षरता दर 49.08 प्रतिशत है जिसमें 55.7 प्रतिशत पुरुष तथा 42.39 प्रतिशत महिला साक्षर है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 43.74 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है जिसमें 50.32 प्रतिशत पुरुष तथा 37.13 प्रतिशत महिला साक्षर है। शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या में 77.67 प्रतिशत साक्षर जिनमें 84.08 प्रतिशत पुरुष एवं 71.03 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

जिले की विभिन्न तहसिलों में सर्वाधिक साक्षरता ठीकरी तहसील में 64.36 प्रतिशत है जिसमें 74.2 प्रतिशत पुरुष एवं 54.02 प्रतिशत महिला साक्षर है। जबकि सबसे कम साक्षरता पाटी तहसील में 26.29 प्रतिशत है जिसमें 28.55 प्रतिशत पुरुष एवं 24.01 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता ठीकरी तहसील 62.94 प्रतिशत है जिसमें 73.94 प्रतिशत पुरुष एवं 52.27 प्रतिशत महिला साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता पाटी तहसील में 26.29 प्रतिशत है जिसमें 28.55 प्रतिशत पुरुष एवं 24.01 प्रतिशत महिला साक्षरता है।


शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता बड़वानी तहसील 82.1 प्रतिशत है जिसमें 87.17 प्रतिशत पुरुष एवं 76.8 प्रतिशत महिला साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता पाटी अंजड तहसील में 68.9 प्रतिशत है जिसमें 76.61 प्रतिशत पुरुष एवं 61.12 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

तालिका क्रमांक – 4.9

साक्षरता दर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वितरण (जनगणना 2011)

साक्षरता का प्रतिशत	गाँवों की संख्या	गाँव का प्रतिशत	जनसंख्या	जनसंख्या का प्रतिशत
0	1	0.14	56	0.00
1 से 10	17	2.44	14933	1.26
11 से 20	50	7.18	65001	5.50
21 से 30	116	16.67	225852	19.11
31 से 40	138	19.83	270847	22.92
41 से 50	121	17.39	177389	15.01
51 से 60	135	19.40	198946	16.83
61 से 70	96	13.79	168313	14.24
71 से 80	22	3.16	60475	5.12
कुल	696	100	1181812	100
ग्रामीण औसत साक्षरता दर	43.74			

Source:- District Census Handbook, BARWANI, Census of India 2011 Madhya Pradesh Directorate of Census Operations Madhya Pradesh Series -24, Part XII-A page- 44



तालिका से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले का ग्रामीण साक्षरता दर 43.74 प्रतिशत जिसमें 50.32 प्रतिशत पुरुष एवं 37.13 प्रतिशत महिला साक्षर है। साक्षरता प्रतिशत के

अनुसार गाँवों की संख्या के वर्गीकरण के अनुसार बड़वानी जिले का 1 गाँव पूर्णतः अशिक्षित है जिसकी जनसंख्या 56 है। 1 से 10 प्रतिशत तक 17 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 14933 है। जो कुल गाँवों का 2.44 प्रतिशत एवं जनसंख्या 1.26 प्रतिशत है। 11 से 20 प्रतिशत तक 50 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 65001 है, जो कुल गाँवों का 7.18 प्रतिशत एवं जनसंख्या 5.50 प्रतिशत है। 21 से 30 प्रतिशत तक 116 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 225852 है, जो कुल गाँवों का 16.67 प्रतिशत एवं जनसंख्या 19.11 प्रतिशत है। 31 से 40 प्रतिशत तक 138 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 270847 है, जो कुल गाँवों का 19.83 प्रतिशत एवं जनसंख्या 22.92 प्रतिशत है। 41 से 50 प्रतिशत तक 121 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 177389 है, जो कुल गाँवों का 17.39 प्रतिशत एवं जनसंख्या 15.01 प्रतिशत है। 51 से 60 प्रतिशत तक 135 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 198946 है, जो कुल गाँवों का 19.40 प्रतिशत एवं जनसंख्या 16.83 प्रतिशत है। 61 से 70 प्रतिशत तक 96 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 168313 है, जो कुल गाँवों का 13.79 प्रतिशत एवं जनसंख्या 14.24 प्रतिशत है। 71 से 80 प्रतिशत तक 22 गाँव साक्षर है जिनकी जनसंख्या 60475 है, जो कुल गाँवों का 3.16 प्रतिशत एवं जनसंख्या 5.12 प्रतिशत है।

बड़वानी जिले में वर्ष 2001 व 2011 के बीच 8.85 प्रतिशत साक्षरता वृद्धि हुई जो वर्ष 2001 में 41.35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 50.2 प्रतिशत हुई, जिसमें 57.3 प्रतिशत पुरुष एवं 43.1 प्रतिशत महिला साक्षरता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर वर्ष 2001 में 35.07 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 44.9 प्रतिशत हुई, वहीं शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर वर्ष 2001 में 74.86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 78.7 प्रतिशत तक पहुँचना का प्रमुख कारण आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग तथा राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के सम्मिलित प्रयासों से शिक्षा गारंटी योजनाएँ पढ़ना-बढ़ना आंदोलन जैसी विशेष गतिविधियाँ चलाई गईं, जिससे साक्षरता दर बढ़ने में सफलता प्राप्त हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रतिशत कम है तथा शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएँ सहज उपलब्ध हैं। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किये गए। 15 से 50 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं पढ़ना-बढ़ना आंदोलन से जोड़ की साक्षरता दर बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रयास किये।


4.6 जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक स्थिति:—

तालिका क्रमांक – 4.10

जनगणना 2011 के अनुसार बड़वानी जिले में कृषि भूमि एवं सिंचित क्षेत्र

विकास खण्ड	गाँव की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत	कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
बड़वानी	96	49774.45	56.67	42.09
पाटी	109	66804.87	42.02	15.44
ठीकरी	100	56848.86	63.27	43.86
राजपुर	97	71274.33	62.36	32.46
पानसेमल	103	36511.01	75.24	45.94
निवाली	68	37201.49	60.81	17.29
सेंधवा	123	80644.99	66.85	18.94
कुल	696	399060.00	60.32	30.39

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।




बड़वानी जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जिले की कुल भूमि में कृषि योग्य भूमि 60.32 प्रतिशत है। जिले की विभिन्न विकासखण्डों में बड़वानी 56.67 प्रतिशत, पाटी 42.02 प्रतिशत, ठीकरी 63.27 प्रतिशत, राजपुर 62.36 प्रतिशत, पानसेमल 75.24 प्रतिशत, निवाली 60.81 प्रतिशत सेंधवा 66.85 प्रतिशत है। जिसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पानसेमल विकासखण्ड जबकि सबसे कम पाटी विकासखण्ड में है। कृषि भूमि का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक पानसेमल विकासखण्ड में 45.94 प्रतिशत, जबकि सबसे कम पाटी विकासखण्ड में 15.44 प्रतिशत, बड़वानी 42.09 प्रतिशत, ठीकरी 43.86 प्रतिशत, राजपुर 32.46 प्रतिशत, निवाली 17.29 प्रतिशत सेंधवा 18.94 प्रतिशत है। जिले की कुल कृषि भूमि में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि का 30.39 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।

तालिका क्रमांक – 4.11
आर्थिक गतिविधि के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)

विकास खण्ड		कुल जनसंख्या	मुख्य कार्यशील		सीमान्त कार्यशील		कुल कार्यशील		गैर-कार्यशील	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बड़वानी	कुल	155557	60749	39.05	16680	10.72	77429	49.78	78128	50.22
	पुरुष	78472	36122	46.03	5478	6.98	41600	53.01	36872	46.99
	महिला	77085	24627	31.95	11202	14.53	35829	46.48	41256	53.52
पाटी	कुल	162432	60685	37.36	18779	11.56	79464	48.92	82968	51.08
	पुरुष	81796	35276	43.13	6201	7.58	41477	50.71	40319	49.29
	महिला	80636	25409	31.51	12578	15.60	37987	47.11	42649	52.89
ठीकरी	कुल	135409	61807	45.67	9031	6.67	70838	52.31	64571	47.69
	पुरुष	69058	36372	52.67	3268	4.73	39640	57.40	29418	42.80
	महिला	66351	25435	38.33	5763	8.69	31198	47.02	35153	52.98
राजपुर	कुल	182156	72106	39.58	16204	8.90	88310	48.48	93846	51.52
	पुरुष	91757	43096	46.97	5079	5.54	48175	52.50	43582	47.50
	महिला	90399	29010	32.09	11125	12.31	40135	44.40	50264	55.60
पानसेमल	कुल	130065	46762	35.95	19520	15.01	66282	50.96	63783	49.04
	पुरुष	65205	27067	41.51	7195	11.03	34262	52.55	30943	47.45
	महिला	64860	19695	30.37	12325	19.00	32020	49.37	32840	50.63
निवाली	कुल	112639	44307	39.34	11593	10.29	55900	49.63	56739	50.37
	पुरुष	56108	25892	46.15	3526	6.28	29418	52.43	26690	47.57
	महिला	56531	18415	32.58	8067	14.27	26482	46.85	30049	53.15
सैंधवा	कुल	303554	114368	37.68	29195	9.62	143563	47.29	159991	52.71
	पुरुष	152511	67328	44.15	9627	6.31	76955	50.46	75556	49.54
	महिला	151043	47040	31.14	19568	12.96	66608	44.10	84435	55.90
कुल	कुल	1181812	460784	38.99	121002	10.24	581786	49.23	600026	50.77
	पुरुष	594907	271153	45.58	40374	6.79	311527	52.37	283380	47.63
	महिला	586905	189631	32.31	80628	13.74	270259	46.05	316646	53.95

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।




तालिका से स्पष्ट है कि जिले की कुल जनसंख्या में 49.23 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है जिनमें 52.37 प्रतिशत पुरुष तथा 46.05 प्रतिशत महिलाएँ कार्यशील है। जिनमें कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत 38.99 प्रतिशत है, जिसमें 45.58 प्रतिशत पुरुष तथा 32.31 प्रतिशत महिलाएँ मुख्य कार्यशील है। सीमान्त कार्यशील 10.24 प्रतिशत में पुरुष 6.79 प्रतिशत तथा 13.74 प्रतिशत महिलाएँ सीमान्त कार्यशील है। जिले की जनसंख्या का आधे से अधिक जनसंख्या जिनमें 50.77 प्रतिशत गैर कार्यशील है जिनमें 47.63 प्रतिशत पुरुष तथा 53.95 प्रतिशत महिलाएँ गैर कार्यशील अथवा आर्थिक जनसंख्या है। जिनमें बच्चे व बुजुर्ग की जनसंख्या सम्मिलित है।

जिले की विभिन्न तहसीलों में ठीकरी तहसील की जनसंख्या में 52.31 प्रतिशत कार्यशील है जिनमें 45.67 प्रतिशत मुख्य कार्यशील, 6.67 प्रतिशत सीमान्त कार्यशील है। जबकि राजपुर तहसील में सर्वाधिक 51.52 प्रतिशत गैर कार्यशील जनसंख्या है।

तालिका क्रमांक – 4.12
आर्थिक गतिविधि के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)

विकास खण्ड		कुल जनसंख्या	कुल कार्यशील	कृषक		कृषि मजदूर		घरेलु उद्योग		अन्य कार्यशील	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बड़वानी	कुल	155557	77429	37461	48.38	33893	43.77	539	0.70	5536	7.15
	पुरुष	78472	41600	21249	51.08	15518	37.54	297	0.71	4436	10.66
	महिला	77085	35829	16212	45.25	18275	51.01	242	0.68	1100	3.07
पाटी	कुल	162432	79464	36915	46.45	37185	46.79	417	0.52	4947	6.23
	पुरुष	81796	41477	21636	52.16	16353	39.43	230	0.55	3258	7.85
	महिला	80636	37987	15279	40.22	20832	54.84	187	0.49	1689	4.45
ठीकरी	कुल	135409	70838	22514	31.78	40628	57.35	658	0.93	7038	9.94
	पुरुष	69058	39640	13123	33.11	20427	51.53	382	0.96	5708	14.40
	महिला	66351	31198	9391	30.10	20201	64.74	276	0.88	1330	4.26
राजपुर	कुल	182156	88310	43693	49.48	37421	42.37	555	0.63	6641	7.52
	पुरुष	91757	48175	25132	52.17	17486	36.30	351	0.73	5206	10.81
	महिला	90399	40135	18561	46.25	19935	49.67	204	0.51	1435	3.58
पानसेमल	कुल	130065	66282	21694	32.73	41042	61.92	680	1.03	2866	4.32
	पुरुष	65205	34262	13065	38.13	18682	54.53	386	1.13	2129	6.21
	महिला	64860	32020	8629	26.95	22360	69.83	294	0.92	737	2.30
निवाली	कुल	112639	55900	27967	50.03	21983	39.33	327	0.58	5623	10.06
	पुरुष	56108	29418	16223	55.15	8971	30.49	181	0.62	4043	13.74
	महिला	56531	26482	11744	44.35	13012	49.14	146	0.55	1580	5.97
सेंधवा	कुल	303554	143563	93289	64.98	40864	28.46	1280	0.89	8130	5.66
	पुरुष	152511	76955	51549	66.99	18637	24.22	791	1.03	5978	7.77
	महिला	151043	66608	41740	62.67	22227	33.37	489	0.73	2152	3.23
कुल	कुल	1181812	581786	283533	48.73	253016	43.49	4456	0.77	40781	7.01
	पुरुष	594907	311527	161977	51.99	116174	37.29	2618	0.84	30758	9.87
	महिला	586905	270259	121556	44.98	136842	50.63	1838	0.68	10023	3.71

स्रोत:—जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013।



बड़वानी जिले में आर्थिक आधार पर रोजगार के अन्तर्गत कुल जनसंख्या में 48.73 प्रतिशत कृषक जिनमें 51.99 प्रतिशत पुरुष तथा 44.98 प्रतिशत महिला कृषक है। कृषि मजदूर के अन्तर्गत 43.49 प्रतिशत जिनमें 37.29 प्रतिशत पुरुष तथा 50.63 प्रतिशत महिलाएँ है। घरेलु उद्योग में कुल जनसंख्या 0.77 प्रतिशत संलग्न है जिनमें 0.84 प्रतिशत पुरुष एवं 0.68 प्रतिशत महिलाएँ है। अन्य कार्य जिनमें नौकरी एवं व्यापार, व्यवसाय के अन्तर्गत कुल कार्यशील जनसंख्या का 7.01 प्रतिशत जिसमें 9.87 प्रतिशत पुरुष एवं 3.71 प्रतिशत महिलाएँ कार्यशील है।

विभिन्न तहसीलों में सेंधवा तहसील में सर्वाधिक सेन्धवा तहसील में कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.98 प्रतिशत कृषि मजदूर है तथा सबसे कम 31.78 प्रतिशत सेंधवा तहसील में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि मजदूर है। विभिन्न तहसीलों में सर्वाधिक सेन्धवा तहसील में कुल कार्यशील जनसंख्या का 61.92 प्रतिशत कृषि मजदूर है तथा सबसे कम 28.46 प्रतिशत सेंधवा तहसील में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि मजदूर है। अन्य कार्यशील जनसंख्या का 1.03 प्रतिशत पानसेमल तहसील में घरेलु उद्योग में


संलग्न है तथा अन्य रोजगार में सर्वाधिक 10.06 प्रतिशत निवाली तहसील की जनसंख्या है।

तालिका क्रमांक – 4.13

विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (जनगणना 2011)

विकास खण्ड	गाँव की संख्या	बिजली आपूर्ति		पक्की सड़क		पिने का पानी		यातायात		टेलीफोन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बड़वानी	96	94	97.92	66	68.75	95	98.96	40	41.67	79	82.79
पाटी	109	91	83.49	42	38.53	108	99.08	35	32.11	47	43.12
ठीकरी	100	93	93	45	45	94	94	28	28	11	11
राजपुर	97	93	95.88	69	71.13	97	100	40	41.24	76	78.35
पानसेमल	103	84	81.55	57	55.34	103	100	12	11.65	95	92.23
निवाली	68	62	91.18	53	77.94	68	100	20	29.41	58	85.29
सैंधवा	123	114	92.68	88	71.54	123	100	79	64.23	95	77.24
कुल	696	631	90.66	420	60.34	688	98.85	254	36.49	527	75.72

Source:- District Census Handbook, BARWANI, Census of India 2011 Madhya Pradesh Directorate of Census Operations Madhya Pradesh Series -24, Part XII-A



तालिका से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले में 90.66 प्रतिशत गाँवों में बिजली की सुविधा है जिसमें सर्वाधिक 97.92 प्रतिशत बड़वानी तहसील में तथा सबसे कम पानसेमल तहसील में 81.55 प्रतिशत गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। पक्की सड़कों का निर्माण 60.34 प्रतिशत हो चुका है जबकि 39.67 प्रतिशत कच्ची सड़कों के अन्तर्गत है। बड़वानी जिले की निवाली तहसील में 77.94 प्रतिशत पक्की सड़को का निर्माण हो चुका है जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील में 45 प्रतिशत पक्की सड़के है। पिने का पानी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो ग्रामीण विकास के प्राथमिक विकास कार्यों में प्रमुख है। बड़वानी जिले में 98.85 प्रतिशत पिने के पानी की व्यवस्था है। जिले की राजपुर, निवाली, पानसेमल, सेंधवा तहसील में 100 प्रतिशत पिने के पानी की व्यवस्था है जबकि ठीकरी तहसील के 94 प्रतिशत गाँव में पिने के पानी व्यवस्था है जबकि 6 प्रतिशत गाँवों में पीने के पानी के लिए परम्परागत स्रोतों पर निर्भर है। यातायात के साधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत बसों की पंहुच के अन्तर्गत जिले का 36.49 प्रतिशत भाग में बसों एवं अन्य परिवहन साधनों की उपलब्धता है। तहसीलों के अन्तर्गत सेंधवा तहसील में 64.23 प्रतिशत क्षेत्र में यातायात के साधनों की उपलब्धता है जबकि ठीकरी तहसील में सबसे कम 28 प्रतिशत क्षेत्र में यातायात के साधनों की उपलब्धता है। संचार साधनों में टेलीफोन की उपलब्धता जिले के 75.22 प्रतिशत है जिसमें पानसेमल तहसील में 92.23 प्रतिशत क्षेत्र में टेलीफोन सुविधा है जबकि ठीकरी तहसील में मात्र 11 प्रतिशत क्षेत्र में टेलीफोन की सुविधा है।


तालिका क्रमांक – 4.14

विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (वर्ष 2011)

विकास खण्ड	गाँव की संख्या	शिक्षा		चिकित्सा		बैंक		डाकघर		कृषि ऋण संस्थान	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बड़वानी	96	91	94.79	47	48.96	4	4.17	14	14.58	6	6.25
पाटी	109	106	97.25	35	32.11	3	2.75	9	8.26	5	4.59
ठीकरी	100	92	92	37	37	6	6	24	24	5	5
राजपुर	97	96	98.97	48	49.48	5	5.15	27	24.74	12	12.37
पानसेमल	103	101	98.97	33	32.04	2	1.94	12	11.65	5	4.85

निवाली	68	65	95.59	23	33.82	2	2.94	1	1.47	4	5.88
सेंधवा	123	123	100	60	48.78	18	14.63	19	15.45	25	20.33
कुल	696	674	96.84	283	40.66	40	5.75	103	14.8	62	8.91

Source:- District Census Handbook, BARWANI, Census of India 2011 Madhya Pradesh Directorate of Census Operations Madhya Pradesh Series -24, Part XII-A



शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता जिले में 96.84 प्रतिशत है जिसमें सर्वाधिक सेंधवा तहसील में 100 प्रतिशत एवं राजपुर एवं पानसेमल तहसील में 98.97 प्रतिशत जबकि सबसे कम ठीकरी तहसील में 92 प्रतिशत क्षेत्र में शिक्षा केन्द्रों को स्थापित है। चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना जिले में 40.66 प्रतिशत है जिसमें बड़वानी तहसील में 48.96 प्रतिशत एवं सबसे कम ठीकरी तहसील में 37 प्रतिशत है। बैंक शाखाओं की उपलब्धता 5.75 प्रतिशत जिसमें सेंधवा में 14.63 प्रतिशत क्षेत्र में बैंक स्थापित है। डाकघर जिले में 14.8 प्रतिशत तथा कृषि ऋण के लिए सहकार बैंको की स्थापना 8.91 प्रतिशत क्षेत्र में है जिसमें सेंधवा तहसील का 20.33 प्रतिशत एवं सबसे कम 4.59 प्रतिशत पाटी तहसील में है।


अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न प्राथमिक एवं आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता से जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र वंचित है। जबकि शासन स्तर पर प्रयासों में कमी एवं अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बड़वानी जिला अत्यन्त पिछड़ा है।

तालिका क्रमांक – 4.15

दूरी के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार गाँवों का वर्गीकरण (जनगणना 2011)

किलोमीटर	गाँव की संख्या	शिक्षा		चिकित्सा		डाकघर		टेलीफोन		यातायात		बैंक		कृषि ऋण संस्थान		पक्की सड़क	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5 से कम	42	41	97.62	15	35.71	7	16.67	38	90.48	19	45.24	1	2.38	2	4.76	30	71.43
5 से 15	226	221	97.79	90	39.82	45	19.91	192	84.96	75	33.19	8	3.54	22	9.73	145	64.16
16 से 50	362	348	96.13	158	43.65	47	12.98	269	74.31	132	36.46	27	7.46	35	9.67	218	60.22
51 से अधिक	55	53	96.36	15	27.27	4	7.27	17	30.91	23	41.82	2	3.64	2	3.64	18	32.73
अवर्गीकृत	11	11	100	5	45.45	0	0	11	100	5	45.45	2	18.18	1	9.09	9	81.82
कुल	696	674	96.84	283	40.66	103	14.8	527	75.72	254	36.49	40	5.75	62	8.91	420	60.34

Source:- District Census Handbook, BARWANI, Census of India 2011 Madhya Pradesh Directorate of Census Operations Madhya Pradesh Series -24, Part XII-A



बड़वानी जिले कुल गाँव की संख्या 696 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 674, चिकित्सा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 283, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 103, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 527, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 254, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 40, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 62, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 420 है।

बड़वानी जिले में 5 किमी से कम सुविधा की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 42 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 41, चिकित्सा केन्द्रों की

उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 15, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 7, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 38, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 19, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 1, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 2, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 30 है जिनमें 5 किमी से कम दूरी पर उक्त सुविधा उपलब्ध है।

बड़वानी जिले में 5 से 15 किमी की दूरी पर सुविधा की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 226 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 221, चिकित्सा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 90, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 45, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 192, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 75, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 8, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 22, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 145 है जिनमें 5 से 15 किमी की दूरी पर उक्त सुविधा उपलब्ध है।

बड़वानी जिले में 16 से 50 किमी की दूरी पर सुविधा की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 362 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 348, चिकित्सा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 158, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 47, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 269, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 132, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 27, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 35, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 218 है जिनमें 16 से 50 किमी की दूरी पर उक्त सुविधा उपलब्ध है।

बड़वानी जिले में 51 किमी से अधिक की दूरी पर सुविधा की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 55 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 53, चिकित्सा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 15, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 4, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 17, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 23, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 2, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 2, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 18 है जिनमें 16 से 50 किमी की दूरी पर उक्त सुविधा उपलब्ध है।

बड़वानी जिले में वर्गीकृत सुविधा की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 11 है जिसमें शिक्षा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 11, चिकित्सा केन्द्रों की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 5, डाकघर उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 0, टेलीफोन उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 11, यातायात उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 5, बैंक उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 2, कृषि ऋण संस्थान उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 1, पक्की सड़क की उपलब्धता वाले गाँव की संख्या 9 है।

शिक्षा एवं साक्षरता, चिकित्सा सुविधाएँ :-

इस जिले में शिक्षा का विकास हुआ है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय इस जिले में हैं। शिक्षा की दृष्टि से बड़वानी जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दिये जाने की समुचित व्यवस्था है। जिले का चिन्हित महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी है। बड़वानी जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति इस प्रकार है—

तालिका क्रमांक – 4.16

जनगणना 2011 में बड़वानी जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति

क्र.	शैक्षणिक संस्थाएँ	संख्या
1	प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक	2365
2	माध्यमिक शालाएँ	679
3	हाईस्कूल	142
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	61
5	महाविद्यालय	9
6	व्यावसायिक शिक्षा संस्था	01

स्रोत :- जिला शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी।

शिक्षा संस्थानों की कुल उपलब्धता के अन्तर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय 2365, माध्यमिक शालाएँ 679, हाई स्कूल 142, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 61

जिले में महाविद्यालयों की संख्या 9 तथा 01 व्यावसायिक शिक्षा संस्था है जो जिला मुख्यालय पर स्थित है।

बड़वानी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से जिला चिकित्सालय बड़वानी में स्थित है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चिकित्सालयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक – 4.17

जनगणना 2011 में बड़वानी जिले में चिकित्सालयों की स्थिति

क्र.	चिकित्सालय	संख्या
1	जिला चिकित्सालय	01
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	29
3	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	236
4	परिवार कल्याण केन्द्र	08
5	आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालय	30

स्रोत – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी।

जिले में जिला चिकित्सालय की संख्या 1 जो जिला केन्द्र पर स्थापित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 29, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 236, परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या 8 है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालयों की संख्या 30 है, जो जिले के प्रमुख कस्बों व शहरों में स्थापित एवं संचालित है।

4.5 जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति:-

यह जिला मूल रूप से कृषकों तथा कृषि उत्पाद जैसे-कपास, केला, गन्ना, गेहूँ, मूँगफली एवं दलहनों के उत्पादन के साथ इस जिले में नींबू, पपीता, कटहल, सीताफल, जाम (अमरूद), चीक, आँवला, मौसम्बी इत्यादि से संबंधित व्यापार व्यवस्था एवं कृषि मजदूरों का क्षेत्र है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ लगभग नगण्य हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जिस पर अधिकांश आबादी का जीवन निर्वाह अवलम्बित है। आवागमन के साधनों एवं कच्चे माल की उपलब्ध नहीं होने से यहाँ पर औद्योगिक

गतिविधियों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। नये जिले के गठन के कारण प्रशासनिक, गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना अधिक है।⁸²

मेरे शोध अध्ययन का क्षेत्र बड़वानी जिला है, जिसका संपूर्ण क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आता है। यह कि 67 प्रतिशत जनसंख्या निर्धन आदिवासियों की है, जो बहुत ही विषम परिस्थिति में अपना जीवन-निर्वाह कर पाते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है –

कृषि – तिलहन में सबसे अधिक 64.4 प्रतिशत में सोयाबीन 40.16 प्रतिशत में मूँगफली 0.75 प्रतिशत में तिल एवं 0.39 प्रतिशत में अन्य तिलहन का उत्पादन किया जाता है।

यातायात एवं संचार व्यवस्था :-

म.प्र. और भारत के अन्य भागों से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। बड़वानी शहर खंडवा-बड़ौदा राजमार्ग क्रमांक 26 द्वारा व 45 किमी. दूरी पर स्थित ग्राम जुलवानिया में आगरा, मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 से जुड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय से प्रमुख शहर इन्दौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, धार, रतलाम, खरगोन, खंडवा, अहमदाबाद, बड़ौदा और मुम्बई तक नियमित यात्री बस सेवा उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक – 4.18

बड़वानी जिले की सड़कों की स्थिति (जनगणना 2011)

क्र.	पक्की सड़कें किमी. में			कच्ची सड़कें किमी. में			कुल सड़कें किमी. में		
	लोक निर्माण विभाग	स्थानीय निकाय	योग	लोक निर्माण विभाग	स्थानीय निकाय	योग	लोक निर्माण विभाग	स्थानीय निकाय	योग
1	719.92	0.00	719.92	18.56	0.00	18.56	738.48	0.00	738.48

स्रोत:- जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011।

⁸² कुमार डॉ. प्रमिला "मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन" म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल। पृ. 23

बड़वानी जिले में कुल सड़कों की लम्बाई 738.48 कि.मी. है जिसमें पक्की सड़कों की लम्बाई 719.92 किमी का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। जबकि 18.56 किमी कच्ची सड़के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है।

विद्युत शक्ति:—

जिले की विद्युत शक्ति का मुख्य स्रोत चम्बल विद्युत लाईन से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति है, जिले में 715 ग्रामों में से 687 ग्रामों में विद्युत प्रदाय है बड़वानी जिले की वर्तमान खपत 105297 हजार किलोवाट है।

कुल उपभोक्ता क्षेत्र का 73.00 प्रतिशत ग्रामीण है तथा इससे आवश्यक विद्युतीकरण होकर संपूर्ण ग्रामों में विद्युत प्रदाय की जाती है।

वित्तीय संस्थाएँ:—

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में वहाँ की वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान चूँकि बड़वानी जिला आदिवासी बहुल जिला है। जहाँ 75.5 प्रतिशत गाँव है, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना की एक इकाई भी जिले में कार्यरत है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों के स्वरोजगार एवं उन्हें अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं। इसी तरह वाणिज्य बैंक निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक व सहकारी साख समितियाँ अपने-अपने स्तर पर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

तालिका क्रमांक – 4.19

बड़वानी जिले की वित्तीय संस्थाएँ (जनगणना 2011)

क्र.	बैंक का नाम	संख्या
1	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ	68
2	केन्द्रीय सहकारी बैंक	17
3	भूमि विकास बैंक	05

स्रोत :- जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

उक्त तालिका में दर्शाई गई बैंकों की विभिन्न शाखाएँ जिले में कृषि एवं उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं तथा इस क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु वित्त पूर्ति का कार्य भी संपन्न करती है। जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 68 शाखाएँ, केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 17 शाखाएँ तथा 5 शाखाएँ भूमि विकास बैंकों की है।

उद्योग एवं व्यापार:—

यहाँ कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। उद्योग धंधे भी यहाँ सीमित संख्या में हैं। औद्योगिक शून्यता के कारण जिले में बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ व्यापारियों के व्यापारिक सम्पर्क इन्दौर से है। मात्र जीविकापार्जन के लिये ही सीमित हैं। व्यापारिक महत्व की दृष्टि से अंजड़ ठीकरी व सेंधवा तहसील अग्रणीय है। सेंधवा नगर जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, जहाँ लगभग 120 जीनिंग, 22 प्रेसिंग फैक्टरिया, 26 आईल मिल, पस्पीनिंग मिलें, 6 साबुन फैक्ट्रियाँ, 2 मैदा मीले तथा अनेक लघु एवं सीमांत धंधे यहाँ संचालित है। सेंधवा परिक्षेत्र रूई प्रेसिंग के संबंध में प्रदेश एवं देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीकरी क्षेत्र में खाद एवं शक्कर उत्पाद इकाईयाँ कार्यरत हैं। अंजड़ व बड़वानी क्षेत्र धर्मशोधन तथा फलों के व्यापारिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है।

वाणिज्य एवं व्यवसाय:—

जिले में सेंधवा, अंजड़, खेतिया, बड़वानी, एवं राजपुर की उपमंडी को मिलाकर 5 नियंत्रण बाजार है। मूँगफली, कपास, गेहूँ, मिर्च, सोयाबीन, दालें, गन्ना, पपीता जिले के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। जिले में आयात की जानी वाली वस्तुओं में कपड़ा, शक्कर, मसालें वर्तमान मिट्टी का तेल, मशीनें, सीमेन्ट, कोयला एवं खाद प्रमुख है। वर्तमान में बड़वानी जिले में स्थापित एवं कार्यरत वृद्ध एवं मध्यम सूची इस प्रकार :— 1 सत्यम स्पीनर्स सेंधवा 2. गिरधारीलाल शुगर फैक्टरी घटवा 3. परेष स्पनर्स सेंधवा इत्यादि। बड़वानी जिले में 7 विकासखण्ड में 3 विकासखण्ड औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं एवं 4 विकासखण्ड में कोई औद्योगिक इकाई नहीं हैं।

अध्याय – पंचम

“बड़वानी जिले में पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास”

5.1 पृष्ठभूमि

5.2 ग्राम पंचायत

5.3 जनपद पंचायत

5.4 जिला पंचायत

5.5 ग्राम सभा

5.6 म.प्र. ग्राम न्यायालय

5.7 ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्य

5.7.1 बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास

5.7.2 स्व-सहायता समूह की स्थिति

5.7.3 बड़वानी जिले से पलायन की स्थिति

5.7.4 स्वच्छता अभियान

5.7.5 स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार

5.7.6 प्रधानमंत्री आवास योजना

अध्याय पंचम

बड़वानी जिले में पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास

5.1 पृष्ठभूमि :-

विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत मालाओं के मध्य स्थित 'नर्मदा घाटी' आदिमानव की कर्मभूमि रही है। ग्राम चिखल्दा के समीप 'नर्मदा' उत्तरी तट पर खापरखेड़ा व बड़वानी के समीप स्थित ग्राम 'पीपरी' में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पिछले 20 वर्षों में जो उत्खनन कार्य किये हैं, उसमें प्राप्त अवशेषों ने इस क्षेत्र में आज से 20 हजार वर्ष पूर्व मानव सभ्यता की उपस्थिति को रेखांकित किया है। सतपुड़ा की घाटियों में बसे आदिवासी लोग 'झुम खेती' करते हैं।

बड़वानी राज्य के संस्थापक 'गहिलोत' कहलाए। बड़वानी रियासत की स्थापना 'धानक' नामक योद्धा ने की, जिसने अपनी राजधानी पाटी विकास खण्ड के आवासगढ़ में बनाई थी। आवासगढ़ में निवास करने वाले आदिवासी भी अपना उपनाम 'अवास्या' लिखते हैं। 1640 ई. में राणा लिम्बाजी की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र राणा चन्द्रसिंह, बड़वानी रियासत का शासक बना। उसने आवासगढ़ को 'राजधानी' के उपयुक्त न पाकर अपनी राजधानी 'बड़वानी' को बनाया, जो इससे पूर्व 'सिद्ध नगर' के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बड़वानी नगर की नींव डालने का श्रेय राणा चन्द्रसिंह को ही है।

12 वीं से 14 वीं सदी के मध्य स्थापित बड़वानी रियासत, भारत की आज़ादी तक कायम रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इसका विलय मध्य भारत में हो गया। यह 'खरगोन' जिले के अन्तर्गत आता था। पिछले 10-15 वर्षों से बड़वानी अनुविभाग को 'जिले' का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती रही। अंततः 25 मई, 1998 को बड़वानी को जिला बना दिया गया।

बड़वानी जिला आदिवासी बहुल जिला है। प्राचीनकाल से ही आर्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा जिला है। यहाँ के आदिवासी खेती एवं परम्परागत कार्यों के साथ ही लकड़ी काटने का कार्य करते रहे हैं एवं जिसके कारण प्रारम्भ से ही यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ परम्परागत कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग सीमित मात्रा में रहे हैं।

5.2 ग्राम पंचायत :-

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तारतम्य में बड़वानी जिले में 416 ग्राम पंचायतें 'ग्राम विकास' के वृहत्तर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हैं। जून, 1994 में द्वितीय चरण के मतदान द्वारा यह शान्तिपूर्ण ढंग से पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पंचायत प्रथम बैठक से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए बनी रहेगी। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के अलग होने पर छः माह के भीतर उसका फिर से गठन किया जाएगा। लेकिन, विघटित पंचायत की शेष कालावधि छः माह से कम है, तो वहाँ ऐसी स्थिति में पंचायत के गठन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया आवश्यक नहीं रहेगी। विघटित पंचायत के लिए हुए गठित पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष में से बची हुई समयावधि के लिए होगा।⁸³

प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम दस अधिकतम बीस क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। जबकि, उसकी संख्या 1000 से अधिक हो। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया, जबकि उपसरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से सम्पन्न हुए हैं। ग्राम पंचायत वर्गों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के विकास और उत्थान के लिए अधिक प्रभावी एवं सक्षम बने, इसके लिए यह ज़रूरी है कि, उसमें ग्राम के कमज़ोर वर्ग के लोग और महिलाएँ 'प्रतिनिधि' के रूप में चुनी जाए। इसलिए जिले की समस्त पंचायतों के लिए विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

⁸³ गौतम, डॉ. आर. एस. (1995): "म. प्र. में पंचायती राज - एक अध्ययन", म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन। पृ. 4

जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनकी आबादी के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गये हैं। जहाँ ग्राम पंचायतों के वार्डों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिए 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित हैं। वहाँ, कुल स्थानों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गये हैं। जहाँ पंचायत के सरपंच अनुसूचित जाति; जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, वहाँ के उपसरपंच इन श्रेणियों में से होंगे। उपसरपंच निर्वाचित पंचों में से उन्हीं के द्वारा चुना जाता है।⁸⁴

सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलायी जाती है। यदि ग्राम पंचायत के आधे से अधिक सदस्य देते हैं। तब भी सरपंच 7 दिन के अन्दर बैठक बुलायेगा। यदि सरपंच ऐसा नहीं करता है, तो ये सदस्य, जिन्होंने बैठक बुलाने के लिए आवेदन किया था, स्वयं बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति बैठक के कोरम के लिए ज़रूरी है। यदि कोरम पूरा न हो, तो पीठासीन अधिकारी बैठक की अन्य तारीख तथा समय तय करके स्थगित करेगा। और इसकी सूचना पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाई जायेगी।

5.3 जनपद पंचायत :-

विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत का प्रावधान है। एक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी के लिए कम से कम 5000 हजार मतदाता की संख्या तक की गई है। एक जनपद पंचायत में 35 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे। सभी क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्यतः एक सी होगी।

इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।

⁸⁴ आनंद प्रकाश अवस्थी (2010): "म. प्र. स्थानीय प्रशासन" म. प्र. ग्रंथ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल। पृ. 78.

जनपद पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई भी पंच हो सकता है। यदि वह उस जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र की ग्राम पंचायत का पंच हो। ग्राम पंचायतों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान करने का प्रावधान दिया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। जनपद पंचायत हेतु भी अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा इससे कम है, तो वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। सभी आरक्षित स्थानों के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गये हैं।⁸⁵

बड़वानी जिले में 7 विकासखण्डों में 7 जनपद पंचायतें कार्यरत हैं। जिले में जनपद पंचायत की संरचना निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य उपधारा (3), (4) एवं (5) के अधीन सहयोजित सदस्य यदि कोई हो एवं राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जो पूर्णतः या अंशतः खण्ड के भीतर पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं। अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 26 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जायेगा। ऐसा सम्मेलन विहित अधिकारी द्वारा बुलाया जायेगा और सम्मेलन के सम्बन्ध में धारा – 44 के उपलब्ध यथाशक्त उक्त सम्मेलन को लागू होंगे। इस अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो; जनपद पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, इससे अधिक नहीं।”

जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु समन्वित योजनाएँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनाकर उसके क्रियान्वयन का दायित्व निर्वाहित करती है। जनपद पंचायत निधि से खण्ड में एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा संचार और लीक संकर्म, सहकारिता,

⁸⁵ द्विवेदी, डॉ राधेश्याम (2005): “म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम”, सुविधा लॉ हाऊस प्रा. लि.। पृ. 7.

कुटीर उद्योग, महिला युवा तथा बाल कल्याण विराश्रित एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण परिवार नियोजन तथा खेलकूद, ग्रामीण रोज़गार के कार्यक्रम के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था, सार्वजनिक बाज़ारों की व्यवस्था भी आती है।

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी गतिविधि है, जिसमें कृषिगत विकास के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग धंधे, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएँ प्रदान हेतु आधारभूत ढाँचे जैसे स्कूल, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र, सड़के, संचार साधन, जल आपूर्ति, बाज़ार व्यवस्थाएँ, संवर्धित पोषाहार, साक्षरता आदि सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात केन्द्रीय महत्व की है, विशेष रूप से उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जो ग्रामीण समाज में गरीबी और कमज़ोर वर्गों से है। ग्रामीण विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत कृषि विकास, बुनियादी सुविधाओं का विकास, उचित मज़दूरी का निर्धारण, ग्रामीण औद्योगीकरण, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण परिवहन आदि सम्मिलित हैं।

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में पंचायतों को ग्रामीण विकास के इन सभी वर्गों में व्यापक अधिकार प्रदान किये गए हैं। गाँव के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करेगी। इनमें मुख्यतः सुरक्षा संबंधी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी, निर्माण संबंधी, अतिक्रमण हटाने संबंधी मार्ग का नामकरण और मकानों, भवनों पर क्रमांक डालने संबंधी, हाट बाज़ार व मेले संबंधी, समझौता करने संबंधी, सहायता करने संबंधी है।

5.4 जिला पंचायत :-

प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000 होती है तथा 35 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। सभी पंचायतों के चुनाव और दलीय होते हैं।

सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों में से एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। तथा लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य, विभिन्न विभागीय अधिकारी इस पंचायत के सदस्य होते हैं।

राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को निर्माण कार्यो हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिले की जिला पंचायत, जिले की जनपद पंचायतों को बराबर-बराबर वितरित करती है।

जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का सचिव होता है, जो पंचायतों के कार्यो का अवलोकन कर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। यदि कोई सरपंच ईमानदारी से धन राशि का उपयोग नहीं करता है तथा उस पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे पद-मुक्त कर सकता है।

5.5 ग्राम सभा :-

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुपालन में बड़वानी जिले में 416 ग्राम सभाओं की स्थापना की गई है। यह प्रावधान है कि, ग्रामसभा की एक साल में कम से कम बैठक अवश्य होनी चाहिए। ग्राम विकास के सन्दर्भ में विचार करने एवं पंचायत को निर्देशित करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामवासियों को यह जानकारी मिल जाती है कि, ग्राम पंचायत के पास किस योजना के लिए, कितना धन है? पिछले वर्ष कितनी आय थी, किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय किया गया है? आदि। ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को योजनाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है।

ग्राम सभा की बैठक में कोरम के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों अर्थात् दसवें भाग का उपस्थित रहना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बुलाए जाने का प्रावधान है। बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक की 'अध्यक्षता', ग्राम सभा का कोई भी वह सदस्य कर सकता है, जिसका चुनाव बैठक में उपस्थित सदस्य बहुमत से करते

हैं। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने के कम से कम तीन महीने पहले अर्थात् 31 दिसम्बर के पूर्व किया जाता है।⁸⁶

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में मुख्यतः ग्राम पंचायत के आय-व्यय का सलाना, पत्रक, ग्राम पंचायत के पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास के अन्य कार्यक्रम, ग्राम पंचायत की पिछली ऑडिट टिप्पणी और उसके भेजे गए उत्तर एवं अन्य ऐसा कोई विषय, जिसे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी ग्राम सभा के सदस्यों के सामने रखना चाहे। ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर ग्राम पंचायत द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना होता है। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही का विवरण तथा बैठक में हुई चर्चा में किए गये निर्णयों एवं प्राप्त सुझावों का विवरण का समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के सचिव के पास रहेगा। ग्राम सभा प्रति वर्ष ग्राम की प्रगति का जायज़ा लेकर यह सुनिश्चित करती है कि, क्या ग्राम पंचायत ग्राम विकास के कार्यों को गम्भीरता से कर रही है ?

शासन की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाती है, जिससे कि ग्रामीण जन उन योजनाओं का लाभ ले सकें।

ग्राम सभा के कार्य :-

- (1) योजनाओं तथा आर्थिक विकास में उनकी प्राथमिकता की पहचान के लिए नियम बनाना।
- (2) सामाजिक तथा आर्थिक विकास की वार्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं सहित योजनाओं को मंजूरी।
- (3) गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करना।
- (4) समुदाय कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों में जागरूकता लाना।

⁸⁶ खरे, डॉ. आर. के. "भारत में पंचायती राज (म. प्र. के विशेष संदर्भ में)", महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्दौर। पृ. 135.

- (5) लोगों में सामान्य जागरूकता बढ़ाना।
- (6) भूमि, जल तथा वन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का रख-रखाव।
- (7) स्वच्छता, सफाई रखना तथा गंदगी दूर करना।
- (8) मकानों, पेशाबघरों, शौचालयों, नालों तथा जलाशयों का निर्माण करना।
- (9) पशुओं के लिए पानी पीने के लिए तालाबों की व्यवस्था करना।
- (10) ग्रामीण सड़क, पुलिया, पुल, बांध इत्यादि का निर्माण व रख-रखाव।
- (11) सार्वजनिक गलियों, शौचालयों, टैंकों, कुओं इत्यादि का निर्माण करना।
- (12) जन्म, मृत्यु तथा विवाह के दस्तावेजों को रखना।
- (13) ग्राम सभा की सम्पत्तियों का रख-रखाव।
- (14) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट का अध्ययन करना।
- (15) धनराशि के उचित उपयोग का पता लगाना और इसे प्रमाणित करना।

5.6 मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय :-

मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 को दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19 मई, 1997 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म. प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 है।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकेगी, जो कि गाँव के मुख्यालय के नाम से जाना जाएगा।

ग्राम न्यायालय का गठन :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत में सात सदस्य होंगे, जो जनपद पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से नामनिर्देशित किए जाएंगे। ग्राम न्यायालय की स्थापना के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर यदि धारा - 4 के अधीन सर्वसम्मति के नामनिर्देशित नहीं करती है,

तब राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि, धारा - 5 (1) के प्रावधानों के अधीन वह नामनिर्देशित कर सकेगी।

ग्राम न्यायालय के निम्न सदस्य :-

(अ) अनुसूचित जातियों के लिए	—	एक स्थान
(ब) अनुसूचित जनजातियों के लिए	—	एक स्थान
(स) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए	—	एक स्थान
(द) महिलाओं के लिए	—	एक स्थान

सदस्यों की अर्हताएँ :-

ग्राम पंचायत के सदस्य बनाने के लिए निम्न अर्हताएँ होनी चाहिए :-

- (1) 45 वर्ष की आयु हो।
- (2) सदस्य को मैट्रिक पास होना चाहिए।
- (3) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का सदस्य होना चाहिए।

सदस्यों की निरर्हताएँ :-

कोई व्यक्ति ग्राम न्यायालय का सदस्य नहीं होगा; यदि वह —

- (1) किसी ग्राम न्यायालय का सरपंच/उपसरपंच हो।
- (2) जनपद या जिला पदाधिकारी हो।
- (3) विधानसभा या संसद का सदस्य हो।
- (4) कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो।
- (5) सरकारी संस्थाओं का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो।
- (6) निर्वाचन विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
- (7) ग्राम न्यायालय सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

धारा — 10 के अधीन ग्राम न्यायालय का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में यह घोषणा करेगा कि, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है।⁸⁷

⁸⁷ म. प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 — म. प्र. राजपत्र (असाधारण), 25 जून, 1994.

प्रधान का निर्वाचन :-

ग्राम न्यायालय के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को 'प्रधान' के रूप में चुनते हैं, जो ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता करता है। प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित कर लिया जाता है।

सचिव :-

ग्राम न्यायालय का सचिव कानून का जानकार व्यक्ति सदस्य के रूप में सचिव होता है। सचिव अधिनियम के अधीन कार्यों के पालन में सहायता प्रदान करता है और ऐसे कार्यों को सम्पन्न करता है, जो उसे प्रदान किए जाते हैं।

दण्ड अपराध के न्यायालय :-

ग्राम न्यायालय के रूप में निम्नलिखित मामलों की जाँच कर सकता है :-

भारतीय दण्ड संहिता :-

धारा 16 (प) दो (ख) : पशु अत्याचार नियम अधीन अपराध।

(1) धारा - 160 :- दंगा करना।

(2) धारा - 172 :- लोकसेवक द्वारा निकाले गए संभयन के तालिम से बचने के लिए फरार हो जाना।

(3) धारा - 174 :- किसी स्थान से स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाज़िर होने का वैध या आदेश न मानना या वहाँ से बिना अनुमति के चले जाना।

(4) धारा - 175 :- दस्तावेज़ पेश करने में बाधा उत्पन्न करना।

(5) धारा - 178 :- शपथ लेने से इंकार करना।

(6) धारा - 179 :- प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करना।

(7) धारा - 180 :- लोक सेवक के लिए कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना।

(8) धारा - 278 :- लोक सेवक जल स्रोत या जलाशय का जल दूषित करना।

(9) धारा - 279 :- लोक मार्ग पर ऐसे तरीके से वाहन चलाना, जिससे मानव

जीवन पर संकट नहीं हो जाए।

(10) धारा – 283 :- किसी लोक मार्ग या परिवहन पथ से संकट, बाधा या हानि पहुँचाना।

(11) धारा – 268 :- लोक न्यूसेन्स करना।

(12) धारा – 293 :- अश्लील गाने।

(13) धारा – 236 :- ऐसा कार्य, जिसमें दूसरों का जीवन संकटमय हो।

(14) धारा – 341 :- संदोष अपराध के लिए दण्ड।

(15) धारा – 374 :- कानून विरुद्ध अनिवार्य श्रम।

(16) धारा – 379 :- चोरी के लिए दण्ड।

(17) धारा – 447 :- अपराधिक के लिए दण्ड देना।

(18) धारा – 509 :- शब्द, अंग विशेष कार्य, जो किसी की लज्जा का अनादर हो।

मध्य प्रदेश किशोर धूम्रपान अधिनियम के अधीन अपराध तथा सार्वजनिक जुँआ के अधीन अपराध। अन्य अपराधों के विरुद्ध दण्ड देने का अधिकार ग्राम न्यायालय को दिए गए हैं।

ग्राम न्यायालय की शक्तियाँ:-

अधिनियम प्रावधान करता है कि, राज्य सरकार ग्राम न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया के संबंध में कानून बना सकती है। ग्राम न्यायालय की सिविल, राजस्व तथा आपराधिक मामलों में निम्नलिखित शक्तियाँ हैं :-

- (1) ग्राम न्यायालय को दांडिक एवं दिवानी न्यायालय, दोनों ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- (2) ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों के विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएंगे।
- (3) ग्राम न्यायालय, जहाँ तक सम्भव हो, पक्षकारों के बीच सुलह करके विवादों के निराकरण का प्रयास करेंगे।
- (4) आपराधिकर मामलों के सम्बन्ध में अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी, जिसकी सुनवाई एवं निपटान अपील दायर करने की तारीख से छः माह के अन्दर की

जाएगी।

- (5) खेती में भागीदारी के विवाद, ज़मीन के क्रय-विक्रय संबंधी विवाद, सम्पत्ति क्रय करने के अधिकार, मज़दूरों व न्यूनतम मज़दूरी संबंधी विवाद भी ग्राम न्यायालय के दायरे में आयेंगे।
- (6) किसी मामले में निर्णय किए जाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति के मामले में सुनवाई का सुअवसर दिया जायेगा।

अधिनियम का प्रावधान है कि, ग्राम अपराध के संबंध में निम्नलिखित सीमा के अन्तर्गत जुर्माना कर सकता है :-

(1) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 क्रमांक संख्या 45 के अधीन किसी अपराध के संबंध में 1000 से अधिक नहीं हो।

(2) अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 500 से अधिक नहीं हो।

यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम न्यायालय कारावास दण्ड का आदेश नहीं दे सकता है :-

अधिनियम की धारा - 27 के अनुसार यदि ग्राम न्यायालय को जाँच के बाद यह समाधान हो जाता है कि, उसके समक्ष लाया गया ऐसा ग्राम न्यायालय वादी या प्रतिवादी को यह आदेश दे सकता है कि, अभियुक्त 101 रूपये प्रतिकर के रूप में जमा करे। ग्राम न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई जुर्माने या प्रतिकर की रकम एक ऐसी निधि से जमा की जायेगी, जिसे ग्राम न्यायालय निधि कहा जायेगा। यह राशि ग्राम न्यायालय के व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोग की जा सकती है।⁸⁸

⁸⁸ राकेश गौतम (2015): "म. प्र. एक परिचय" (म. प्र. पंचायती राज) Mc Graw Hill Education (India) Private Limited, New Delhi., पृ. 196.


5.7.1 बड़वानी जिले में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास:-

बड़वानी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 7 विकासखण्डों के अन्तर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र एवं 1 लोक सभा पद खरगोन व बड़वानी में सम्मिलित है। जिले के ग्राम राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम व ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण तालिका क्रमांक से स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक – 5.1
बड़वानी जिले के गाँवों की संख्या एवं ग्राम पंचायत

विकासखण्ड	कुल ग्राम	ग्राम पंचायत
बड़वानी	99	52
पाटी	111	45
ठीकरी	102	58
राजपुर	98	66
पानसेमल	103	39
निवाली	79	42
सेन्धवा	124	114
योग	716	416

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



बड़वानी जिले की राजनीतिक व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण के अनुसार जिले के 716 आबाद ग्रामों में 416 ग्राम पंचायतों

के अन्तर्गत बड़वानी विकासखण्ड में कुल 99 ग्रामों के अन्तर्गत 52 ग्राम पंचायत, पाटी विकासखण्ड के अन्तर्गत 111 ग्रामों के लिए 45 ग्राम पंचायत, ठीकरी विकासखण्ड में 102 ग्रामों के लिए 58 ग्राम पंचायत, राजपुर विकासखण्ड में 98 ग्रामों पर 66 ग्राम पंचायत, पानसेमल विकासखण्ड में 103 ग्रामों के लिए 39 ग्राम पंचायत, निवाली विकासखण्ड में 79 ग्रामों के लिए 42 ग्राम पंचायत जबकि सेन्धवा विकासखण्ड में 124 ग्रामों के लिए 114 ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। जबकि सेन्धवा के अतिरिक्त विकासखण्डों में 2 या 3 ग्रामों के लिए 1 ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

5.7.2 स्व-सहायता समूह की स्थिति:-

स्व-सहायता समूह गरीबों की आय से छोटी राशियों को बचाने के लिए स्वैच्छिक रूप से निर्मित एक समरूप समूह है, जो सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक होता है और फलप्रद एवं तत्काल ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसके सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक आम कोष निधि बनाने के लिए सभी सहमत होते हैं।⁸⁹ बड़वानी जिले विकासखण्डों में स्व-सहायता समूहों की स्थिति को तालिका क्रमांक में व्यक्त किया गया है-


⁸⁹ <https://www.syndicatebank.in/downloads/SELF-HELP-GROUP-hindi.pdf>

तालिका क्रमांक – 5.2

सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 अनुसार स्वयं सहायता समूह गठन

विकास खण्ड का नाम	परिवार की संख्या	समूह गठन 31 मार्च 2017	समूह से जुड़े चुके परिवार	समूह गठन 31 मार्च 2018	कुल समूह गठन 31 मार्च 2018	समूह से जुड़े चुके परिवार	समूह से जुड़े चुके परिवार का प्रतिशत	समूह में नहीं जुड़े परिवार	समूह में नहीं जुड़े परिवार का प्रतिशत
बड़वानी	19393	950	10815	42	992	11319	58.37	8074	41.63
पाटी	20283	1122	12551	211	1333	15083	74.37	5200	25.63
ठीकरी	18662	984	10885	52	1036	11509	61.68	7153	38.32
राजपुर	23359	1294	15446	81	1375	16418	70.28	6941	29.72
पानसेमल	19337	1203	13325	82	1285	14309	73.99	5028	26.01
निवाली	12039	888	9921	50	938	10521	87.39	1518	12.61
सेन्धवा	39983	1945	21913	160	2105	23833	59.61	16150	40.39
योग	153056	8386	94856	678	9064	102992	67.29	50064	32.71

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



ग्रामीण क्षेत्र में बचत को प्रोत्साहित करने, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिला विकास के उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों के गठन के अन्तर्गत सेन्धवा

विकासखण्ड में 39983 परिवारों में वर्ष 2017 1945 समूहों के माध्यम से 21913 परिवार एवं 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 2105 समूहों का गठन कर 23833 परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है। जबकि 16150 परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

सेन्धवा विकासखण्ड में मार्च 2018 तक कुल परिवारों में 59.61 प्रतिशत परिवार स्व-सहायता समूह से जुड़ पाए हैं जबकि 40.39 प्रतिशत परिवार स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

राजपुर विकासखण्ड में 23359 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 1375 समूहों का गठन कर 16418 (70.28 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है, जबकि 6941 (29.72 प्रतिशत) परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

बड़वानी विकासखण्ड में 19393 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 992 समूहों का गठन कर 11319 (58.37 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है, जबकि 8074 (41.63 प्रतिशत) परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

ठीकरी विकासखण्ड में 18662 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 1036 समूहों का गठन कर 11509 (61.68 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है, जबकि 7153 (38.32 प्रतिशत) परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

पाटी विकासखण्ड में 20283 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 1333 समूहों का गठन कर 15083 (74.37 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है, जबकि 5200 (25.63 प्रतिशत) परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

पानसेमल विकासखण्ड में 19337 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 1285 समूहों का गठन कर 14309 (73.99 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया

गया है, जबकि 5028 (26.01 प्रतिशत) परिवार अभी भी स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं।

निवाली विकासखण्ड में 12039 परिवारों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल 938 समूहों का गठन कर 10521 (87.39 प्रतिशत) परिवारों को समूह में सम्मिलित किया गया है, जबकि 1518 (12.61 प्रतिशत) परिवार स्व-सहायता समूहों से नहीं जुड़ पाए हैं। बड़वानी जिले में निवाली विकासखण्ड के सर्वाधिक परिवार स्व-समूह से जुड़े हैं। जबकि बड़वानी तहसील के सर्वाधिक परिवार स्व-सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं।

5.7.3 बड़वानी जिले से पलायन की स्थिति:—


स्व-सहायता समूह से नहीं जुड़ने के प्रमुख कारणों के अन्तर्गत सबसे बड़ा कारण ग्रामीण परिवारों का पलायन है। पलायन के कारण गाँवों के अनेक परिवार वर्ष की अधिकांश अवधि के लिए गाँव से बाहर रहकर रोजगार की तलाश करते हैं। रोजगार की तलाश में गाँव से पलायन के लिए कृषि भूमि का अभाव, सिंचाई साधनों की कमी, अल्प उत्पादकता, अशिक्षा, व गैर कृषि रोजगार के प्रति आकर्षण प्रमुख कारण है। बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों से पलायन की स्थिति को तालिका क्रमांक में व्यक्त किया गया है—

तालिका क्रमांक – 5.3

बड़वानी जिल से 6 माह अथवा अधिक अवधि के लिए वर्ष 2017 की स्थिति में पलायन करने वाले परिवार की स्थिति

विकास खण्ड	कुल परिवार की संख्या	स्थाई/6 माह से अधिक पलायन	
		परिवारों की संख्या	प्रतिशत
बड़वानी	19393	1160	5.98
पाटी	20283	2771	13.66
ठीकरी	18662	1068	5.72
राजपुर	23359	1138	4.87
पानसेमल	19337	1485	7.67
निवाली	12039	1564	12.99
सेन्धवा	39983	3590	8.97
योग	153056	12776	8.35

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा पलायन है। पलायन का मुख्य कारण ग्रामीण बेरोजगारी तथा ऋणग्रस्तता है। बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों से 6 माह अथवा अधिक अवधि के लिए पलायन करने वाले परिवारों सेन्धवा विकासखण्ड से 8.97 प्रतिशत, बड़वानी विकासखण्ड से 5.98 प्रतिशत, ठीकरी विकासखण्ड से 5.72 प्रतिशत, सर्वाधिक 13.66 प्रतिशत पाटी विकासखण्ड से, पानसेमल विकासखण्ड से 7.67 प्रतिशत, राजपुर विकासखण्ड से 4.87 प्रतिशत, निवाली विकास खण्ड से 12.99 प्रतिशत जनसंख्या पलायन करती है। सम्पूर्ण जिले की 8.35 प्रतिशत जनसंख्या का पलायन 6 माह अथवा इससे अधिक अवधि के लिए होता है।

जिले की कुल जनसंख्या का 8.35 प्रतिशत हिस्सा रोजगार की तलाश में वर्ष में 6 माह या उससे अधिक अवधि के लिए जिले से बाहर रोजगार की तलाश में गाँव से बाहर रहते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की सुनिश्चितता के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या का पलायन एक गंभीर समस्या है।

5.7.4 स्वच्छता अभियान:—

ग्रामीण समुदायों के लोगों की स्वास्थ्य व पोषण पर गंदगी का गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रामीणों की स्वच्छता की आदत में वृद्धि एवं खुले में शौच की आदत से छुटकारा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में वृद्धि के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय विहिन परिवारों को शौचालय की सुलभता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों में शौचालय निर्माण की स्थिति को तालिका क्रमांक 5.4 में दर्शाया गया है—


तालिका क्रमांक – 5.4

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत वर्षवार निर्मित शौचालय एवं शेष लक्ष्य की जानकारी

विकास खण्ड	कुल परिवार	शौचालय की आवश्यकता वाले परिवार	शौचालय विहिन परिवार का कुल परिवार से प्रतिशत	कुल निर्मित शौचालय	कुल निर्मित शौचालय का शौचालय विहिन परिवार से प्रतिशत	शौचालय विहिन परिवार	शौचालय विहिन परिवार का प्रतिशत
बड़वानी	27693	17667	63.79	14733	53.21	2934	10.59
पाटी	27784	25494	91.75	15278	54.98	10216	36.76
ठीकरी	27326	18548	67.87	15424	56.44	3124	11.43
राजपुर	29757	21303	71.58	14904	50.08	6399	21.50
पानसेमल	21458	18544	86.42	17034	79.38	1510	7.03
निवाली	15745	10521	66.82	9540	60.59	981	6.23
सेन्धवा	47499	43089	90.71	30222	63.62	12867	27.08
योग	197262	155166	78.65	117135	59.38	38031	19.27

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत वर्षवार निर्मित शौचालय एवं शेष लक्ष्य की जानकारी



स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बड़वानी विकासखण्ड में 27693 परिवारों में 17667 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 14733 (83.39 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 2934 (16.61 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

निवाली विकासखण्ड में 15745 परिवारों में 10521 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 9540 (60.59 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 981 (6.23 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

पानसेमल विकासखण्ड में 21458 परिवारों में 18544 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 17034 (79.38 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 1510 (7.03 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

पाटी विकासखण्ड में 27784 परिवारों में 25494 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018

तक 15278 (54.98 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 10216 (36.76 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

राजपुर विकासखण्ड में 29757 परिवारों में 21303 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 14904 (50.08 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 6399 (21.50 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

संधवा विकासखण्ड में सर्वाधिक 47499 परिवारों में 43089 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 30222 (63.62 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 12867 (27.08 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

ठीकरी विकासखण्ड में 27326 परिवारों में 18548 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 15424 (56.44 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 3124 (11.43 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

बड़वानी जिले के समस्त 197262 परिवारों में 155166 को शौचालय की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनमें 31 मार्च 2018 तक 117135 (59.38 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण किया गया जबकि 38031 (19.27 प्रतिशत) परिवार शौचालय की सुविधा से वंचित है।

5.7.5 स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार:—


मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों के अन्तर्गत विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई, सड़क, जल स्रोतों का संरक्षण आदि कार्यों का संचालन किया जाता है। बड़वानी जिले के विभिन्न विकासखण्डों में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण की स्थिति को तालिका क्रमांक 5.5 में दर्शाया गया है—

तालिका क्रमांक – 5.5

मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी वर्ष 2017-18

विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	नियुक्त किए गए पौधारक्षकों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत
बड़वानी	52	98	170	170
पाटी	38	55	305	305
ठीकरी	58	96	226	226
राजपुर	66	98	261	245
पानसेमल	39	83	90	90
निवाली	42	72	330	330
सेन्धवा	68	85	277	277
योग	363	587	1659	1643

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



उपरोक्त तालिका के अनुसार बड़वानी जिले में पंचायतों के अन्तर्गत मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्धता एवं ग्रामीण विकास की दिशा में जिले में 363 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 587 ग्रामों में वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

बड़वानी विकासखण्ड के 52 ग्राम पंचायत के 98 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 170 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।

निवाली विकासखण्ड के 42 ग्राम पंचायत के 72 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 330 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।

पानसेमल विकासखण्ड के 39 ग्राम पंचायत के 83 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 90 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।

पाटी विकासखण्ड के 38 ग्राम पंचायत के 55 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 305 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।

राजपुर विकासखण्ड के 66 ग्राम पंचायत के 98 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 261 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई जिनमें से 245 पौधारक्षक वर्तमान में कार्यरत है।

संधवा विकासखण्ड के 68 ग्राम पंचायत के 85 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 277 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।

ठीकरी विकासखण्ड के 58 ग्राम पंचायत के 96 गाँव में वृक्षारोपण किया गया एवं रोपित पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए 226 पौधारक्षकों की नियुक्ति की गई।


मनरेगा के तहत रोपित पौधों के अन्तर्गत परियोजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र की स्थिति एवं पौधों के प्रकार के अन्तर्गत पेड़ों का प्रकार एवं फलदार पेड़ों की स्थिति का वर्णन तालिका क्रमांक में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक – 5.6

मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी वर्ष 2018-19

विकास खण्ड	वृक्षारोपण हेतु चिन्हित		परियोजनाओं की संख्या			पौधे की आवश्यकता		
	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	सामुदायिक	निजी खेत पर	खेत की मेढ़ पर	वानिकी प्रजाति	फलोद्यान	योग
बड़वानी	52	78	26	52	260	16250	62400	78650
पाटी	45	77	23	45	225	14375	54000	68375
ठीकरी	58	93	29	58	290	18125	69600	87725
राजपुर	66	94	33	66	330	20625	79200	99825
पानसेमल	39	83	39	39	195	24375	46800	71175
निवाली	42	72	1	42	210	13125	50400	63525
सेन्धवा	114	153	46	114	570	28750	136800	165550
योग	416	650	217	416	2080	135625	499200	634825

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में बड़वानी विकासखण्ड के 52 ग्राम पंचायतों के 78 गाँवों में 26 सामुदायिक, 52 निजी खेत पर, 260 खेत की मेढ़ पर 16250 वानिकी

प्रजाति एवं 62400 फलोंदयान के कुल 78650 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निवाली विकासखण्ड के 42 ग्राम पंचायतों के 72 गाँवों में 1 सामुदायिक, 42 निजी खेत पर, 210 खेत की मेढ़ पर 13125 वानिकी प्रजाति एवं 50400 फलोंदयान के कुल 63525 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पानसेमल विकासखण्ड के 39 ग्राम पंचायतों के 83 गाँवों में 39 सामुदायिक, 39 निजी खेत पर, 195 खेत की मेढ़ पर 24375 वानिकी प्रजाति एवं 46800 फलोंदयान के कुल 71175 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पाटी विकासखण्ड के 45 ग्राम पंचायतों के 77 गाँवों में 23 सामुदायिक, 45 निजी खेत पर, 225 खेत की मेढ़ पर 14375 वानिकी प्रजाति एवं 54000 फलोंदयान के कुल 68375 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजपुर विकासखण्ड के 66 ग्राम पंचायतों के 94 गाँवों में 33 सामुदायिक, 66 निजी खेत पर, 330 खेत की मेढ़ पर 20625 वानिकी प्रजाति एवं 79200 फलोंदयान के कुल 99825 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सैंधवा विकासखण्ड के 114 ग्राम पंचायतों के 153 गाँवों में 46 सामुदायिक, 114 निजी खेत पर, 570 खेत की मेढ़ पर 28750 वानिकी प्रजाति एवं 136800 फलोंदयान के कुल 165550 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ठीकरी विकासखण्ड के 58 ग्राम पंचायतों के 93 गाँवों में 29 सामुदायिक, 58 निजी खेत पर, 290 खेत की मेढ़ पर 18125 वानिकी प्रजाति एवं 69600 फलोंदयान के कुल 87725 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समस्त बड़वानी जिले के 416 ग्राम पंचायतों के 650 गाँवों में 217 सामुदायिक, 416 निजी खेत पर, 2080 खेत की मेढ़ पर 135625 वानिकी प्रजाति एवं 499200 फलोंदयान के कुल 634825 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पिने के पानी की सुलभता के लिए वाटरशेड निर्माण किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक की टंकी अथवा पक्की टंकीयों का निर्माण किया जाता है। टंकीयों तक पानी की पहुंच के लिए पाईप लाइन, मोटर आदि का प्रबंध किया जाता है।


बड़वानी जिले में विभिन्न विकासखण्डों में वर्ष 2017-18 में वाटरशेड निर्माण की स्थिति को तालिका क्रमांक 5.7 में व्यक्त किया गया है-

तालिका क्रमांक - 5.7

पी. एम. के. एस. व्हाय वाटरशेड विकास कार्य की जानकारी वर्ष 2018

परियोजना क्रमांक	जनवरी 2018 का लक्ष्य (लाख में)	कुल समितियाँ की संख्या	समितियों के स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्यों की लागत (लाख में)	लक्ष्य एवं स्वीकृत कार्यों की लागत में अन्तर
सेंधवा 4	40	8	5	45.49	-5.49
सेंधवा 5	41.86	8	8	75.00	-33.14
राजपुर 6	47.25	8	7	68.42	-21.17
राजपुर 7	56.36	8	8	75.49	-19.13
बड़वानी 8	24.37	8	1	57.79	-33.42
सेंधवा 9	25.00	7	3	30.77	-5.77
सेंधवा 10	25.02	7	4	34.16	-9.14
पनसेमल 11	30.00	9	3	36.24	-6.24
योग	289.86	63	39	423.36	-133.50

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



बड़वानी जिले में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वर्ष 2017-18 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत समितियों का निर्माण कर वाटरशेड का निर्माण करने के लिए

लक्ष्य निर्धारित किए गए। जिसमें सेंधवा में परियोजना क्रमांक 4 के तहत वर्ष 2018 में 40 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 8 समितियों में 5 को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 45.49 लाख रू. निर्धारित की गई।

सेंधवा में परियोजना क्रमांक 5 के तहत वर्ष 2018 में 41.86 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 8 समितियों में सभी 8 समितियों को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 75 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 33.14 लाख रू. अधिक है।

राजपुर में परियोजना क्रमांक 6 के तहत वर्ष 2018 में 47.25 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 8 समितियों में 7 समितियों को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 68.42 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 21.17 लाख रू. अधिक है।

राजपुर में परियोजना क्रमांक 7 के तहत वर्ष 2018 में 56.36 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 8 समितियों में सभी 8 समितियों को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 75.49 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 19.13 लाख रू. अधिक है।

बड़वानी विकासखण्ड में परियोजना क्रमांक 8 के तहत वर्ष 2018 में 24.37 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 8 समितियों में 1 समिति को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 57.79 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 33.42 लाख रू. अधिक है।

सेंधवा विकासखण्ड में परियोजना क्रमांक 9 के तहत वर्ष 2018 में 25 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 7 समितियों में 3 समिति को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों

की लागत 30.77 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 5.77 लाख रू. अधिक है।

संधवा विकासखण्ड में परियोजना क्रमांक 10 के तहत वर्ष 2018 में 25.02 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 7 समितियों में 4 समिति को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 34.16 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 9.14 लाख रू. अधिक है।

पानसेमल विकासखण्ड में परियोजना क्रमांक 11 के तहत वर्ष 2018 में 30.00 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 9 समितियों में 3 समिति को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 36.24 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 6.24 लाख रू. अधिक है।

बड़वानी जिले की सभी परियोजनाओं के तहत वर्ष 2018 में 289.86 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया। वाटरशेड के निर्माण के लिए 63 समितियों में 39 समिति को वाटरशेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत 423.36 लाख रू. निर्धारित की गई। जो निर्धारित लक्ष्य से 133.50 लाख रू. अधिक है।

5.7.6 प्रधानमंत्री आवास योजना:—


ग्रामीण आवासीय समस्या के निराकरण के लिए शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवारों जिनके आवास कच्चे व मिट्टी, बांस व खपरेल से बने हैं। उनको पक्के आवासीय की सुविधा के लिए पंचायतों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया। वर्ष 2017-18 तक आवास की आवश्यकता वाले परिवार की स्थिति एवं योजना के हितग्राहियों परिवारों की स्थिति को तालिका क्रमांक 5.8 में दर्शाया गया है—

तालिका क्रमांक – 5.8

वर्ष 2017 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास वितरण

विकासखण्ड	निर्धारित लक्ष्य	पंजीकृत	पंजीकृत हितग्राहियों का निर्धारित लक्ष्य से प्रतिशत	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्य का पंजीकृत से प्रतिशत	शेष	शेष कार्य का पंजीकृत से प्रतिशत
बड़वानी	3838	3726	97.08	1689	45.33	2037	54.66
पाटी	7360	7137	96.970	2839	39.77	4298	60.22
ठीकरी	2786	2837	101.83	1404	49.48	1433	50.51
राजपुर	5214	4965	95.22	2294	46.20	2671	53.79
पानसेमल	5724	5649	98.68	1574	27.86	4075	72.13
निवाली	2684	2697	100.48	1187	44.01	1510	55.98
सेन्धवा	3879	4009	103.35	2132	53.18	1877	46.81
कुल	31485	31020	98.52	13119	42.29	17901	57.70

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में बड़वानी विकासखण्ड में 3838 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 3726 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 1689 (45.33 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2037 (54.66 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

निवाली विकासखण्ड में 2684 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 2697 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 1187 (44.01 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1510 (55.98 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

पानसेमल विकासखण्ड में 5724 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 5649 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 1574 (27.86 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 4075 (72.13 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

पाटी विकासखण्ड में 7360 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 7137 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 2839 (39.77 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 4298 (60.22 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

राजपुर विकासखण्ड में 5214 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 4965 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 2294 (46.20 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2671 (53.79 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

सेन्धवा विकासखण्ड में 3879 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 4009 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 2132 (53.18 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1877 (46.81 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

ठीकरी विकासखण्ड में 2786 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 2837 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 1404 (49.48 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1433 (50.51 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

बड़वानी जिले में 31485 आवासीय भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए 31020 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2018 की स्थिति में 13119 (42.29 प्रतिशत) आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 17901 (57.70 प्रतिशत) भवनों का निर्माण किया जाना शेष है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न सामाजिक समूहों को आवास योजना के तहत व्यय की गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक 5.9 में दर्शाया गया है—


तालिका क्रमांक – 5.9

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपयाग किया गया फण्ड वर्ष 2017–18

विकासखण्ड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल
बड़वानी	229.55	1341.5	4.65	284.2	1859.9
पाटी	1408.75	2500.5	12.3	260.95	4182.5
ठीकरी	244.2	889.6	2.4	420.65	1556.85

राजपुर	245.15	2003.3	5.15	169.25	2422.85
पानसेमल	197.1	1557.45	0.8	261.1	2016.45
निवाली	67	1285.85	2.4	49	1404.25
सेन्धवा	159	2514.5	49.75	0	2723.25
कुल	2550.75	12092.7	77.45	1445.15	16166.05

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।



प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न सामाजिक वर्गों के अन्तर्गत कोष का वितरण बड़वानी विकासखण्ड में 229.55 लाख रु. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 1341.5 लाख रु. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4.65 लाख रु. अल्पसंख्यक एवं 284.2 लाख रु. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 1859.9 लाख रु. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

निवाली विकासखण्ड में 67 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 1285.85 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 2.4 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 49 लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 1404.25 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

पानसेमल विकासखण्ड में 197.1 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 1557.45 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 0.8 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 261.2 लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 2016.45 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

पाटी विकासखण्ड में 1408.75 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 2500.5 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 12.3 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 260.95 लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 4182.5 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

राजपुर विकासखण्ड में 245.15 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 2003.3 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 5.15 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 169.25 लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 2422.85 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

सेन्धवा विकासखण्ड में 159 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 2514.5 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 49.75 लाख रू. अल्पसंख्यक के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 2723.25 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

ठीकरी विकासखण्ड में 244.2 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 889.6 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 2.4 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 420.65 लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 1556.65 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न सामाजिक वर्गों के अन्तर्गत कोष का वितरण बड़वानी जिले में 2550.75 लाख रू. अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत, सर्वाधिक 12092.7 लाख रू. अनुसूचित जनजाति वर्ग, 77.45 लाख रू. अल्पसंख्यक एवं 1445.15


लाख रू. अन्य समुदाय के आधार पर समस्त विकास खण्ड में 16166.05 लाख रू. आवास योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए।



तालिका क्रमांक – 5.10

वर्ष 2016–17 तक मनरेगा के तहत कुल रोजगार श्रजन एवं जॉबकार्ड का वितरण

विकास खण्ड का नाम	कुल पंजीकृत		सामाजिक वर्गानुसार जॉबकार्ड वितरण				रोजगार की मांग		रोजगार उपलब्ध करवाया		
	परिवारों की संख्या	व्यक्ति	अनुसूचि त जाति	अनुसूचि त जनजाति	अन्य	कुल	परिवारों की संख्या	व्यक्ति	परिवारों की संख्या	व्यक्ति	कार्यदिव स
बड़वानी	22579	65556	2022	16814	3653	22489	10244	24419	8412	18781	261609
पाटी	38401	86778	1804	29085	7299	38188	25917	50198	22749	42757	895615
ठीकरी	23520	60524	3708	9931	9732	23371	6075	14070	4380	9966	145268
राजपुर	25272	81096	1435	19728	3995	25158	8441	19395	5798	12457	196178
पानसेम ल	22276	74161	6370	11333	4204	21907	7082	20594	40085	10723	126924
निवाली	14785	56747	475	13079	992	14546	7827	19502	4774	11252	142686
सेन्धवा	42093	13797 8	9402	30110	1594	41106	17018	43606	11819	28030	341462
योग	18892 6	56284 0	25216	130080	3146 9	18676 5	82604	19178 4	61940	13396 6	2109742

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।





बड़वानी विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 22579 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 65556 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 2022 अनुसूचित जाति, 16814 अनुसूचित जनजाति, 3653 अन्य वर्ग तथा कुल 22489 परिवारों को जॉबकार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 10244 के अन्तर्गत 24419 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 8412 परिवारों के 18781 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 261609 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

निवाली विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 14785 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 56747 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 475 अनुसूचित जाति, 13079 अनुसूचित जनजाति, 992 अन्य वर्ग तथा कुल 14546 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 7827 के अन्तर्गत 19502 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 4774 परिवारों के 11252 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 142686 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

पानसेमल विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 22276 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 74161 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 6370 अनुसूचित जाति, 11333 अनुसूचित जनजाति, 4204 अन्य वर्ग तथा कुल 21907 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 7082 के अन्तर्गत 20594 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 40085 परिवारों के 10723 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 126924 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

पाटी विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 38401 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 86778 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 1804 अनुसूचित जाति, 29085 अनुसूचित जनजाति, 7299 अन्य वर्ग तथा

कुल 38188 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 25917 के अन्तर्गत 50198 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 22749 परिवारों के 42757 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 895615 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

राजपुर विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 25272 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 81096 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 1435 अनुसूचित जाति, 19728 अनुसूचित जनजाति, 3995 अन्य वर्ग तथा कुल 25158 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 8441 के अन्तर्गत 19395 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 5798 परिवारों के 12457 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 196178 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

सेन्धवा विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 42093 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 137978 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 9402 अनुसूचित जाति, 30110 अनुसूचित जनजाति, 1594 अन्य वर्ग तथा कुल 41106 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 17018 के अन्तर्गत 43606 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 11819 परिवारों के 28030 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 341462 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

ठीकरी विकासखण्ड में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 23520 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 60524 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 3708 अनुसूचित जाति, 9931 अनुसूचित जनजाति, 9732 अन्य वर्ग तथा कुल 23371 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 6075 के अन्तर्गत 14070 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके

अन्तर्गत 4380 परिवारों के 9966 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया एवं 145268 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

समस्त बड़वानी जिले में वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या 188926 जिनमें रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 562840 है। सामाजिक वर्गानुसार जॉब कार्ड के अन्तर्गत 25216 अनुसूचित जाति, 130080 अनुसूचित जनजाति, 31469 अन्य वर्ग तथा कुल 186765 परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। रोजगार की मांग करने वाले कुल परिवार की संख्या 82604 के अन्तर्गत 191784 व्यक्ति रोजगार की मांग की गई। जिसके अन्तर्गत 61940 परिवारों के 133966 व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध करवाया गया जिससे 2109742 कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।


तालिका क्रमांक – 5.11

वर्ष 2018 तक मनरेगा के तहत कुल कार्यों की संख्या

विकास खण्ड	बाढ़ नियंत्रण	ग्रामीण संपर्क	जल संरक्षण और जल सुविधा	पारम्परिक जल निकायों का संवर्धन	सुखारोधन	सिंचाई	सिंचाई सुविधाएँ	भूमि विकास	ग्रामीण पिने का पानी	स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रबंध	कुल
बड़वानी	1	85	158	2	20	0	702	36	0	11	1015
पाटी	1	67	229	0	78	0	1128	305	0	113	1927
ठीकरी	0	70	31	0	11	1	717	9	1	63	906
राजपुर	1	67	35	0	6	0	963	11	14	25	1146
पानसेमल	1	72	71	1	10	0	554	14	3	6	732
निवाली	4	132	84	7	6	0	515	17	0	19	785
सेन्धवा	1	161	46	3	4	0	1422	8	8	1	1667
योग	9	654	654	13	135	1	6001	400	26	238	8178

स्रोत :- जिला परियोजना कार्यालय, जिला पंचायत, बड़वानी।

मनरेगा के तहत कुल कार्यों की संख्या



बड़वानी विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 85 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 158 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 2 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 20 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 702 कार्य, भूमि विकास के 36 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 0 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 11 कार्य को मिलाकर कुल 1015 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

निवाली विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 4 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 132 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 84 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 7 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 6 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 515 कार्य, भूमि विकास के 17 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 0 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 19 कार्य को मिलाकर कुल 785 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

पानसेमल विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 72 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 71 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 1 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 10 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 554 कार्य, भूमि विकास के 14 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 3 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 6 कार्य को मिलाकर कुल 732 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

पाटी विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 67 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 229 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 0 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 78 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 1128 कार्य, भूमि विकास के 305 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 0 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 113 कार्य को मिलाकर कुल 1927 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

राजपुर विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 67 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 35 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 0 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 6 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 963 कार्य, भूमि विकास के 11 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 14 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 25 कार्य को मिलाकर कुल 1146 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

सेन्धवा विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 161 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 46 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 3 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 4 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 0, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 1422 कार्य, भूमि विकास के 8 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 8 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 1 कार्य को मिलाकर कुल 1667 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

ठीकरी विकासखण्ड में बाढ़ नियंत्रण के लिए 0 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 70 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं

जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 31 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 0 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 11 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 1, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 717 कार्य, भूमि विकास के 9 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 1 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 63 कार्य को मिलाकर कुल 906 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

मनरेगा के तहत सम्पन्न कार्यों में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास किए गए जिनमें बड़वानी जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए 9 कार्य, ग्रामीण सम्पर्क अथवा सड़कों के अन्तर्गत 654 स्थानीय सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं जल सुविधा के अन्तर्गत तालाबों का गहरीकरण एवं पालों/मेढ़ों का निर्माण संख्या 654 है। पारम्परिक जल निकायों के अन्तर्गत नदी एवं नालों का सवर्धन के अन्तर्गत 13 कार्य, सुखे से बचने के लिए पौधारोपण के अन्तर्गत 135 कार्य, सिंचाई हेतु जल व्यवस्था के लिए 1, सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत 6001 कार्य, भूमि विकास के 400 कार्य, ग्रामीण पिने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प, मोटर, ट्यूबवेल के 26 कार्य, स्वच्छता व स्वास्थ्य विकास के 238 कार्य को मिलाकर कुल 8178 कार्य को मूर्त रूप दिया गया।

अध्याय – षष्ठम्

“प्राथमिक समंकों का संकलन”

- 6.1 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक जानकारी
- 6.2 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण की स्थिति
- 6.3 सर्वेक्षित उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न बैंकों से ऋण का प्रभाव

अध्याय – षष्ठम्

पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास का प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित विश्लेषण

वर्तमान में पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की दिशा में अग्रसर हैं। ग्रामीण विकास की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण स्तर पर राजनीतिकरण की प्रक्रियामें वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 73वें संशोधन की प्रमुख व्यवस्था में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सम्बन्धित पंचायत के सभी वयस्क मताधिकारियों द्वारा ग्राम सभा का गठन, प्रत्येक पंचायत की पांच वर्ष की कार्यविधि तथा विघटन की दशा में पुर्ननिर्वाचन की व्यवस्था, पंचायतों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने के अधिकार नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, पृथक राज्य वित्त आयोग सम्मिलित है।⁹⁰

अनुच्छेद 243 (छः) के द्वारा व्यवस्था की गयी की पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का स्वयं निर्माण करेंगी। इस उद्देश्य से संविधान में 11वीं अनुसूची प्रतिस्थापित की गयी है, जिसमें कृषि, लघु उद्योग, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण और परिवार कल्याण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवास, पेयजल कार्यक्रम, ग्रामीण संचार, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी निवारण कार्यक्रम, स्वच्छता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित कुल 20 विषय सम्मिलित हैं। पंचायतों को ग्रामीण

⁹⁰ सिंह, आर. पी. (2000): "महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायती राज व ग्राम विकास" आदित्य पब्लिशर्स, बीना। पृ. 11

क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यों की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। संविधान की 21वीं सूची में ग्राम पंचायत के अधालिखित कार्य निम्न हैं:—

- बंजर भूमि के विकास से लेकर खेती किसानों आदि के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने एवं बागवानी को प्रोत्साहित करना।
- मत्स्य पालन एवं पशु पालन उद्योग को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ वनोपज के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हुए हरित क्रान्ति को जन आंदोलन का रूप देना।
- भूमि संरक्षण एवं लघु किसानों की जमीन की चकबन्दी करना।
- निस्तारी तालाब, कुआँ, पोखरों आदि की देखभाल एवं ईंधन तथा चारागाह भूमि के विकास की योजनाओं को मूर्तरूप देना।
- सड़क, पुलिया आदि का निर्माण एवं सार्वजनिक मार्गों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना।
- गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता दूर करने का प्रयास करना।
- ग्रामीण शिल्प एवं शिल्पकारों के उत्साहवर्धन के लिए विभिन्न आयोजन गांव के परिवेश में तैयार करना।
- शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के क्षेत्र में गांव में ही पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पोषण आहारों पर कार्यशाला के माध्यम से जन जागृति लाना।
- विकलांग वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के साथ-साथ कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं देखभाल करना।⁹¹

बड़वानी जिले में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास का अध्ययन करने के लिए जिले की चार तहसीलों (बड़वानी, सेंधवा, निवाली और पानसेमल) का चयन सविचार

⁹¹ सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000): “पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व” रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर। पृ. 231-244

निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। प्रत्येक तहसील से 5-5 गाँव का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। प्रत्येक गाम पंचायत से 10-10 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाताओं से ग्रामीण स्तर पर पंचायतों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों के आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में चयनित उत्तरदाताओं से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी को विभिन्न तालिकाओं में विभाजित कर वर्णन किया है।

उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय स्वरूप:-


उत्तरदाताओं के जनसांख्यिकीय स्वरूप के अन्तर्गत आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक सदस्य, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, आय और व्यय आदि का वर्णन किया गया है। उत्तरदाताओं की लिंगानुसार आयुवर्ग का वर्णन तालिका क्रमांक 6.1 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक – 6.1

उत्तरदाताओं का लिंग आधारित वर्गीकरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिला	23	11.5
2	पुरुष	177	88.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




तालिका के अनुसार दैव निदर्शन विधि द्वारा साक्षात्कार के अन्तर्गत चयनित उत्तरदाताओं में 23 (11.5 प्रतिशत) महिला एवं 177 (88.5 प्रतिशत) पुरुष उत्तरदाताओं द्वारा पंचायत एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को उपलब्ध करवाया गया।

तालिका क्रमांक – 6.2

उत्तरदाताओं की आयु

क्र.	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	18 से 30 वर्ष	42	21
2	30 से 45 वर्ष	112	66
3	45 से अधिक	46	23
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




तालिका के अनुसार निदर्शन में सम्मिलित सभी वयस्क उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 112 (66 प्रतिशत) उत्तरदाता 30 से 45 आयु वर्ग के अन्तर्गत जबकि 18 से 30 वर्ष आयु वाले 42 (21 प्रतिशत) एवं 45 से अधिक आयु वर्ग के अन्तर्गत 46 (23 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं।

तालिका क्रमांक – 6.3

उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकाकी	37	18.5
2	संयुक्त	163	81.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निदर्शन में सम्मिलित 163 (81.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का परिवार संयुक्त है। जबकि 37 (18.5 प्रतिशत) प्रतिशत परिवार एकाकी है।

भारत में जाति व्यवस्था केवल एक परम्परागत सामाजिक संस्था होने के साथ-साथ ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार भी है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति वर्ग के से सम्बन्धित है। तालिका क्रमांक 6.4 में उत्तरदाता की उपजाति का वर्णन किया गया है—

तालिका क्रमांक – 6.4
उत्तरदाता की जाति एवं उपजाति

क्र.	अनुसूचित जनजाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बारेला	145	72.5
2	भिलाला	55	27.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सर्वाधिक 145 (72.5 प्रतिशत) बारेला उपजाति तथा 55 (27.5 प्रतिशत) भिलाला जनजाति के अन्तर्गत है। बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या में 69.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 6.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या है।⁹²

तालिका क्रमांक – 6.5
उत्तरदाता का शैक्षणिक स्तर

⁹² http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_BARWANI.pdf page 29

क्र.	उत्तरदाता का शैक्षणिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	63	31.5
2	प्राथमिक	44	22
3	माध्यमिक	86	43
4	स्नातक	6	3
5	स्नातक से अधिक	1	0.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



तालिका से स्पष्ट है कि निदर्शन में सम्मिलित 63 (31.5 प्रतिशत) उत्तरदाता अशिक्षित हैं, 44 (22 प्रतिशत) प्राथमिक, सर्वाधिक 86 (43 प्रतिशत) उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 6 (3 प्रतिशत) उत्तरदाता स्नातक एवं 1 (0.5 प्रतिशत) स्नातक से अधिक शिक्षित हैं। बड़वानी जिले की साक्षरता दर 49.1 प्रतिशत है।⁹³


तालिका क्रमांक – 6.6

उत्तरदाता की विवाहित स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	167	83.5
2	अविवाहित	33	16.5
	कुल	200	100

⁹³ http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_BARWANI.pdf page 28

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में सम्मिलित उत्तरदाताओं में 167 (83.5 प्रतिशत) विवाहित एवं 33 (16.5 प्रतिशत) अविवाहित है।

तालिका क्रमांक – 6.7

उत्तरदाता के परिवार में सदस्य संख्या

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	4 सदस्य से कम	11	5.5
2	4 से 6 सदस्य	68	34
3	6 सदस्य से अधिक	121	60.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




11 (5.5 प्रतिशत) उत्तरदाता के परिवार में 4 सदस्य से कम, 68 (34 प्रतिशत) उत्तरदाता के परिवार में 4 से 6 सदस्य, सर्वाधिक 121 (60.5 प्रतिशत) परिवार में 6 से अधिक सदस्य सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक – 6.8
उत्तरदाता के परिवार कार्यशील सदस्य संख्या

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 सदस्य	39	19.5
2	2 सदस्य	67	33.5
3	2 सदस्य से अधिक	94	47
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



उपर्युक्त तालिका के अनुसार परिवार में विभिन्न कार्यशील सदस्य संख्या के अन्तर्गत 39 (19.5 प्रतिशत) परिवारों में 1 सदस्य कार्यशील है। 67 (33.5 प्रतिशत) परिवारों में 2 सदस्य कार्यशील है। 94 (47 प्रतिशत) परिवारों में 2 सदस्य से अधिक कार्यशील है। बड़वानी जिले में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 47.2 प्रतिशत है।⁹⁴

⁹⁴ http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_BARWANI.pdf page 28


हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 8 वर्ष के बच्चे भी आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य पशु चारण है, बच्चे पशुओं को चराने के अतिरिक्त खेतों में बिजरोपण, फसलों को चुनने, बिनने एवं साफ करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग करते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.9

उत्तरदाता का मुख्य व्यवसाय

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गृहणी	23	11.5
2	विद्यार्थी	67	33.5
3	कृषि	83	41.5
6	अन्य (मजदूरी)	27	13.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 23 (11.5 प्रतिशत) महिला उत्तरदाता गृहणी, 67 (33.5 प्रतिशत) विद्यार्थी, 83 (41.5 प्रतिशत) प्रतिशत कृषक एवं 27 (13.5 प्रतिशत) कृषि मजदूर हैं।


तालिका क्रमांक – 6.10

उत्तरदाता के परिवारिक आय का मुख्य स्रोत

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	145	72.5

2	कृषि मजदूरी	37	18.5
3	अन्य	18	9
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




उत्तरदाताओं के परिवार की आय का मुख्य स्रोत 145 (72.5 प्रतिशत) कृषि, 37 (18.5 प्रतिशत) कृषि मजदूरी एवं 18 (9 प्रतिशत) अन्य (साहूकार के ऋण के अन्तर्गत कर्मचारी, कृषि मजदूर, ट्रैक्टर चालक आदि) सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक – 6.11

उत्तरदाता के परिवारिक वार्षिक आय

क्र.	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	35000 से कम	71	35.5
2	35000 से 90000	93	46.5
3	90000 से अधिक	36	18
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



उत्तरदाता की पारिवारिक वार्षिक आय के अन्तर्गत 35000 रु. से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले 71 (35.5 प्रतिशत), 35000 से 90000 रु. वार्षिक आय प्राप्त करने वाले 93 (46.5 प्रतिशत), एवं 90000 से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले 36 (18 प्रतिशत) उत्तरदाता है।


आय का व्यय पारिवारिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पारम्परिक प्रथाओं के गहरे प्रभाव के कारण अर्जित आय का अनार्थिक कार्यों पर सर्वाधिक व्यय किया जाता है। प्रथाओं में धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहूकार से ऋण, भूमि एवं गहनों का रहन, अथवा एक निश्चित अवधि के लिए कार्य के आधार ऋण लिया जाता है।

तालिका क्रमांक – 6.12

कृषि भूमि उपलब्धता

क्र.	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 हेक्टेयर से कम	53	26.5
2	1 से 3 हेक्टेयर	82	41
3	3 से 5 हेक्टेयर	51	25.5
4	5 हेक्टेयर से अधिक	14	7
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



कृषि भूमि का वितरण 53 (26.5 प्रतिशत) 1 हेक्टेयर से कम, 82 (41 प्रतिशत) 1 से 3 हेक्टेयर, 51 (25.5 प्रतिशत) 3 से 5 हेक्टेयर एवं 14 (7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है।


कृषि जोत की पर्याप्तता के बावजूद निम्न आय प्राप्त होने के प्रमुख कारणों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि उपकरणों का परम्परागत होना, अशिक्षा, भूमि की उर्वरता की कमी, वित्तीय अभाव, आदि कारणों से कृषि की उत्पादकता निम्न है।

तालिका क्रमांक – 6.13

सिंचाई के साधन

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कुआँ	124	62
2	नहर	46	23
3	नलकूल	11	5.5
4	अन्य	19	9.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुआँ से सिंचाई 124 (62 प्रतिशत), नहर के पानी से सिंचाई पर निर्भर 46 (23 प्रतिशत), नलकूप द्वारा सिंचाई 11 (5.5 प्रतिशत) एवं अन्य साधनों जिनमें नदी, नाला, तालाब आदि से सिंचाई 19 (9.5 प्रतिशत) कृषक करते हैं।

सिंचाई के साधनों में पानी की उपलब्धता रबी फसलों के लिए अपर्याप्त एवं अनिश्चित होने के कारण कृषकों द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि पर फसल बुआई का जोखिम नहीं लिया जाता है। जिससे भूमि का अधिक हिस्सा वर्ष के अधिकांश अवधि के लिए खाली रहता है।

ग्रामीण स्तर पर विभिन्न सुविधाओं की जानकारी:—

ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझने में ग्रामीण विकास के प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण है – 1. ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को भोजन, आवास, वस्त्र, ऋण, नौकरी आदि के प्रावधान कर बेहतर बनाया जा सके। 2. ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाकर गरीबी हटाई जा सके। 3. निर्णय निर्माण में सहभागिता एवं प्रशासन में विकेन्द्रीकरण के द्वारा नियोजन एवं विकास में पिछड़े वर्ग व समुदाय के लोगों की सहभागिता।

4. वितरणात्मक न्याय एवं समाज में अवसर का समानीकरण हो तथा इसकी व्यवस्था करना। ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जनसंख्या का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान कर ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करना है। विशेषतः वे जन समुदाय


जो सामाजिक, आर्थिक व्यावसायिक रूप से गैर-शहरी जीवन यापन कर रहे हैं। उन क्षेत्रों के विकास पर केन्द्रीय दृष्टिकोण के साथ कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सामाजिक-आर्थिक संरचना में परिवर्तन आदि लक्ष्य निर्धारित हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत उत्तरदाताओं को आवासीय, व्यवसाय, रोजगार, आय, सड़क बिजली, पानी, स्वास्थ्य, संचार आदि से सम्बन्धित जानकारियों को विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक - 6.14

उत्तरदाता के मकान का स्वरूप

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा	63	31.5
2	अर्द्ध-पक्का	112	56
3	पक्का	14	7
4	अन्य	11	5.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



उत्तरदाताओं की आवासीय सुविधा में 63 (31.5 प्रतिशत) कच्चा, 112 (56 प्रतिशत) अर्द्ध-पक्का, 14 (7 प्रतिशत) पक्का एवं 11 (5.5 प्रतिशत) अन्य जिनमें खपरेल, लकड़ी एवं बांस के बने हैं।


पक्का आवास पंचायत द्वारा आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त है। जबकि अर्द्ध-पक्का आवास उत्तरदाताओं के स्वयं के विनियोग के आधार पर निर्मित है।

तालिका क्रमांक – 6.15

पीने के पानी का स्रोत

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कुआँ	23	11.5
2	हैण्ड पम्प	126	63
3	नल	32	16
4	अन्य	19	9.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




पीने के पानी की सुविधा के लिए 23 (11.5 प्रतिशत) गाँव के पास कुआँ के पानी, 126 (63 प्रतिशत) हैण्ड पम्प, 32 (16 प्रतिशत) नल की घर में सुविधा, 19 (9.5 प्रतिशत) अन्य सुविधा के अन्तर्गत गाँव के स्कूल की पाली की टंकी, नदी, नाला, तालाब, नहर आदि का उपयोग करते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.16

विद्युत सुविधा की उपलब्धता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नहीं है	2	1
2	एक बत्ती कनेक्शन	169	84.5
3	तार जोड़कर चलाते हैं	29	14.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




उत्तरदाता के घर में विद्युत सुविधा के अन्तर्गत 2 (1 प्रतिशत) के घर में विद्युत कनेक्शन नहीं है। 169 (84.5 प्रतिशत) एक बत्ती कनेक्शन एवं 29 (14.5 प्रतिशत) तार जोड़कर (चोरी की बिजली) का उपयोग किया जाता है।

तालिका क्रमांक – 6.17

खाना पकाने का साधन

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	चूल्हा	187	93.5
2	गैस/गोबर गैस	9	4.5
3	दोनों	4	2
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




खाना पकाने के लिए 187 (93.5 प्रतिशत) ग्रामीण परम्परागत चूल्हों का उपयोग किया जाता है। 9 (4.5 प्रतिशत) एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। जबकि 4 (2 प्रतिशत) दोनों साधनों का उपयोग करते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.18

पारिवारिक सम्पत्ति की जानकारी

क्र.	पारिवारिक सम्पत्ति	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टी. वी.	131	65.5	69	34.5	200	100
2	रेडियों / टेप	87	43.5	113	56.5	200	100
3	पंखा	114	57	86	43	200	100
4	कुलर	5	2.5	195	97.5	200	100
5	साइकिल	156	78	44	22	200	100
6	मोटर साइकिल	57	28.5	143	71.5	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




पारिवारिक सम्पत्ति के अन्तर्गत टी. वी. की उपलब्धता 131 (65.5 प्रतिषत), रेडियों/टेप रिकार्डर 87 (43.5 प्रतिषत), पंखा 114 (57 प्रतिषत), कुलर 5 (2.5 प्रतिषत), साइकिल 156 (78 प्रतिषत) एवं मोटर साइकिल 57 (28.5 प्रतिषत) परिवारों में है जबकि इन्ही साधनों की अनुपलब्धता के अन्तर्गत टी. वी. 69 (34.5 प्रतिषत), रेडियों/टेप रिकार्डर 113 (56.5 प्रतिषत), पंखा 86 (43 प्रतिषत), कुलर 195 (97.5 प्रतिषत), साइकिल 44 (22 प्रतिषत) एवं मोटर साइकिल 143 (71.5 प्रतिषत) परिवारों में नहीं है।

तालिका क्रमांक – 6.19

परिवार में मोबाईल फोन की उपलब्धता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 सदस्य	13	6.5
2	1 से 3 सदस्य	149	74.5
3	3 सदस्य से अधिक	38	19
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




वर्तमान में संचार एवं मनोरंजन साधन के रूप में प्रयोग किया जाना वाला महत्वपूर्ण साधन मोबाईल फोन की उपलब्धता उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत 13 (6.5 प्रतिशत) परिवार में 1 सदस्य, 149 (74.5 प्रतिशत) परिवार में 1 से 3 सदस्य, 38 (19 प्रतिशत) परिवार में 3 सदस्य से अधिक परिवार के सदस्य मोबाईल फोन की उपलब्धता है।

तालिका क्रमांक – 6.20

उत्तरदाता के घर में अन्य प्रमुख सुविधा

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अलग से रसोई का कमरा	32	16	168	84	200	100
2	शौचालय	122	61	78	39	200	100
3	स्नानगृह	23	11.5	177	88.5	200	100
4	नाली	57	28.5	143	71.5	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



घर में अलग से रसोई घर की व्यवस्था के अन्तर्गत 32 (16 प्रतिशत) परिवार में है जबकि 168 (84 प्रतिशत) परिवार में अलग से रसोई घर नहीं है। ऐसे परिवार में मात्र एक कमरे का मकान है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एवं खाना पकाने एवं खाने रहने के लिए उपयोग किया जाता है।

122 (61 प्रतिशत) परिवार में शौचालय सुविधा है जबकि 78 (39 प्रतिशत) परिवार में शौचालय नहीं है। पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण एवं उनके उपयोग पर बल दि जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीण पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीणों को शौचालय सुविधा का निर्माण किया गया है।

स्नान गृह की अलग व्यवस्था के अन्तर्गत 23 (11.5 प्रतिशत) परिवारों में स्नान गृह की व्यवस्था है जबकि 177 (88.5 प्रतिशत) परिवार में स्नान गृह की सुविधा नहीं होने के कारण खुले में स्नान करते हैं जबकि घर की महिलाएँ खटिया की आढ बनाकर, पशुओं के बांधने के स्थान पर स्नान करती हैं।

घर के सामने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था 57 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के घरों के सामने है जबकि 143 (71.5 प्रतिशत) गांवों में नालियों की सुविधा नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिन गांवों में नालियों


की सुविधा है वहां नालियों से गंदे पानी की निकासी व्यवस्था नहीं है। पानी घरों के सामने जमा हुआ अथवा किसी गढ़दे में संग्रहित है।

तालिका क्रमांक – 6.21

शौचालय का उपयोग करने की स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उपयोग करते हैं	13	6.5
2	उपयोग नहीं करते हैं	109	54.5
	शौचालय है।	122	61
	शौचालय नहीं है।	78	39
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



सर्वेक्षित परिवारों में शौचालय का उपयोग करने वाले मात्र 13 (6.5 प्रतिशत) हैं जबकि 109 (54.5 प्रतिशत) शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं।

शौचालय उपयोग नहीं करने के लिए विभिन्न कारणों में शौचालय उपयोग करने लायक स्थिति में नहीं है, शौचालयों का निर्माण औपचारिकता मात्र के आधार किया गया है। अधिकांश शौचालयों में जलाऊ लकड़ी व गोबर के कण्डे (उपले) रखे गये हैं। शौचालय उपयोग करने की स्थिति में होने के बावजूद उपयोग नहीं करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण पानी की कमी है। शौचालयों का निर्माण वैज्ञानिक विधि से नहीं किए


जाने के कारण पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है जिससे गंदी बदबू के कारण कोई भी व्यक्ति इनका उपयोग करने से परहेज करते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.22

मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क व्यवस्था

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा	41	20.5
2	अर्द्ध-पक्का	132	66
3	पक्का	27	13.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग 41 (20.5 प्रतिशत) कच्चा, 132 (66 प्रतिशत) अर्द्ध-पक्का तथा 27 (13.5 प्रतिशत) पक्की सड़क है।

तालिका क्रमांक – 6.23

ग्रामीण आन्तरिक सड़क व्यवस्था

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा	71	35.5
2	अर्द्ध-पक्का	123	61.5
3	पक्का	6	3
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित गांव की आन्तरिक मार्ग 71 (35.5 प्रतिशत) कच्चा, 123 (61.5 प्रतिशत) अर्द्ध-पक्का तथा 6 (3 प्रतिशत) पक्की सड़क है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

तालिका क्रमांक – 6.24

पशु बांधने का स्थान

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर के अन्दर जहां परिवार रहता है।	37	18.5
2	घर के बगल अथवा सामने	129	64.5
3	अलग से स्थान बनाया है	32	16
4	अन्य	2	1
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पालतु पशुओं की देखभाल परिवार के सदस्यों के समान की जाती है। वर्षा ऋतु, गर्मी, एवं रात्री के समय पशुओं के लिए स्थान की कमी के कारण ग्रामीण परिवार उन्हें घर के अन्दर अथवा अलग से स्थान की व्यवस्था करते हैं। सर्वेक्षित परिवार में 37 (18.5 प्रतिशत) उत्तरदाता पशुओं को घर के अन्दर परिवार के सदस्यों के साथ रखते हैं। 129 (64.5 प्रतिशत) घर के बगल अथवा सामने बांधते हैं। 32 (16 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पशुओं के लिए अलग स्थान बनाया गया है। जबकि 2 (1 प्रतिशत) अन्य व्यवस्था जिनमें पशु खुले स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं। पशुओं को सुखे एवं गर्मी के दिनों खेल पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़ने की परम्परा प्राचीन समय से चली आ रही है। बारिष के प्रारम्भिक दिनों में गाँव के लोग समुह में इन पशुओं की तलाश कर वापस अपने गाँव की ओर आ जाते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.25
गाँव में स्कूल की स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राथमिक	169	84.5
2	माध्यमिक	30	15
3	उच्च माध्यमिक	1	0.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित उत्तरदातादाताओं के अनुसार 169 (84.5 प्रतिशत) गाँव में प्राथमिक स्कूल, 30 (15 प्रतिशत) गाँव में माध्यमिक एवं 1 (0.5 प्रतिशत) गाँव में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था है।

तालिका क्रमांक – 6.26

स्कूल में बच्चों को भोजन की स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	193	96.5
2	नहीं	7	3.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित गांवों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था 193 (96.5 प्रतिशत) स्कूलों में नियमित संचालित है जबकि 3.5 प्रतिशत गांव के स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही, भोजन उपलब्ध करवाने वाले समूह की लापरवाही के कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन का नियमित संचालन नहीं किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक – 6.27

स्कूल में बच्चों का भोजन बनाने का माध्यम

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्व-सहायता समूह	47	23.5
2	ठेकेदार द्वारा	29	14.5
3	खाना पकाने वाले कर्मचारी	76	38
4	नहीं जानते	48	24
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




स्कूलों में भोजन बनाने की व्यवस्था के अन्तर्गत 47 (23.5 प्रतिशत) स्कूलों में स्व-सहायता समूह, 29 (14.5 प्रतिशत) ठेकेदार, 76 (38 प्रतिशत) स्कूलों में खाना पकाने वाले कर्मचारियों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है। जबकि 48 (24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं स्कूलों में भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव है।

तालिका क्रमांक – 6.28

गाँव में पूरे वर्ष रोजगार की सुलभता

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	81	40.5
2	नहीं	119	59.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है। किन्तु कृषि में सिंचाई साधनों की कमी के कारण उक्त रोजगार वार्षिक नहीं है। सर्वेक्षित 81 (40.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार गाँव में सम्पूर्ण वर्ष रोजगार मिल जाता है जबकि 119 (59.5 प्रतिशत) के अनुसार गाँव में सम्पूर्ण वर्ष रोजगार की व्यवस्था नहीं है

तालिका क्रमांक – 6.29

गाँव के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	153	76.5
2	नहीं	47	23.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




गाँव में रोजगार की व्यवस्था नहीं होने की दशा में 153 (76.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में नजदीकी कस्बे/शहर में रोजगार के लिए जाते हैं। जबकि 47 (23.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार लोग गाँव में ही किसी रोजगार में जुड़े रहने का प्रयास करते हैं अथवा बेरोजगार रहते हैं।

तालिका क्रमांक – 6.30
यदि हाँ तो किन महिनों में

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अक्टूबर-नवम्बर	32	16
2	फरवरी-मार्च	79	39.5
3	अप्रैल-जून	23	11.5
4	कोई निश्चित नहीं है	19	9.5
	रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं।	153	76.5
	रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं।	47	23.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



रोजगार की आवश्यकता वर्ष के अक्टूबर-नवम्बर में 32 (16 प्रतिशत), फरवरी-मार्च 79 (39.5 प्रतिशत), अप्रैल-जून 23 (11.5 प्रतिशत), जबकि 19 (9.5 प्रतिशत) कोई निश्चित समय नहीं है। कृषि में काम के अतिरिक्त खाली समय, कृषि जोत का छोटा आकार, सिंचाई की कमी आदि कारणों से अधिकांश जनसंख्या रोजगार के लिए गैर कृषि रोजगार पर निर्भर है।

ग्राम सभा का आयोजन:-

ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गावों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केन्द्र में होती है। ग्राम सभा में 200 या अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक है। इस बारे में सदस्यों को 15 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। ग्राम सभा को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 5 प्रतिशत होना अनिवार्य है।⁹⁵ अध्ययन क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्बन्ध में जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक 6.31 में किया गया है-


⁹⁵ <http://hi.vikaspedia.in/social-welfare/gram-sabha>

तालिका क्रमांक – 6.31

ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	163	81.5
2	नहीं	37	18.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




ग्राम सभा का आयोजन 163 (81.5 प्रतिशत) गाँवों में किया जाता है। जबकि 37 (18.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी नहीं है कि महिने के किस दिन ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है।

तालिका क्रमांक – 6.32

ग्राम सभा में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुमत से	9	4.5
2	प्रस्तावों पर औपचारिक अनुमोदन	21	10.5
3	बड़े व्यक्तियों के अनुसार	114	57
4	नहीं जानते	56	28
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



ग्राम सभा में निर्णय 9 (4.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार बहुमत से लिए जाते हैं। 21 (10.5 प्रतिशत) के अनुसार प्रस्तावों पर औपचारिक अनुमोदन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सर्वाधिक 114 (57 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार गांव के बड़े व धनवान व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं अथवा उनके बताए अनुसार कार्यशैली तय होती है। 56 (28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को ग्राम सभा में निर्णय प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है।

ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं की जानकारी:—

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें ग्रामीण जनता के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार एवं विकास की प्रक्रिया में जन-सहभागिता एवं बेहतर जीवन के साथ-साथ कमजोर वर्गों गरीब ग्रामीण, छोटे एवं सीमान्त कृषक, भूमि हीनों एवं किरायेदार का सामाजिक-आर्थिक का विकास मूल लक्ष्य है। ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र एव राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सड़क, बिजली, संचार और ग्रामीण रोजगार के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहभागिता का होना आवश्यक


है।⁹⁶ अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक में किया गया है—

तालिका क्रमांक – 6.33
विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री आवास योजना	176	88	24	12	200	100
2	मनरेगा	123	61.5	77	38.5	200	100
3	लाड़ली लक्ष्मी योजना	146	73	54	27	200	100
4	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	187	93.5	13	6.5	200	100
5	मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना	45	22.5	155	77.5	200	100
6	खेत तालाब योजना	23	11.5	177	88.5	200	100
7	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	34	17	166	83	200	100
8	गांव की बेटी योजना	87	43.5	113	56.5	200	100
9	मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना	11	5.5	189	94.5	200	100
10	निःशुल्क सायकिल वितरण योजना	23	11.5	177	88.5	200	100
11	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	9	4.5	191	95.5	200	100
12	कपिलधारा योजना	42	21	158	79	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

⁹⁶ वर्मा, बी. एम. (2000): "पंचायती राज से जिला सरकार – अवधारणा एवं स्वरूप", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। पृ. 212



तालिका से स्पष्ट है कि पंचायतों के माध्यम से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के अन्तर्गत 176 (88 प्रतिशत), 123 (61.5 प्रतिशत) मनरेगा, 146 (73 प्रतिशत) लाडली लक्ष्मी योजना, 187 (93.5 प्रतिशत) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 45 (22.5 प्रतिशत) मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, 23 (11.5 प्रतिशत) खेत तालाब योजना, 34 (17 प्रतिशत) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, 87 (43.5 प्रतिशत) गांव की बेंटी योजना, 11 (5.5 प्रतिशत) मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 23 (11.5 प्रतिशत) निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, 9 (4.5 प्रतिशत) दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, 42 (21 प्रतिशत) कपिलधारा योजना के बारे में सामान्य जानकारी है।


अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण अशिक्षित लोग योजनाओं को नाम से नहीं जानते किन्तु उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी है। जैसे सिंचाई के लिए उपकरण, पक्का कुआँ, तालाब निर्माण, सड़क पर निर्माण, पशु वितरण, साइकिल वितरण, अनाज वितरण आदि के बारे में जानकारी है।

तालिका क्रमांक – 6.34

गाँव में पंचायत द्वारा प्रदत्त रोजगार की स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	163	81.5
2	नहीं	37	18.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



गाँव में पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। सर्वेक्षण में 163 (81.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाता है। जबकि 37 (18.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत पूर्ण 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाता बल्कि कुछ दिन काम करवाने के बाद मशीनों के उपयोग से कार्य पूर्ण किया जाता है।

गाँव में पंचायत द्वारा विभिन्न आयोजन :-

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अशिक्षित जनता को शिक्षा की व्यवस्था, सहयोगी वातावरण का निर्माण, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पंचायतों के कर्तव्यों में सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से केन्द्र सरकार तक पंचायतों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेयजल की


पर्याप्त व्यवस्था, सिंचाई हेतु जलस्रोतों का निर्माण, स्थानिय लोगों के आपसी विवाद को निपटाना, आपसी सौहार्द का निर्माण करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम सरपंच व पंचायत के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजन की स्थिति का वर्णन तालिका क्रमांक 6.35 में किया गया है—

तालिका क्रमांक – 6.35

गाँव में पंचायत द्वारा विभिन्न आयोजन

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	खेल प्रतियोगिता	152	76	48	24	200	100
2	सांस्कृति आयोजन	163	81.5	37	18.5	200	100
3	धार्मिक आयोजन	181	90.5	19	9.5	200	100
4	महिलाओं के लिए आयोजन	57	28.5	143	71.5	200	100
5	बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार	167	83.5	33	16.5	200	100
6	अन्य	41	20.5	159	79.5	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक। नोट:— स्वसहायता समूह, महिला संगठन, कुटीर उद्योग आदि।



पंचायत द्वारा सामाजिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक विकास के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन 152 (76 प्रतिशत) पंचायतों के द्वारा किया जाता है जबकि 48 (24 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है। सांस्कृतिक आयोजन 163 (81.5 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है जबकि 37 (18.5 प्रतिशत) द्वारा सांस्कृतिक आयोजन नहीं किये जाते है। धार्मिक आयोजन 181 (90.5 प्रतिशत) पंचायत द्वारा किये जाते है जबकि 19 (9.5 प्रतिशत) द्वारा धार्मिक आयोजन नहीं किये जाते है। महिलाओं के लिए आयोजन जिनमें संगीत, पूजा-पाठ, तीज त्योहार, उपवास आदि से सम्बन्धित आयोजन 57 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार किया जाता है जबकि 143 (71.5 प्रतिशत) के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आयोजन नहीं किया जाता है। बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार जिनमें वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने, खेल प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए 167 (83.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। जबकि 33 (16.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अन्य गतिविधियों का आयोजन 41 (20.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के

अनुसार पंचायत द्वारा किया जाता है जबकि 159 (79.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार किसी गतिविधि का आयोजन नहीं किया जाता है।


उक्त तालिका में दर्शायी गई अधिकांश गतिविधियों में पंचायत का सहयोग की मात्रा कम होती जबकि सार्वजनिक चन्दे की राशि व सहयोग की मात्रा अधिक रहती है। किन्तु संरपंच व सचिव की सहभागिता के आधार पर उक्त गतिविधियों में भागीदारी को उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया है।

तालिका क्रमांक – 6.36

गाँव में बेरोजगार लोगों के लिए पंचायत द्वारा सलाह/सहयोग किया गया

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	11	5.5
2	नहीं	189	94.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



पंचायत द्वारा ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में 11 (5.5 प्रतिशत) द्वारा सलाह दी गई जबकि 189 (94.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा कोई सलाह नहीं दी गई।

ग्राम पंचायत द्वारा स्थाई निर्माण:—


ग्राम पंचायत का महत्व उसके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए गए निर्माण कार्यों से पता लगाया जा सकता है। ग्रामीण विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित कार्यों को ग्राम पंचायत द्वारा कितना महत्व प्रदान किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षित ग्रामों में पंचायतों द्वारा स्थाई निर्माण की स्थिति को तालिका क्रमांक 6.37 में दर्शाया गया है—

तालिका क्रमांक – 6.37

गाँव में पंचायत द्वारा (किए गए अथवा चल रहे) विभिन्न निर्माण की स्थिति

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल		
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
1	शौचालय	187	93.5	13	6.5	200	100	
2	नाली	123	61.5	77	38.5	200	100	
3	आवास भवन	145	72.5	55	27.5	200	100	
4	स्कूल भवन	189	78	44	22	200	100	
5	स्कूल प्रांगण की सीमा दिवार	67	11	178	89	200	100	
6	सड़क (खरंजा एवं अन्य)	134	67	66	33	200	100	
7	सड़कों पर विद्युत व्यवस्था	64	32	136	68	200	100	
8	स्टॉप डेम	78	39	122	61	200	100	
9	सड़कों पर पुलिया/रपट	23	11.5	177	88.5	200	100	
10	पिने के पानी की व्यवस्था	सार्वजनिक	123	61.5	77	38.5	200	100
		निजी	27	13.5	173	86.5	200	100
11	मंदिर/धर्मशाला आदि	89	44.5	111	55.5	200	100	
12	जल स्रोत का निर्माण	133	66.5	67	33.5	200	100	

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



ग्रामीण स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों के अन्तर्गत 187 (93.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार शौचालय का निर्माण किया गया जबकि 13 (6.5 प्रतिशत) पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य नहीं किया गया।

गाँव में पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण 123 (61.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा किया गया जबकि 77 (38.5 प्रतिशत) द्वारा नाली निर्माण नहीं किया गया।

आवासीय योजनान्तर्गत आवास का निर्माण 145 (72.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार द्वारा किया गया जबकि 55 (27.5 प्रतिशत) आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया।

स्कूल भवन का निर्माण अथवा नवीनीकरण कार्य 189 (78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 44 (22 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण आन्तरिक सड़कों का निर्माण 134 (67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 66 (33 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण आन्तरिक सड़कों पर विद्युत की व्यवस्था 64 (32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 136 (68 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र के आसपास नदी/नालों अथवा जल स्रोतों पर स्टॉप डेम का निर्माण 78 (39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 122 (61 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण आन्तरिक एवं ग्रामीण सीमा से सम्बन्धित सड़कों पर पुलिया/रपट का निर्माण 23 (11.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 177 (88.5 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण परिवारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक स्रोत की सुविधा का विकास 123 (61.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 77 (38.5 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

ग्रामीण परिवारों के लिए पीने के पानी की घर पहुंच (नल द्वारा) व्यवस्था के अन्तर्गत का विकास 27 (13.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 173 (86.5 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

गांव में मन्दिर/धर्मशाला आदि का निर्माण 89 (44.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों द्वारा किया गया जबकि 111 (55.5 प्रतिशत) द्वारा नहीं किया गया।

पंचायतों द्वारा ग्रामीण सिंचाई विकास एवं पेयजल आपूर्ति के लिए बलराम ताल योजना, कपिलधारा योजना के तहत जल स्रोतों का निर्माण 133 (66.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार किया गया है जबकि 67 (33.5 प्रतिशत) के अनुसार उक्त योजनाओं द्वारा जल स्रोतों का निर्माण नहीं किया जा रहा है।


तालिका क्रमांक – 6.38

आपको अथवा आपके गली मोहल्ले में प्रदत्त सुविधा की स्थिति

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	शौचालय	122	61	78	39	200	100
2	नाली	57	28.5	143	71.5	200	100
3	आवास भवन	14	7	186	93	200	100

6	सड़क (खरंजा एवं अन्य)	78	39	122	61	200	100	
7	सड़कों पर विद्युत व्यवस्था	21	10.5	179	89.5	200	100	
10	पिने के पानी की व्यवस्था	सार्वजनिक	147	73.5	53	26.5	200	100
		निजी	19	9.5	181	90.5	200	100
11	मंदिर/धर्मशाला आदि	57	28.5	143	71.5	200	100	

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 122 (61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को शौचालय, 57 (28.5 प्रतिशत) नाली का निर्माण, 14 (7 प्रतिशत) आवास योजना के अन्तर्गत मकान, 78 (39 प्रतिशत) गली/मोहल्ले में सड़क का निर्माण, 21 (10.5 प्रतिशत) सड़कों पर विद्युत व्यवस्था, 147 (73.5 प्रतिशत) पीने के पानी की सार्वजनिक व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प की व्यवस्था, 19 (9.5 प्रतिशत) निजी नल सुविधा, 57 (28.5 प्रतिशत) मंदिर/धर्मशाला का निर्माण किया गया।

जबकि 78 (39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को शौचालय, 143 (71.5 प्रतिशत) नाली का निर्माण, 186 (93 प्रतिशत) आवास योजना के अन्तर्गत मकान, 122 (61 प्रतिशत) गली/मोहल्ले में सड़क का निर्माण, 179 (89.5 प्रतिशत) सड़कों पर विद्युत व्यवस्था, 53 (26.5 प्रतिशत) पीने के पानी की सार्वजनिक व्यवस्था के अन्तर्गत हेण्डपम्प की व्यवस्था,

181 (90.5 प्रतिशत) निजी नल सुविधा, 143 (71.5 प्रतिशत) [मंदिर/धर्मशाला का निर्माण](#) नहीं किया गया।


तालिका विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से विभिन्न सुविधाओं का निर्माण की स्थिति संतोशजनक नहीं है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों द्वारा सुविधाओं के निर्माण का स्तर अत्यन्त निम्न स्तरीय होने के कारण उनका जीवनकाल अत्यन्त अल्प था। जिसका लाभ ग्रामीणों को अधिक समय के लिए नहीं प्राप्त हो सका।

तालिका क्रमांक – 6.39

आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से किसी समस्या के निदान के लिए अनुरोध किया

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	123	61.5
2	नहीं	77	38.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



123 (61.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न समस्या के निदान के लिए पंचायत से अनुरोध किया गया। समस्या के प्रकार को तालिका में दर्शाया गया है।

पंचायत से की गई शिकायत का प्रकार:—


ग्रामीण समुदाय के लोग पंरम्परागत रूप से सामाजिक समस्याओं का निराकरण पंचों द्वारा किया जाता था। पंचायती राज व्यवस्था के बाद यह कार्य ग्राम पंचायत में चयनित सरपंच द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों से की जाने वाली शिकायतों में प्रमुख रूप से सामाजिक न होकर सुविधाओं के लिए की जाने वाली ज्यादा होती है। अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा पंचायत से की जाने वाली शिकायतों का विवरण तालिका क्रमांक 6.40 में किया गया है—

तालिका क्रमांक – 6.40

आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से कि गई शिकायत का प्रकार

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पानी की समस्या	7	3.5
2	सड़को की समस्या	19	9.5
3	गन्दे पानी की निकासी	13	6.5
4	पड़ोसी से विवाद	6	3
5	स्कूल से सम्बन्धित	11	5.5
6	योजना का लाभ देने सम्बन्धि	58	29
7	अन्य	9	4.5
	शिकायत करने वाले	123	61.5
	शिकायत नहीं करने वाले	77	38.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 7 (3.5 प्रतिशत) पानी की समस्या, 19 (9.5 प्रतिशत) सड़कों की समस्या, 13 (6.5 प्रतिशत) गन्दे पानी की निकासी, 6 (3 प्रतिशत) पड़ोसी से विवाद, 11 (5.5 प्रतिशत) स्कूल से सम्बन्धित, 58 (29 प्रतिशत) विभिन्न योजनाओं का लाभ देने सम्बन्धित, तथा 9 (4.5 प्रतिशत) अन्य समस्याओं से सम्बन्धित निराकरण के लिए अनुरोध किया गया।

तालिका क्रमांक – 6.41

पंचायत द्वारा अनुरोध का निदान किया

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	29	14.5
2	नहीं	94	47
	शिकायत करने वाले	123	61.5
	शिकायत नहीं करने वाले	77	38.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




विभिन्न समस्या के निदान के लिए आवेदित 123 (61.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में 29 (14.5 प्रतिशत) की समस्या का निदान पंचायत द्वारा किया गया जबकि 94 (47 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की समस्या का निदान पंचायत द्वारा नहीं किया गया।

तालिका क्रमांक – 6.42

किसी प्राकृतिक आपदा के समय पंचायत द्वारा आपको सहयोग

क्र.	विवरण (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखा, ओला, मावठा आदि)	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	19	9.5
2	नहीं	181	90.5
	कुल	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान अथवा सहयोग के लिए 19 (9.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का सहयोग पंचायत द्वारा किया गया जबकि 181 (90.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को कोई सहयोग नहीं किया गया।

तालिका क्रमांक – 6.43

पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	13	6.5
2	नहीं	187	93.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के सम्बन्ध में 13 उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत द्वारा जानकारी दी जाती है जबकि 187 (93.5 प्रतिशत) द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती।


तालिका क्रमांक – 6.44

पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	41	20.5
2	नहीं	159	79.5
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।

पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट होने की स्थिति



पंचायत की कार्यप्रणाली से 41 (20.5 प्रतिशत) उत्तरदाता पंचायत की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट है जबकि 159 (79.5 प्रतिशत) उत्तरदाता पंचायत की कार्यप्रणाली से असन्तुष्ट है। असन्तुष्टि के विभिन्न कारणों का वर्णन तालिका क्रमांक में किया गया है—


तालिका क्रमांक – 6.45

पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नहीं होने का कारण

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सरपंच किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं देते	137	68.5	63	31.5	200	100
2	योजना का लाभ देने में भेद भाव	189	94.5	11	5.5	200	100
3	रिश्वतखोरी/रूपए की मांग	106	53	94	47	200	100
4	सरपंच का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा संचालन	79	39.5	121	60.5	200	100
5	सरपंच की अन्य कार्यों में व्यस्ता	141	70.5	59	29.5	200	100
6	सरपंच की मनमानी	132	66	68	34	200	100
7	सरपंच एवं सचिव का आपसी विवाद	121	60.5	79	39.5	200	100
8	सरपंच की नशाखोरी	81	40.5	119	59.5	200	100
9	सरपंच का जातिगत अन्तर	119	59.5	81	40.5	200	100
10	सरपंच से/द्वारा विवाद	41	20.5	159	79.5	200	100
11	सरपंच की निरसता/लापरवाही	131	65.5	69	34.5	200	100

12	सामाजिक समस्याओं पर ध्यान न देना	178	89	22	11	200	100
13	अधिकारियों से सम्पर्क नहीं करना	153	76.5	47	23.5	200	100

स्रोत:- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




पंचायत संरपंचों की कार्यप्रणाली से असन्तुष्ट होने के कारणों में 137 (20.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार संरपंच किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं देते, 189 (94.5 प्रतिशत) संरपंचों द्वारा योजना का लाभ देने में भेद भाव, 106 (53 प्रतिशत) संरपंचों द्वारा रिश्वतखोरी/रूपए की मांग, 79 (39.5 प्रतिशत) संरपंच का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा संचालन, 141 (70.5 प्रतिशत) संरपंच की अन्य कार्यों में व्यस्तता, 132 (66 प्रतिशत) संरपंच द्वारा मनमानी करना, 121 (60.5 प्रतिशत) संरपंच एवं सचिव का आपसी विवाद, 81 (40.5 प्रतिशत) संरपंच की नषाखोरी, 119 (59.5 प्रतिशत) संरपंच का जातिगत अन्तर, 41 (20.5 प्रतिशत) संरपंच से अथवा संरपंच द्वारा विवाद, 131 (65.5 प्रतिशत) संरपंच की निरसता/लापरवाही, 178 (89 प्रतिशत) सामाजिक समस्याओं पर ध्यान न देना, 153 (76.5 प्रतिशत) अधिकारियों से सम्पर्क नहीं करना जैसी समस्याएँ हैं। जिसके कारण ग्रामीण आर्थिक विकास की गति धिमी अथवा नकरात्मक है।

तालिका क्रमांक – 6.46

ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पूर्णतः	41	20.5
2	आंशिक	67	33.5
3	नहीं	92	46
	कुल	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।




तालिका से स्पष्ट है कि निदर्शन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायत की कार्यप्रणाली से 41 (20.5 प्रतिशत) पूर्णतः सन्तुष्ट है, जबकि 67 (33.5 प्रतिशत) आंशिक रूप से सन्तुष्ट है। सर्वाधिक 92 (46 प्रतिशत) उत्तरदाता पूर्ण रूप से असन्तुष्ट है।

तालिका क्रमांक – 6.47

पंचायत की कार्यप्रणाली में अवरोध के कारण

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ग्रामीणों का सहयोग न मिलना	153	76.5	47	23.5	200	100
2	सरपंच की अशिक्षा	172	86	28	14	200	100
3	व्यक्तिगत समस्या	69	34.5	131	65.5	200	100
4	नेतृत्व गुणों का अभाव	191	95.5	9	4.5	200	100
5	राजनीतिक अवरोध	159	79.5	41	20.5	200	100
6	सामाजिक अवरोध	78	39	122	61	200	100
7	अन्य	123	61.5	77	38.5	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



पंचायत की कार्यप्रणाली में प्रमुख अवरोध के रूप में 153 (76.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीणों का सहयोग न मिलने से पंचायत की कार्यप्रणाली पर अवरोध उत्पन्न होता है जबकि 47 (23.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीणों के सहयोग नहीं करने का पंचायत की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं है।

172 (86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरपंच की अशिक्षा के कारण उनकी कार्यप्रणाली पर अवरोध उत्पन्न होता है क्योंकि अशिक्षा के कारण विभिन्न प्रपत्रों को पढ़ने व लिखने की कमी के कारण सचिवों द्वारा गलत लाभ लिया जाता है। जबकि 28 (14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सरपंचों की अशिक्षा का पंचायत की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं है।

व्यक्तिगत समस्या के कारण पंचायत की कार्यप्रणाली प्रभाव 69 (34.5 प्रतिशत) मानते हैं जबकि 131 (65.5 प्रतिशत) के अनुसार व्यक्तिगत समस्या का पंचायत की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

नेतृत्वगुणों के अभाव के कारण पंचायत कार्यप्रणाली पर प्रभाव 191 (95.5 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं जबकि 9 (4.5 प्रतिशत) के अनुसार नेतृत्व गुणों के अभाव का पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है।

159 (79.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार राजनीतिक अवरोधों का पंचायत की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है जबकि 41 (20.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार राजनीतिक अवरोध का पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है।

78 (39 प्रतिशत) उत्तरदाता के अनुसार सामाजिक अवरोध का पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है जबकि 122 (61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सामाजिक अवरोध का पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ता है।


78 (39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार अन्य प्रभाव जिनमें शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता, चुनाव प्रक्रिया, योजनाओं की स्वीकृति में देरी आदि का प्रभाव पड़ता है। जबकि 77 (38.5 प्रतिशत) के अनुसार उपरोक्त कारणों का पंचायत की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका क्रमांक – 6.48

पंचायत की कार्यप्रणाली एवं विकास योजनाओं क्रियान्वयन से विभिन्न प्रभाव

क्र.	विवरण	वृद्धि		कोई प्रभाव नहीं		यथावत	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सड़कों के निर्माण से आर्थिक विकास पर प्रभाव	166	83	34	17	200	100
2	सड़कों के विकास से रोजगार पर प्रभाव	179	89.5	21	10.5	200	100
3	सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन पर प्रभाव	191	95.5	9	4.5	200	100
4	आवास योजना से आर्थिक विकास पर प्रभाव	183	91.5	17	8.5	200	100
5	पेयजल विकास से स्वास्थ्य पर प्रभाव	168	84	32	16	200	100
6	भूमि पट्टा योजना से आर्थिक विकास पर प्रभाव	73	36.5	127	63.5	200	100
7	पंचायत की कार्यप्रणाली से सामाजिक विकास पर प्रभाव	122	61	78	39	200	100
8	पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से आर्थिक विकास पर प्रभाव	133	66.5	67	33.5	200	100

स्रोत:— प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंक।



विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं विस्तार से 166 (83 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक विकास में वृद्धि होती है जबकि 34 (17 प्रतिशत) के अनुसार सड़को के विकास के अभाव से आर्थिक विकास में कमी होगी।

ग्रामीण सड़को के विकास से 179 (89.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सड़कों के विकास से रोजगार में वृद्धि होगी जबकि 21 (10.5 प्रतिशत) के अनुसार सड़को के विकास का रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

191 (95.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी जबकि 9 (4.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार मात्र सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसके लिए भूमि की उर्वकता, वित्तीय आवश्यकता, किटनाशक खाद आदि की पूर्ति आवश्यक है।

आवास योजना की उपलब्धता से 183 (91.5 प्रतिशत) उत्तरदाता के अनुसार आर्थिक विकास में वृद्धि होगी जबकि 17 (8.5 प्रतिशत) प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार आवास योजना से आर्थिक बचत हो सकती है जबकि आर्थिक विकास के लिए रोजगार की सुनिश्चितता आवश्यक है।

पेय जल व्यवस्था के विकास से 168 (84 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगी क्योंकि स्वच्छ पानी की उपलब्धता से स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगी। जबकि 32 (16 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पेयजल व्यवस्था के विकास से स्वास्थ्य स्तर में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।

भूमि का अधिकार कानून के क्रियान्वयन के बाद पट्टा वितरण योजना से 73 (36.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक विकास में वृद्धि होगी जबकि 127 (63.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भूमि का उपजाऊ होना, सिंचाई सुविधा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है।

पंचायत की कार्यप्रणाली से 122 (61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है जबकि 78 (39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों की कार्यप्रणाली से सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बल्कि सरपंचों की नषाखोरी के कारण गांव के अधिकांश लोग नशे की लत के शिकार हैं।

पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार विकास व पलायन को रोकने के लिए पंचायतों द्वारा संचालित मनरेगा योजना से 133 (66.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक विकास में वृद्धि होगी जबकि 67 (33.5 प्रतिशत) उत्तरदाता के अनुसार मनरेगा से आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

परिकल्पना परीक्षण:-

परिकल्पना – 1

H_{01} : पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

H_{a1} : पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

उक्त शून्य परिकल्पना का परीक्षण तालिका क्रमांक 6.37 के कण्डिका क्रमांक 1 से 12 तक की आवृत्तियों के औसत एवं तालिका क्रमांक 6.44 के परिणामों को सह-सम्बन्ध एवं कोई वर्ग परीक्षण किया गया है। कोई वर्ग परीक्षण एवं सहसम्बन्ध से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार है-

वित्तीय उपयोग से विभिन्न स्थाई निर्माण पर

क्र.	विवरण	हां	नहीं	कुल	
1	शौचालय	187	13	200	
2	नली	123	77	200	
3	आवास भवन	145	55	200	
4	स्कूल भवन	189	44	200	
5	स्कूल प्रांगण की सीमा दिवार	67	178	200	
6	सड़क (खरंजा एवं अन्य)	134	66	200	
7	सड़कों पर विद्युत व्यवस्था	64	136	200	
8	स्टॉप डेम	78	122	200	
9	सड़कों पर पुलिया / रपट	23	177	200	
10	पिने के पानी की व्यवस्था	सार्वजनिक	123	77	200
		निजी	27	173	200
11	मंदिर / धर्मशाला आदि	89	111	200	
12	जल स्रोत का निर्माण	133	67	200	
13	कुल	1382	1018	2400	
	औसत आवृत्ति	116	84	200	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.345 ^a	1	.000
N of Valid Cases ^b	200		

R = 0.43 (Sig. 0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 (df) स्वातन्त्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 37.345$ प्राप्त होता है।

अर्थात् $3.841 < 37.345$ या $\chi^2_t < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.43 प्रतिशत अर्थात् मध्य स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शून्य परिकल्पना ($H_{01} = \neq$) अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना “ H_{a1} : पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ” स्वीकृत होती है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए धन व्यय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं जिनमें सड़क, बिजली, पिने का पानी, पुलिया, बांध, स्कूल भवन, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए अनुदान, ग्रामीण आन्तरिक सड़कों (खरंजा) का निर्माण, नालियों का निर्माण, गलियों में बिजली की सुविधा आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्माण किये हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं सचिवों की उदासीनता के कारण उक्त प्रकार अथवा कुछ निर्माण एवं सुविधाओं का विकास धिमी गति से हो रहा है। किन्तु शासकीय स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।

अतः कहा जा सकता है कि “पंचायती राज के पूर्व वित्तीय प्रबंध के रूपों से वर्तमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।”

परिकल्पना – 2

H₀: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

उक्त शून्य परिकल्पना का परिक्षण दो भागों में विभाजित किया गया है—

1. पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन एवं
2. पंचायती राज एवं आर्थिक संरचना

H_{02.1}: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है।

H_{02.2}: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है।

उक्त शून्य परिकल्पना का परीक्षण तालिका क्रमांक 6.44 एवं तालिका क्रमांक 6.48 के कण्डिका क्रमांक 7 एवं 8 के परिणामों को सह-सम्बन्ध एवं काई वर्ग परीक्षण किया गया है। काई वर्ग परीक्षण एवं सहसम्बन्ध से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार है—

H_{02.1}: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

H_{a2.1}: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

Chi-Square Tests

Social	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.607	1	.000
N of Valid Cases	200		

R = 0.434 (Sig. 0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर एक स्वातन्त्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 37.607$ प्राप्त होता है।

अर्थात् $3.841 < 37.607$ या $\chi^2_t < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.43 प्रतिशत अर्थात् मध्य स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शून्य परिकल्पना ($H_{02.1} = \neq$) अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना “ **$H_{a2.1}$: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।**” स्वीकृत होती है।

अतः स्पष्ट है कि पंचायती राज के द्वारा शासकीय योजनाओं के अनुसार संचालित विभिन्न सामाजिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य सामग्री, आवास, पानी, चुनावी प्रक्रिया से राजनीति चेतना एवं नेतृत्व गुणों का विकास आदि सुविधाओं के विकास से ग्रामीण सामाजिक स्तर में बहुत परिवर्तन आया है।

$H_{02.2}$: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

$H_{a2.2}$: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

Chi-Square Tests

Economic	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.417	1	.000
N of Valid Cases	200		

R = 0.377 (Sig. 0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर एक स्वातन्त्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 28.417$ प्राप्त होता है।

अर्थात् $3.841 < 28.417$ या $x^2_t < X^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.37 प्रतिशत अर्थात् मध्य स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शून्य परिकल्पना ($H_{02.2} = \neq$) अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना "**H_{a2.2}: पंचायती राज का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।**" स्वीकृत होती है।

अतः स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था, कृषि सम्बन्धि योजनाओं के अन्तर्गत उपकरण, खाद, बीज की सुलभता से ग्रामीणों का लाभ, आवास योजना के तहत आवास निर्माण से स्वयं के धन की बचत, कुआँ का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था आदि के क्रियान्वयन से ग्रामीणों की आर्थिक बचत अथवा आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है।

परिकल्पना – 3

H₀₃: पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

H_{a3}: पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

उक्त शून्य परिकल्पना का परीक्षण तालिका क्रमांक 6.44 एवं 6.34 के आधार पर किया गया है। इस परीक्षण में 6.34 के समक पंचायत द्वारा रोजगार दिए जाने की स्थिति से सम्बन्धित है। रोजगार की उपलब्धता आर्थिक विकास में सहायक है। अतः ग्रामीणों को कृषि कार्यों के बाद खाली दिनों में रोजगार की प्राप्ति उनकी आय के स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है। अतः पंचायत द्वारा रोजगार एवं आर्थिक विकास की जांच के परिणाम तालिका क्रमांक में वर्णित हैं—

Chi-Square Tests

Economic	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.805	1	.000
N of Valid Cases	200		

R = 0.253 (Sig. 0.000)

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर एक स्वातन्त्र संख्या के लिये χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 3.841$ है तथा χ^2 का परिमाणित मूल्य $\chi^2_c = 12.805$ प्राप्त होता है।

अर्थात् $3.841 < 12.805$ या $\chi^2_t < \chi^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। सह-सम्बन्ध विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों गुणों में 0.25 प्रतिशत अर्थात् निम्न स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। काई वर्ग एवं सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अनुसार शून्य परिकल्पना ($H_{03} = \neq$) अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना “**H_{a3}: पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।**” स्वीकृत होती है।

पंचायती राज व्यवस्था से प्राप्त रोजगार से कृषि के उपरान्त खाली समय में 100 दिन का निश्चित रोजगार प्राप्त होने, कृषि एवं पशुपालन आदि योजनाओं के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आया है। किन्तु उक्त परिवर्तन का लाभ सभी वर्गों, समुदायों तथा जनता को समान रूप से नहीं मिल पाया है। पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से योजनाओं का लाभ अपात्र व्यक्तियों को करने से सुविधाओं के लिए योग्य उम्मीदवार के स्थान पर अन्य लोगों को कर दिया जाने से योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा है।

अध्ययन की महत्वपूर्ण आगतः—

- ❖ अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि की सुलभता से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। रोजगार की तलाश में पलायन, पारिवारिक समस्याओं, बिमारियों में कमी, महिला अधिकार में वृद्धि, आदि के परिणामस्वरूप परिवार का विघटन कम हुआ है। शिक्षा का विकास आधुनिक विचारधारा को समझने एवं अपनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।
- ❖ पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत रोजगार योजनाओं, अधोसंरचनात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों का शहरों से सम्पर्क में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषि के अतिरिक्त समय में, परिवार के अतिरिक्त सदस्य गैर-कृषि रोजगार में संलग्नता के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि एवं कृषि पर निर्भरता में कमी आई है।
- ❖ पंचायत द्वारा कृषि सम्बन्धी योजनाओं जिनमें कृषि उपकरण, सिंचाई के साधन व स्रोत में वृद्धि से कृषि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कृषि परम्परागत तकनीकों एवं फसल के प्रकार में परिवर्तन से आय में वृद्धि हुई है। कृषि में सहायक पालतु पशुओं की उपलब्धता से आय व रोजगार में सहायता के साथ पोषण स्तर में वृद्धि हुई है।

पंचायती राज में पुरुषों के साथ महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के परिणामस्वरूप आधुनिक विचारधारा का प्रवाह, शासन व प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी के अवसरों में वृद्धि एवं सहभागिता के अवसरों में वृद्धि हुई है।

अध्याय – सप्तम्

- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में समस्या
- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए सुझाव

● निष्कर्ष

अध्याय – सप्तम्

पंचायती राज द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास में समस्याएँ एवं सुझाव

पंचायती राज द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास में समस्याएँ:-

➤ ग्राम प्रधान (सरपंच) की अशिक्षा:-

पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मानक के अभाव में अधिकांश सरपंच अशिक्षित हैं। सरपंच के पद पर चयनित होने के बाद सरपंचों की अशिक्षा के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण लेखों, प्रपत्रों का अध्ययन, अधिकारियों से वार्तालाप, योजनाओं एवं विकास कार्यों से सम्बन्धित जानकारियों, विभिन्न विकास सम्बन्धि निर्णय लेना, वाद-प्रतिवाद, ग्रामीणों में आपसी तालमेल व सामंजस्य स्थापित करने, संसाधनों का दोहन, वित्तीय

निर्णय, विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता का चयन, बैठकों का संचालन, हिसाब, केशबुक आदि महत्वपूर्ण कार्यों में अशिक्षा बाधा उत्पन्न करती है।

➤ **राजनीतिक दलबंदी/गुटबाजी:—**

बहु राजनीतिक दल, गुटबाजी एवं अलग समूह राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार है। किन्तु इनके कारण किसी भी विकास कार्य में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की जाती है। विकास कार्यों में आपसी गुटबाजी, अपने लोगों व क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए दबाव बनाना, सभाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि समस्याएँ सरपंच विरोधी दलों द्वारा उत्पन्न की जाती है।

➤ **सरपंचों की व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएँ:—**

सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश गाँव के सरपंच छोटे कृषक व मजदूर वर्ग से सम्बन्धि है। अतः वे कृषि कार्यों के साथ मजदूरी भी करते हैं। अतः किसी प्रलोभन अथवा समुदाय के कहने पर वे सरपंच का चुनाव जीत जाते हैं। किन्तु अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अपने नियमित रोजगार (कृषि एवं मजदूरी) को नहीं छोड़ते हैं। अतः ऐसी स्थिति में पंचायत सम्बन्धि विभिन्न कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देते।

➤ **भ्रष्टाचार:—**

पंचायतों के विकास कार्यों को वित्तीय सहायता व अनुदान देने के लिए अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरपंच व सचिव की जालसाजी के कारण विकास योजनाओं के प्राप्त धन भ्रष्टाचार के कारण गबन किया जाता है।

➤ **योजनाओं के लिए हितग्राहियों के चयन में अनियमितता:—**

विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ गांव के सभी लोगों को समान रूप से नहीं दिया जाता। इसमें निश्चित एवं निर्धारित लोगों को ही योजना का लाभ दिया जाता है। सरपंचों व सचिवों द्वारा अपने परिवार, रिश्तेदार अथवा विशेष व्यक्तियों को

योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जिससे गांव के योजनाओं के लिए योग्य एवं जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

➤ **योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी का अभाव:—**

ग्रामीण लोगों को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। अतः पंचायत में किस अवधि में योजना से सम्बन्धित आवेदन व अन्य प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है ग्रामीणों को इसका पता नहीं चलता जिससे विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं।

➤ **राजनैतिक जागरूकता का अभाव:—**

ग्रामीण नागरिकों में राजनैतिक जागरूकता के अभाव में पंचायती राज की सफलता प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, सामाजिक और परम्परागत विचारधारा, जातिवाद, आय की असमानता, पलायन जैसे कारणों से ग्रामीण नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं।

➤ **योग्य जनमत का अभाव:—**

जनमत से आशय उस जनसमूह से है जो किसी घटना या समस्या विशेष में रुचि लेते हैं और उस पर विचार-विमर्श एवं तर्क की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जनमत नेतृत्व, स्थानीय, क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा परम्परावादी होने के कारण रूढ़िवादी विचारधारा में लिप्त है। जिसके कारण उनका बाहरी दूनिया से सम्पर्क नहीं होने के कारण पंचायती राज एवं विकास के मुद्दों से अनजान है।

➤ **विकास कार्यों में सरपंच की औपचारिक मात्र भूमिका:—**

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सरपंचों की भूमिका औपचारिक मात्र एवं हस्ताक्षर करने तक सिमित है। पंचायत एवं विकास

कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्य सचिवों द्वारा किए जाते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन के कार्य सचिव द्वारा किए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण सरपंचों की अशिक्षा, रोजगार, पंचायत कार्यों में निरसता, नशाखोरी आदि कारण हैं।

➤ **नेतृत्व गुणों का अभाव:—**

पंचायतों की असफलता का प्रमुख कारण सरपंचों में नेतृत्व गुणों का पूर्णतः अभाव है। स्थानीय समुदाय से सहयोगियों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनावों में बहुमत प्राप्त करने में सफल होते हैं, किन्तु सरपंच पद के उम्मीदवार में व्यक्तिगत नेतृत्व गुणों का अभाव है। अधिकांश पुरुष सरपंच स्थानीय समुदाय से संवाद करने में सक्षम हैं किन्तु महिला सरपंचों की भूमिका शून्य है। महिला सरपंचों का कार्य उनके पति अथवा पुत्र द्वारा संचालित किया जाता है। अतः स्थानीय समुदाय का विश्वास प्राप्त करने में सरपंच असफल हैं।

➤ **विभिन्न निर्माण कार्यों की निम्न स्तरीय गुणवत्ता :-**

ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न स्थाई निर्माण जिनमें सड़क (आन्तरिक एवं बाहरी), नालियों, पानी की टंकी, रपट, पुलिया आदि की गुणवत्ता निम्न स्तरीय होती है। बहुत कम अवधि के दौरान विशेष रूप से बारिश के दिनों में पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कें व पुल टूट कर बह जाते हैं। जिससे ग्रामीणों की समस्या बनी रहती है।

➤ **पंचायतों द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के संचालन में भ्रष्टाचार:—**

पंचायतों द्वारा संचालित रोजगार कार्यक्रमों (मनरेगा) के तहत ग्रामीणों एवं रोजगार की आवश्यकता वाले सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। मनरेगा योजना में विभिन्न निर्माण कार्यों के दौरान अधिकांश कार्य में मशीनों का उपयोग किया जाता है। फर्जी नाम से मजदूरी का भुगतान, निश्चित दिनों के पूर्व कार्य का बंद होना आदि समस्याओं के कारण ग्रामीण रोजगार में कमी आई है।

➤ **कम मजदूरी का भुगतान:—**

मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी बाजार मूल्य की तुलना में कम होने तथा उसके भुगतान भी अनियमित व कम होने के कारण ग्रामीण समुदाय के लोग पंचायत द्वारा संचालित रोजगार कार्यों में सहभागिता नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के कस्बों/शहरों में रोजगार के लिए पलायन करना उनकी मजबूरी है।

➤ **वित्तीय अनियमितता:—**

पंचायतों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय प्राप्ति में अनियमितता व अनिश्चितता के कारण सरपंचों द्वारा निर्माण कार्य करने में देरी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार व मजदूर को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के कारण अनेक निर्माण कार्य कई महिनों तक अधूरे पड़े रहते हैं जिससे आम जनों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

➤ **पंचायतों के आय के साधनों की सीमितता:—**

पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए सरकारी कोष एवं स्थानीय करो पर निर्भर रहना पड़ता है। शासकीय वित्तीय सहायता निश्चित कार्यों के लिए प्रदान की जाती है। अनेक पंचायतों में स्थानीय कर को लगाना व वसूल करना संभव नहीं है। जिससे पंचायतों को सरकारी सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। जिससे पंचायतों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न होती है।

➤ **पलायन की समस्या:—**

गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में पंचायतों के प्रयास सफल नहीं हो पाये हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि का निम्न स्तरीय होना, मौसम की प्रतिकूलता, आय की असमानता, गरीबी, अशिक्षा आदि कारण हैं। पंचायतों द्वारा रोजगार की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीणों का पलायन कम नहीं हुआ है। इसके लिए ग्रामीण परिवारों का बड़ा आकार, मजदूरी की कम राशि, आर्थिक आवश्यकता, पारिवारिक विवाद आदि कारण हैं।

➤ **सरपंचों की नशाखोरी:—**

पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीणों की नशाखोरी आर्थिक पिछड़े पन के लिए सबसे बड़ा कारक है। किन्तु इस प्रकार की लत से अनेक ग्राम पंचायत के सरपंच भी नहीं छूट पाये हैं। अधिकांश पंचायतों के अनियमित व उदासीन विकास के लिए सरपंचों की नशाखोरी की समस्या प्रमुख कारण है। नशा करने के कारण सरपंच व सचिव का आपसी तालमेल व विकास के लिए आपसी सहयोग नहीं होने के कारण अनेक योजनाओं और विकास कार्यों की राशि व्यर्थ पड़ी रहती है। निश्चित अवधि के बाद उनका व्यय नहीं किए जाने के कारण मुख्य कार्यालय द्वारा पुनः आहरीत कर ली जाती है।

➤ **उचित प्रशिक्षण एवं कार्यअनुभव की कमी:—**

सरपंचों व पंचायत के मनोनीत सरपंच के समानतापूर्वक और सम्मानजनक कार्यानुकूल वातावरण के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों को साक्षर, अधिकार कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने एवं व्यावहारिक कार्यपद्धति, नेतृत्व क्षमता के प्रशिक्षण, सन्दर्भ सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण, आदि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किन्तु अधिकांश कार्यक्रमों में सरपंचों व प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण उनको कार्य संचालन के ज्ञान का अभाव रहता है।

पंचायती राज द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए सुझाव:—

➤ **सरकारी आधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मध्य सहयोग एवं सामन्जस्य:—**

पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि इनसे सम्बन्धित सरकारी आधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मध्य सहयोग एवं सामन्जस्य में वृद्धि की जाए। इनके आपसी अविश्वास एवं विवाद को दूर कर सम्बन्धों में सुधार लाना सबसे आवश्यक है। दोनों पक्षों के कार्यक्षेत्र विवरण व वितरण एवं कार्यविधियों में सन्तुलन बनाये रखने के लिए कार्यवाहक समिति की सहभागिता में वृद्धि करना चाहिए।

➤ **पंचायतों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता:—**

पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ग्रामीणों को परम्परा से छुटकारा दिलाने और आधुनिकता की ओर अग्रसर करने हेतु यह आवश्यक है कि इन व्यवस्थाओं को कार्य सम्बन्धी पहल का अधिकार प्राप्त हो। पंचायती राज संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए आवश्यक सरकारी प्रयास होने चाहिए। योजनाएँ स्वयं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाये और कार्यान्वित की जानी चाहिए। उनमें जनता की रूचि और अधिक मात्रा में जन सहयोग का होना अत्यन्त आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जनता तक आवश्यक जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। ऐसा होने से जनता अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

➤ **वित्तिय साधनों में वृद्धि:-**

पंचायती राज संस्थाओं में सफल कार्य संचालन के लिए पंचायतों के वित्तीय साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त राशि के अतिरिक्त विभिन्न स्थानीय समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए पंचायतों को राशि का आबंटन एवं उनके उपयोग एवं व्यय का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए।

➤ **दलगत राजनीति व गुटबाजी :-**

ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति व गुटबाजी प्रमुख समस्या बन गई हैं। विभिन्न विकास कार्यों के मुर्त रूप लेने में विपक्षी दल के लोग अवरोध उत्पन्न करना, लोगों को भ्रमित करना, सरपंच व प्रतिनिधियों के विरुद्ध मनोवृत्ति को बदलना आदि समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

➤ **प्रशिक्षण व्यवस्था:-**

निरन्तर प्रशिक्षण व्यवस्था का समय-समय पर संचालन किया जाना चाहिए। योजनाओं के अनुसार अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए।

➤ **पंचायतों की सर्वसुलभता:—**

पंचायत भवनों को स्थाई रूप से खुला रखना चाहिए। जिसमें पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हो। सरपंच व अन्य प्रतिनिधियों का स्थानीय लोगों आपसी सामन्जस्य कार्यों के बारे में विचार विमर्श एवं सहयोग के लिए आपसी बातचीत एवं राय के आधार विकास कार्यों में वृद्धि की जा सकती है।

➤ **ग्राम सभा की शक्तियों में वृद्धि:—**

पंचायतों द्वारा ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयास नहीं किया गया है। इसकी वर्ष में एक दो बैठकों के आयोजन से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि और जनसहयोग के लिये तत्परता उत्पन्न नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप ग्रामीण पुर्ननिर्माण सम्बन्धी योजनाओं में जनसहयोग का विशेष लाभ प्राप्त करने में पंचायती राज की असफलता सिद्ध हुई है।

➤ **पंचायत राज व्यवस्था विकेन्द्रीकरण:—**

पंचायत राज व्यवस्था का मुल उद्देश्य शासन सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति शासन में अपनी समुचित भागीदारी का निर्वहन कर सके। परन्तु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था से दूर केन्द्रीकृत व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से सामने आई है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हे अपने सुझावों को पंचायत की बैठक अथवा ग्राम सभा की बैठक में रखने का अधिकार है किन्तु वास्तविकता में ग्राम सभा की बैठक गांव के कुछ लोगों द्वारा आपस मिलकर अथवा कागजों पर कर ली जाती है। अतः ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की विकेन्द्रीकरण नीति के सफलता के लिए शासकीय नियमों को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है।

➤ **प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता:—**

पंचायत चुनाव प्रत्याशी के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पंचायतों की कार्यप्रणाली, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण समस्याओं

का ज्ञान, वित्तीय निर्णय, अधिकारियों से संवाद अपने क्षेत्र की समस्याओं के पक्ष को विभिन्न स्तरों पर रखने में सक्षम लोगों को ही चुनाव लड़ने के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए। अशिक्षित व अयोग्य लोगों के चुनाव लड़ने व प्रलोभन के आधार पर चुनाव जितने वाले लोग योजनाओं और विकास योजनाओं से मात्र लाभ अर्जित करने के प्रयास करते हैं। अतः निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था एवं निर्धारित योग्यताओं को पुरा किये बिना चुनाव लड़ने की पात्रता मिलना चाहिए।

➤ **पंचायतों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी:—**

ग्रामीण लोगों को पंचायतों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी का पूर्णतः अभाव है। सर्वेक्षण से ज्ञात है कि अधिकांश ग्रामीणों को पंचायतों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं है। योजनाओं का लाभ देने एवं हितग्राहियों के चयन में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना प्रमुख समस्या है। अतः विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए पंचायतों की मतदाता सूची से एवं राशन कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड के आधार पर सिधे हितग्राहियों का चयन किया जाना चाहिए। योजनाओं में प्रदत्त राशि हितग्राहि के बैंक खाते में अथवा सुविधा प्रदाता दुकान अथवा एजेन्सी के खाते में हस्तान्तरिक किया जाना चाहिए। जिससे वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को कम करने में सफलता मिल सकती है।

➤ **सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मध्य मतभेद एवं अविश्वास को दूर करना:—**

पंचायती व्यवस्थाओं को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इनसे सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मध्य मतभेद एवं अविश्वास को दूर किया जाए। और उनके आपसी सम्बन्धों, सहयोग एवं विश्वास के स्तर में वृद्धि के लिए प्रयासों में वृद्धि करना चाहिए।

➤ **सहयोग एवं निर्भरता में वृद्धि:—**

आपसी सहयोग एवं निर्भरता में वृद्धि के लिए कार्यो का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए। की दोनों की गतिविधियाँ एवं कार्यपद्धति एक दूसरे की पूरक

हो। अधिकारियों एवं जनप्रतिनियों के कार्य, क्षेत्र एवं हस्तक्षेप की सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के आपसी विवाद एवं मदभेद का प्रभाव हितग्राहियों एवं निर्माण कार्यो पर नहीं आये इसकी पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए।

➤ **सरपंचों व जनप्रतिनियों के कार्यो की समीक्षा:—**

प्रशासनिक स्तर पर सरपंचों व जनप्रतिनियों के कार्यो की समीक्षा की जानी चाहिए। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। समय सीमा से पूर्व लक्ष्य प्राप्ति करने वाली पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों को पुरुस्कृत किया जाना चाहिए। एवं निर्धारित समय सीमा के बाद भी कार्य नहीं करने वाली पंचायतों पर निर्धारित शुल्क एवं योजनाओं की राशि की कटौती का प्रावधान किया जाना चाहिए।

➤ **सरपंच, पंच के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था:—**

पंचायत सचिव एवं सरपंच, पंच के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। नवीन चयनित सरपंचों के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता होनी चाहिए। शिक्षित एवं अनुभवी सरपंचों के पूर्व अनुभव, कार्यशैली एवं कठिनाईयों समस्याओं के लिए अनुभवों को नवीन सरपंचों से साझा करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

➤ **आपसी सहयोग एवं सदभाव का विकास:—**

चुनावी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उम्मीदवार एक दूसरे को प्रतियोगी के स्थान पर आपसी दुश्मन के अनुसार व्यवहार किया जाता है। यह दुश्मनी अनेक बार आपसी झगड़े एवं खुन-खराबे में बदल जाती है। अतः चुनावी प्रक्रिया के सम्बन्ध ग्रामीण जनो एवं प्रतिनिधियों को प्रतियोगिता मात्र के आधार लेने के सम्बन्ध में जागृत करना चाहिए।

➤ **स्थानोय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य:—**

पंचायतों द्वारा संचालित योजनाओं का निर्माण क्षेत्र एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। अनावश्यक योजनाओं से ग्रामीणों की प्राथमिक आवश्यकताओं के विरुद्ध योजना का लाभ देने से कोई ग्रामीणों का विकास होने वाला नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश घर लकड़ी व घांस के बने हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकता घर एवं छत थी। जबकि शासन द्वारा शौचालय निर्माण पर बल दिया जाने के कारण कच्ची घांस की झोपड़ी के सामने पक्का शौचालय का निर्माण किया गया। जबकि शौचालय के उपयोग की हितग्राहियों को आवश्यकता द्वितीयक थी। अतः यदि उन्हें कृषि सम्बन्धि सुविधा या आवास योजना का लाभ दिए जाने के बाद शौचालय का लाभ दिया जाना चाहिए था। अथवा आर्थिक सहयोग दिया जाकर, बैंक ऋण को माफ अथवा कम कर, कृषि उपकरण, पशुओं की सुविधा दी जाकर हितग्राहियों के आर्थिक स्तर में वृद्धि की जा सकती थी।

➤ **सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परम्परावादी विचारधारा को प्राथमिकता:—**

विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परम्परावादी विचारधारा प्रमुख अवरोध है। अतः योजनाओं का निर्माण स्थानीय लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

➤ **सामाजिक जाग्रती अभियान:—**

पंचायतों की कार्यप्रणाली पर जातिवाद का प्रभाव है। अधिकांश ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के होने के कारण अन्य समुदाय के लोग पंचायत की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों में भाग लेने से परहेज करते हैं। अतः ग्रामीणों की इस प्रकार की विचारधारा में परिवर्तन के लिए जाग्रती अभियान के द्वारा जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रयासों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

➤ **भ्रष्ट एवं लापरवाहपूर्ण के लिए कठोर दण्ड:—**

भ्रष्ट एवं लापरवाहपूर्ण व्यवहार व कार्य के लिए सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए। जिससे प्रतिनिधियों की कार्यशैली में परिवर्तन आएगा एवं लापरवाही अथवा जानबूझकर की जाने वाली गलतियों में कमी आएगी।

➤ **कृषि विकास को प्राथमिकता:-**

कृषि विकास के लिए पंचायतों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए जाने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे प्रमुख समस्या सिंचाई हेतु पानी की कमी है। अतः पंचायतों द्वारा जल संग्रहण योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जल संग्रहण के द्वारा जलाशयों में मछली पालन से रोजगार में वृद्धि होगी। पौधा रोपण द्वारा क्षेत्र में भूमि कटाव को रोका जा सकता है, क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा व भूमि की उपजाऊ क्षमता का विस्तार किया जा सकता है।

➤ **मूलभूत आवश्यकताओं के विकास पर बल:-**

मूलभूत आवश्यकताओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए जिनमें प्रमुखता से भोजन के लिए अनाज की सुलभता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, सड़क, नाली, शिक्षा केन्द्र एवं नियमित संचालन, कृषि विकास के लिए आवश्यक सहयोग आदि की सुनिश्चितता पर बल दिये जाना चाहिए।

➤ **स्थानीय रोजगार में वृद्धि:-**

पंचायतों में स्थानीय लोगों के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग, हस्त शिल्प, हस्त कारीगरों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को कृषि के उपरान्त खाली समय में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचायतों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षित एवं परम्परागत रोजगार के लिए सहयोग एवं आवश्यक वित्त सहयोग द्वारा प्रदान करना। हस्त निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार का प्रबंध पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए।

➤ **कृषि सम्बन्धित एवं सहायक रोजगार में वृद्धि:-**

असिंचित क्षेत्रों में ग्रामीणों को कृषि के अतिरिक्त कृषि सम्बन्धि गतिविधियों (पशुपालन, बागवानी, हस्तशिल्प, गैर कृषि रोजगार आदि) से जोड़ने के लिए पंचायतों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:—

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक—आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। पंचायतों के माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपसी विवाद निपटान एवं कानूनी सहयोग की उपलब्धता संभव हो सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से सामाजिक—आर्थिक एवं राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण स्तर पर राजनीतिकरण की प्रक्रिया से ग्रामीण निर्धन, अशिक्षित एवं परम्परागत विचारधारा पर राजनीतिक प्रभाव एवं चेतना का विकास हुआ है। विकेन्द्रीकृत लोकतान्त्रिक प्रणाली से सामान्य वयस्क मताधिकार, दलगत गतिविधियों के कारण ग्रामीण लोगों में नवीन विचारधारा का विकास हुआ है। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण पंचायतों के माध्यम से किया जाकर ग्रामीण महिलाओं की बचत एवं स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण कृषि से उत्पन्न बेरोजगारी को कम करने में बहुत हद तक सफल हुई है। किन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में वित्तीय अनियमितता व धोखाधड़ी पंचायत के माध्यम से किए जाने के कारण ग्रामीण विकास की गति में अवरोध हुआ है। वर्तमान में पंचायतों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से वित्तीय लाभ प्राप्ति का लालच ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरपंचों के चुनाव एवं जितने व जिताने के लिए विवाद व एण्डनीय अपराधों को करने से भी नहीं हिचकते है। पंचायतों की कार्यविधि पर सरपंचों के लिंग, शिक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व क्षमता की कमी आदि कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, जातिवाद, रूढ़िवादिता, ऋणग्रस्तता, भूमि, आवास की कमी, सामाजिक सांस्कृतिक, स्वास्थ्य समस्याओं आदि के कारण ग्रामीण विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याओं को

जागृत किया है जो ग्रामीण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परम्परावादी विचार के विघटन प्रमुख है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद, दलबंदी की भावना, अकुशल राजनैतिक नेतृत्व, नौकरशाही की उदासीनता, अशिक्षा, धन और साधनों की कमी, चुनाव में भागीदारी के लिए ऋण एवं पारिवारिक सम्पत्ति विक्रय, पंचायतों की निम्न आर्थिक स्थिति, चुनावों की दोषपूर्ण प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, आपसी विवाद आदि समस्याओं का विस्तार किया है। ग्रामीण शिक्षा के विकास, नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण, विकास नीतियों एवं चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए नीतियों का निर्माण व अनुपालन वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

परिशिष्ट

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- शर्मा, अशोक (1995): 'भारत में स्थानीय प्रशासन' आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर।
- आनंद प्रकाश अवस्थी "म.प्र. स्थानीय प्रशासन" (2010) मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
- अवस्थी आनंद प्रकाश (2010) "म.प्र. में स्थानीय प्रशासन" म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

- अवस्थी, अशोक कुमार (2006): महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार : योजना मासिक समाचार पत्रिका, अक्टूबर 2006।
- अग्रवाल कुमार प्रमोद (2002): “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- बावेल बसन्तीलाल (2010): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- बावेल, बसन्तीलाल (2013): पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- देवपुरा प्रतापमल (2006) “ग्रामीण विकास का आधार, आत्मनिर्भर पंचायतें” राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- गिरिजाशंकर (2010): “मध्यप्रदेश बनाओ यात्रा के मायनें” मध्यप्रदेश संदेश (मासिक), अप्रैल, 2010।
- गांधी, एम. के. (2014): ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद।
- गौतम नीरज कुमार (2014) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका, नई दिल्ली।
- गुप्त विश्वनाथ (2015) “भारत में पंचायती राज” सुरभि प्रकाशन प्रीत विहार, दिल्ली।
- गुप्ता एस. एल. “भारत का भूगोल” रामप्रसाद एण्ड संस, तृतीय संस्करण।
- गुडे, डब्लू. जे. एण्ड हॉट, पी.के. (1952): “मैथड्स इन सोशल रिसर्च”, मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क।
- रहमान एच. (1965) “पंचायत राज के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा” खादी ग्रामोदय II (10)
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013, जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला बड़वानी।
- जोशी, आर. पी., मंगलानी रूपा (2013): “भारत में पंचायती राज”, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- जैन प्रतिभा, शर्मा संगीता (2003): “भारतीय स्त्री राजनीतिक” प्रथम संस्करण।
- खरे आर. के. डॉ. “भारत में पंचायती राज (म.प्र. के संदर्भ में) महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्दौर।
- कौशिक, आशा (2004): विमर्श एवं यथार्थ : प्रथम संस्करण 2004, पोइन्टर पब्लिशर्स,
- कौटिल्य का अर्थशास्त्र (1992): प्रथम अध्याय, चौखम्भा विधाभवन, वाराणसी।
- कुमार मनीष (2007) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका, नई दिल्ली।
- कुमार डॉ. प्रमिला “मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन” म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2015।

- किशोर राज (2004): स्त्री परम्परा और आधुनिकता : प्रथम संस्करण 2004 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- एम. एस. सिसौदिया “पंचायती राज अधिनियम 1993”, उपकार प्रकाशन आगरा।
- मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 1999–2000, 2011 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
- मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962।
- महिपाल (1996): “पंचायतों में महिलाएँ: सीमाएं और सम्भावनाएं”, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली।
- मलिक, शमशेर सिंह (2002): “द पंचायती राज”, आलेख पब्लिशर्स जयपुर।
- महीपाल (2004): “पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं”, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इन्दौर।
- मोदी अनिता (2014) “कुरुक्षेत्र” ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका नई दिल्ली।
- मैथ्यू जार्ज (2003) “भारत में पंचायती राज” वाणी प्रकाशन, र1-ए, दरियागंज, नई दिल्ली।
- मिश्रा सुरेन्द्र (2004): “ग्रामीण विकास समीक्षा” राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।
- नागर बी. डी. एवं मेहता बी. डी. (1988): “आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण” म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
- पंवार मिनाक्षी (1994): “म.प्र. में पंचायती राज और ग्रामीण विकास”, क्लासीकल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- पीर गौतम (2009): “पंचायती राज व्यवस्था”, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- पटनीचन्द्र (2009): “ग्रामीण स्थानीय प्रशासन” विश्व भारतीय पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- रंजन आलोक (2006): “आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका”, खण्ड 12 (1 एवं 2) जनवरी एवं जुलाई 2006 क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (भारतीय आयुर्विज्ञान) अनुसंधान परिषद् जबलपुर।
- राठौड़ गिरिवर सिंह (2004): “भारत में पंचायती राज”, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- राकेश गौतम (2012): “म.प्र. एक परिचय” म.प्र. पंचायती राज, पेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
- राजपूत उदयसिंह (2006): “मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास : दशा एवं दिशा” मध्यप्रदेश, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, मध्यप्रदेश, जनवरी-दिसम्बर 2006।
- शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2013):, रिसर्च मेथडोलोजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- सिंह बामेश्वर (2001) “भारत में स्थानीय स्वशासन” राधा पब्लिकेशन 4378/4-3ए अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली।

- सिंह राजनाथ (2009) “भारत में पंचायती राज व्यवस्था” अनामिका पब्लिशर्स नई दिल्ली।
- सिंह जनक, (2011): भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका, जुलाई-दिसम्बर।
- सिंह, हरज्ञान, (1985): ‘पंचायती राज इन हरियाणा’, इन्दिरा पब्लिकेशन, गुडगाँव।
- सिंह, आर. पी., (2000): महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायती राज व ग्राम विकास, आदित्य पब्लिशर्स बीना।
- सिसोदिया यतीन्द्र सिंह (2000): “पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व”, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संसाधन, उज्जैन।
- श्रीवास्तव एन.के. (1989) “भारत में पंचायती राज” निधि प्रकाशन, पाटनकर बाजार, ग्वालियर।
- श्रीवास्तव, मनोज (2011): पंचायती राज के जरिए राजनीतिक रूप से सशक्त हुई महिलाएं, कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2011.
- श्रीवास्तव, मनोज (2013), “मध्यप्रदेश सन्दर्भ” मध्यप्रदेश जनसम्पर्क का प्रकाशन जनसम्पर्क विभाग, म.प्र।
- श्रीवास्तव, नरेन्द्र, (2004) “भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन व उपलब्धियों” नार्दन बुक सेन्टर,, नई दिल्ली।
- श्रीवास्तव, अरुण कुमार (1994): भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
- शर्मा बी. एस., ब्रजभूषण एवं आशीष भट्ट (2000): जिला प्रशासन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- शादाब अहमद सिद्दीकी (2012) “मध्यप्रदेश में पंचायती राज” उपकार प्रकाशन, आगरा।
- शुक्ला महेश, खान मो. शरीफ (2004) “खैरवार जनजाति : सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन” अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नईदिल्ली।
- सक्सेना आर. के. (2010): “ग्रामीण विकास समीक्षा” राष्ट्रीय विकास संस्थान, हैदराबाद।
- सुराणा राजकुमारी (2000): भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव-पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर।
- तिवारी शिवकुमार एवं शर्मा, श्री कमल (1975) “म.प्र. की जनजातियाँ, समाज एवं व्यवस्था म.प्र. अकादमी भोपाल।
- तरानी आषु (1999): महिला विकास कार्यक्रम : प्रथम संस्करण 1999, इनाश्री पब्लिशर्स,
- तपन भट्टाचार्य (2011) “मध्यप्रदेश सामाजिक शोध समग्र” “ग्रामीण विकास की संभावनाएँ और ग्राम पंचायतें” 301, ईशान अपार्टमेंट, 13/2 स्नेहलतागंज इन्दौर।

- उपाध्याय, रामनारायण (1980): 'निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास' विश्व भारतीय प्रकाशन नागपुर।
- वर्मा अंजली (2009) "भारत में पंचायती राज" ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाडिले एच.एल. (2011): "म.प्र. सामाजिक शोध समग्र" लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट इंदौर।
- यादव धर्मेन्द्र सिंह (2006) "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास" जयपुर।

साक्षात्कार आनुसूची

—: साक्षात्कार आनुसूची :-

“म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास”
(बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

उत्तरदाता का नाम :-

ग्राम/शहर :-

ग्राम पंचायत :-

विकासखण्ड :-

1	लिंग:- पुरुष- 1, महिला- 2	
2	आयु	
3	अनुसूचित जनजाति एवं उपजाती	
4	धर्म:- हिन्दू- 1, मुस्लिम- 2, इसाई- 3, अन्य- 4	
5	परिवार की प्रकृति:- एकल - 1, संयुक्त - 2	
6	मकान का स्वामित्व:- स्वयं का - 1, किराये का - 2, अन्य - 3	
7	मकान का प्रकार- कच्चा- 1, पक्का- 2, अर्धपक्का- 3, अन्य- 4.....	
8	उत्तरदाता का शैक्षणिक स्तर :- अशिक्षित- 1, प्राथमिक- 2, माध्यमिक- 3, स्नातक- 4, स्नातक से अधिक- 5	
9	उत्तरदाता की विवाहित स्थिति :- विवाहित- 1, अविवाहित - 2	
10	परिवार में सदस्य संख्या:- 4 सदस्य से कम- 1, 4 से 6 सदस्य- 2, 6 सदस्य से अधिक- 3	
11	उत्तरदाता के परिवार कार्यशील सदस्य संख्या:- 1 सदस्य- 1, 2 सदस्य- 2, 2 सदस्य से अधिक- 3	
12	उत्तरदाता का मुख्य व्यवसाय:- गृहणी - 1, विद्यार्थी - 2, कृषि - 3, अन्य (मजदूरी) - 4	
13	उत्तरदाता के परिवारिक आय का मुख्य स्रोत:- कृषि - 1, कृषि मजदूरी - 2, अन्य - 3	

कृषि से आय (वार्षिक/रबी, खरीफ व जायद) :-

कृषि से वार्षिक आय (रूपये में)

अन्य स्रोत से आय :-

आय का अन्य स्रोत	प्राप्त आय राशि

आय क विभिन्न स्रोत :- कृषि-1, कृषि मजदूरी-2, कृषि व गैर-कृषि मजदूरी-3, गैर-कृषि मजदूरी-4, व्यवसाय-5, नौकरी-6, अन्य-7.....

पंचायत सम्बन्धि जानकारी

क्र.	विवरण	विशेषता	कोड
1	कृषि भूमि उपलब्धता	1 हेक्टेयर से कम	
		1 से 3 हेक्टेयर	

		3 से 5 हेक्टेयर	
		5 हेक्टेयर से अधिक	
2	सिंचाई के साधन	कुआँ	
		नहर	
		नलकूल	
		अन्य	
3	उत्तरदाता के मकान का स्वरूप	कच्चा	
		अर्द्ध-पक्का	
		पक्का	
		अन्य	
4	पीने के पानी का स्रोत	कुआँ	
		हैण्ड पम्प	
		नल	
		अन्य	
5	विद्युत सुविधा की उपलब्धता	नहीं है	
		एक बत्ती कनेक्शन	
		तार जोड़कर चलाते हैं?	
6	खाना पकाने का साधन	चूल्हा	
		गैस/गोबर गैस	
		दोनों	
7	पारिवारिक सम्पत्ति की जानकारी	टी. वी.	
		रेडियों/टेप	
		पंखा	
		कुलर	
		साइकिल	
		मोटर साइकिल	
8	परिवार में मोबाईल फोन की उपलब्धता	1 सदस्य	
		1 से 3 सदस्य	

		3 सदस्य से अधिक	
9	उत्तरदाता के घर में अन्य प्रमुख सुविधा	अलग से रसोई का कमरा	
		शौचालय	
		स्नानगृह	
		नाली	
10	शौचालय का उपयोग करने की स्थिति	उपयोग करते हैं	
		उपयोग नहीं करते हैं	
11	मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क व्यवस्था	कच्चा	
		अर्द्ध-पक्का	
		पक्का	
12	ग्रामीण आन्तरिक सड़क व्यवस्था	कच्चा	
		अर्द्ध-पक्का	
		पक्का	
13	पशु बांधने का स्थान	घर के अन्दर जहां परिवार रहता है।	
		घर के बगल अथवा सामने	
		अलग से स्थान बनाया है	
		अन्य	
14	गाँव में स्कूल की स्थिति	प्राथमिक	
		माध्यमिक	
		उच्च माध्यमिक	
15	स्कूल में बच्चों को भोजन की स्थिति	हाँ	
		नहीं	
16	स्कूल में बच्चों का भोजन बनाने का माध्यम	स्व-सहायता समूह	
		ठेकेदार द्वारा	
		खाना पकाने वाले कर्मचारी	
		नहीं जानते	
17	गाँव में पूरे वर्ष रोजगार की सुलभता	हाँ	

		नहीं	
18	गाँव के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं?	हाँ	
		नहीं	
19	यदि हाँ तो किन महिनों में	अक्टूबर-नवम्बर	
		फरवरी-मार्च	
		अप्रैल-जून	
		कोई निश्चित नहीं है	
20	ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है?	हाँ	
		नहीं	
21	ग्राम सभा में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं?	बहुमत से	
		प्रस्तावों पर औपचारिक अनुमोदन	
		बड़े व्यक्तियों के अनुसार	
		नहीं जानते	
22	विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी	मुख्यमंत्री आवास योजना	
		मनरेगा	
		लाड़ली लक्ष्मी योजना	
		मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	
		मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना	
		खेत तालाब योजना	
		मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	
		गांव की बेटी योजना	
		मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना	
		निःशुल्क सायकिल वितरण योजना	
		दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	
कपिलधारा योजना			
23	गाँव में पंचायत द्वारा प्रदत्त रोजगार की स्थिति	हाँ	
		नहीं	

24	गाँव में पंचायत द्वारा विभिन्न आयोजन	खेल प्रतियोगिता		
		सांस्कृति आयोजन		
		धार्मिक आयोजन		
		महिलाओं के लिए आयोजन		
		बच्चों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार		
		अन्य		
25	गाँव में बेरोजगार लोगों के लिए पंचायत द्वारा सलाह/सहयोग किया गया	हाँ		
		न्हीं		
26	गाँव में पंचायत द्वारा (किए गए अथवा चल रहे) विभिन्न निर्माण की स्थिति	शौचालय		
		नली		
		आवास भवन		
		स्कूल भवन		
		स्कूल प्रांगण की सीमा दिवार		
		सड़क (खरंजा एवं अन्य)		
		सड़कों पर विद्युत व्यवस्था		
		स्टॉप डेम		
		सड़कों पर पुलिया/रपट		
		पिने के पानी की व्यवस्था	सार्वजनिक	
			निजी	
27	आपको अथवा आपके गली मोहल्ले में प्रदत्त सुविधा की स्थिति	मंदिर/धर्मशाला आदि		
		जल स्रोत का निर्माण		
		शौचालय		
		नली		
		आवास भवन		
		सड़क (खरंजा एवं अन्य)		
27	आपको अथवा आपके गली मोहल्ले में प्रदत्त सुविधा की स्थिति	सड़कों पर विद्युत व्यवस्था		
		पिने के पानी की व्यवस्था	सार्वजनिक	

		निजी	
		मंदिर/धर्मशाला आदि	
28	आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से किसी समस्या के निदान के लिए अनुरोध किया	हाँ	
		नहीं	
29	आप या आपके परिचित द्वारा पंचायत से कि गई शिकायत का प्रकार	पानी की समस्या	
		सड़को की समस्या	
		गन्दे पानी की निकासी	
		पड़ोसी से विवाद	
		स्कूल से सम्बन्धित	
		योजना का लाभ देने सम्बन्धि	
		अन्य	
30	पंचायत द्वारा अनुरोध का निदान किया	हाँ	
		नहीं	
31	किसी प्राकृतिक आपदा के समय पंचायत द्वारा आपको सहयोग (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखा, ओला, मावठा आदि)	हाँ	
		नहीं	
32	पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है?	हाँ	
		नहीं	
33	पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?	हाँ	
		नहीं	
34	पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नहीं होने का कारण	सरपंच किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं देते	
		योजना का लाभ देने में भेद भाव	
		रिश्वतखोरी/रूपए की मांग	
		सरपंच का कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा संचालन	
		सरपंच की अन्य कार्यों में व्यस्ता	

		सरपंच की मनमानी	
		सरपंच एवं सचिव का आपसी विवाद	
		सरपंच की नषाखोरी	
		सरपंच का जातिगत अन्तर	
		सरपंच से/द्वारा विवाद	
		सरपंच की निरसता/लापरवाही	
		सामाजिक समस्याओं पर ध्यान न देना	
		अधिकारियों से सम्पर्क नहीं करना	
35	ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायत की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट है?	पूर्णतः	
		आंशिक	
		नहीं	
36	पंचायत की कार्यप्रणाली में अवरोध के कारण	ग्रामीणों का सहयोग न मिलना	
		सरपंच की अशिक्षा	
		व्यक्तिगत समस्या	
		नेतृत्व गुणों का अभाव	
		राजनीतिक अवरोध	
		सामाजिक अवरोध	
		अन्य	
37	पंचायत की कार्यप्रणाली एवं विकास योजनाओं क्रियान्वयन से विभिन्न प्रभाव	सड़कों के निर्माण से आर्थिक विकास पर प्रभाव	
		सड़कों के विकास से रोजगार पर प्रभाव	
		सिंचाई सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादन पर प्रभाव	
		आवास योजना से आर्थिक विकास पर प्रभाव	

		पेयजल विकास से स्वास्थ्य पर प्रभाव	
		भूमि पट्टा योजना से आर्थिक विकास पर प्रभाव	
		पंचायत की कार्यप्रणाली से सामाजिक विकास पर प्रभाव	
		पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से आर्थिक विकास पर प्रभाव	

अन्य ग्रामीण समस्याएँ :-

1.
2.

सुझाव :-

1.
2.

प्रकाशित शोध पत्र सूची

प्रकाशित शोध पत्रों की सूची

- जैन डॉ. मनोहर सोलंकी, बसंता (जुलाई से सितम्बर 2017): “म.प्र. में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में) नवीन शोध संसार नीमच, ISSN- 2394-3793 पेज 123–125
- जैन डॉ. मनोहर सोलंकी, बसंता (जुलाई से सितम्बर 2017): “भारत में पंचायती राज का विकास एवं वर्तमान स्वरूप” शोध कारक ISSN- 2394-8329.
- सोलंकी, बसंता (2016) “ग्रामीण जीवन का अर्थशास्त्र” शब्द ब्रम्ह भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका। ISSN- 2394-3793.
- सोलंकी, बसंता (2016): “ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका” एसटीएस समाज शास्त्र विभाग इन्दौर क्रिश्चन कॉलेज इन्दौर। ISBN- 978-81-931421-2-7
- सोलंकी, बसंता (2016): “वैशिवकरण के दौर में हिन्दी” नई सहस्रनाब्दि में भाषाई चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, शोध सार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।